खण्ड-411, अंक-9
शुक्रवार, 2 वैशाख, शक संवत् 1916
(22 अप्रैल, 1994 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 411 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ख
प्रश्नोत्तर	1–113
डीजल के अभाव संबंधी सूचना पर चर्चा की मांग	114
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	114
उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० लखनऊ द्वारा घोटालों के संबंध में नियम नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114-115
पिकनिक स्पाट रोड, डी ब्लाक, इन्दिरा नगर, लखनऊ में अनियमित एवं लो वोल्टेज विद्युत आपूर्ति विषयक 301 के अन्तर्गत सूचना ...	115
सुभानीखेड़ा तथा राजीव नगर घोसियाना (खरिका वार्ड) लखनऊ की सड़कों को लेपन स्तर तक बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115-116
लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड याजनान्तर्गत एच० सेक्टर में सड़कों की मरम्मत एवं सीवर लाइन बिछाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116
आगरा महानगर नामनेर के अल्पसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में सैनिकों द्वारा सार्वजनिक शौचालयों पर कब्जा करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116-117
जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम शेखूपुर में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के भवन निर्माण कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	117
गाजियाबाद के खेड़ा व मकनपुर ग्रामों में सीवर सड़क तथा नाली आदि की सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	117-118
सदन में दी गयी विभिन्न सूचनाओं के संबंध में श्री अधिष्ठाता का निर्णय ...	118
उ० प्र० पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	118
जनपद बाराबंकी में ग्राम दरवेशपुर से ग्राम घोखरिया से होते हुए रामनगर सफदरगंज से मिलने वाले मार्ग को बनाये जाने विषयक श्री अम्बिका प्रसाद सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका	119

विषय	पृष्ठ-संख्या
सदन में मंत्रि-परिषद् का कोई सदस्य न होने पर आपत्ति तथा श्री अधिष्ठाता के निर्देश	119-123
रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट में सदस्यता हेतु विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	123
सदन में दी गयी विभिन्न सूचनाओं के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न ...	123
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित तथा प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	124-151
वित्तीय वर्ष 1994-95 में आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग (स्वीकृत)	151-152
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	152-153
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) ...	153
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग (स्वीकृत)	153
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	154
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग (स्वीकृत)	154
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	154-155
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत) ...	155
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)...	155-156
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत) ...	156
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)	156-157

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत) ...	157
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत)	158
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) (स्वीकृत) ...	158-159
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	159
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	160
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावसिक भवन), अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	160-163
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) ...	163
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 69–विधायी तथा संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) (स्वीकृत)	163-164
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	164-165
यू० पी० एस० आई० डी० सी० द्वारा किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने विषयक सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	165-166
प्रदेश के आयुर्वेदिक निदेशालय में आयुर्वेदिक दवाओं के क्रय में की गयी धांधली के संबंध में दी गयी सूचना पर नियम 56 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	166-168
नत्थियां	169-181

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखलाख, श्री	मेरठ	जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ	
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	तीरथ राज, श्री	सोनभद्र
अमरनाथ यादव, श्री	वाराणसी	तेजपाल सिंह पवार, श्री	हरिद्वार
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर	दीनानाथ भास्कर, श्री	वाराणसी
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	नन्द किशोर मिश्रा, श्री	देवरिया
आनन्द यादव, श्री	देवरिया	नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
उदय प्रकाश, श्री	हमीरपुर	नरेश अग्रवाल, श्री	हरदोई
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
कैशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	नीरज चतुर्वेदी, श्री	कानपुर नगर
कोकब हमीद खां, श्री	मेरठ	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	पीतम सिंह, श्री	एटा
गनपति सिंह, श्री	महराजगंज	बाल गोविन्द राजवंशी, श्री	सीतापुर
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
चन्द्र विजय सिंह उर्फ		भागवत पाल, श्री	मिर्जापुर
बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
जगदम्बा, श्री	बस्ती	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
जगदशि मुनि, श्री	हरिद्वार	मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
जगन्नाथ प्रसाद, श्री	खीरी	महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ	महेन्द्र पाल सिंह, श्री	बिजनौर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	माया शंकर पाठक, श्री	वाराणसी

मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
रतन पाल पवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश बहादुर, श्री	प्रतापगढ़
राकेश सोनकर, श्री	कानपुर नगर
राजबीर सिंह, श्री	अलीगढ़
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राधे श्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
रानी देवलता, श्रीमती	सहारनपुर
राम औतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम किशोर बिन्द, श्री	वाराणसी
राम कुमार वर्मा, श्री	खीरी
राम कृष्ण वर्मा, श्री	मेरठ
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
विजेन्द्र सिह, श्री	अलीगढ़
वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शशि बाला पुण्डीर, श्रीमती	सहारनपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीराम पाल, श्री	जालौन
श्री राम सिंह, श्री	गोण्डा
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सुखदेव, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
स्वयंबर चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर देहात
ज्ञानी हरेन्द्र सिंह, श्री	रामपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार दिनांक 22 अप्रैल, 1994

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धनी राम वर्मा के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद वाराणसी में घटित चन्दौली एवं सैय्यद राजा काण्ड की न्यायिक जांच एवं उसकी शर्तें

**1–श्री जगदम्बिका पाल, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रंगनाथ तथा डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में घटित चंदौली एवं सैय्यद राजा काण्ड की न्यायिक जांच का निर्णय शासन ने लिया है ? यदि हां, तो न्यायिक जांच के निर्देश की शर्तें क्या हैं ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

जी हां ।

न्यायिक जांच की निम्नालिखित शर्तें हैं :–

1–उक्त घटनाओं के संबंध में तथ्यों को अभिनिश्चित करना जिसमें उसके कारण सम्मिलित हैं,

2– उक्त घटनाओं के संबंध में व्यक्तियों का उत्तरदायित्व अभिनिश्चत करना,

3– उक्त घटनाओं के संबंध में जिला प्रशासन एवं पुलिस की भूमिका का निर्धारण करना और

4–ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपायों का सुझाव देना ।

(श्री प्रमोद तिवारी और अन्य सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद करिये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आग से जो क्षति हो रही है उसके लिए कुछ भी उपाय नहीं किये जा रहे हैं, इससे कई लोगों की जान-माल की क्षति हुई है, ऐसी कई सूचनायें हैं कि प्रदेश में कई घरों में आग लग चुकी है ।

श्री अध्यक्ष–

जो वक्तव्य और चर्चायें लगी हुई हैं उनको हो जानें दें, तब उसके बाद बोलिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक तो इस बात के लिए आभारी हूं कि वाराणसी में घटित चन्दौली एवं सैय्यद राजा काण्ड की न्यायिक जांच कराये जाने के निर्णय के संबंध में उत्तर में सरकार ने कहा है कि जी हां । लेकिन यह जो घटना हुई थी वह बहुत ही दुःखद है भी, इस संबंध में सरकार ने न्यायिक जांच मंजूर कर ली है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो विगत माह चन्दौली

एवं सैय्यद राजा में जिस घटना के संबंध में उल्लेख किया गया है उसके टर्म्स आप रिफरेन्स क्या हैं ? न्यायिक जांच के निर्देश की शर्तों के संबंध में अनुरोध किया गया है कि प्रक्रिया पूरा होगी, यानी (1) उक्त घटनाओं के संबंध में तथ्यों को अभिनिश्चित करना जिसमें उसके कारण सम्मिलित हैं, (2) उक्त घटनाओं के संबंध में व्यक्तियों का उत्तरदायित्व अभिनिश्चित करना, (3) उक्त घटनाओं के संबंध में जिला प्रशासन एवं पुलिस की भूमिका का निर्धारण करना और (4) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपायों का सुझाव देना है । मान्यवर, जो चार सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं, वाराणसी में चन्दौली एवं सैय्यद राजा में जो घटना हुई उसमें सरकार के एक माननीय राज्य मंत्री के वक्तव्य थे और उन वक्तव्यों से ही अन्य कई घटनायें हुई थीं तो क्या उस माननीय राज्य मंत्री के वक्तव्य को भी टर्म्स आफ रिफरेन्स में सम्मिलित करेंगे ? मान्यवर, दूसरी बात यह है कि न्यायिक जांच कब से शुरू हुई और इसकी जांच के लिए किसे नियुक्त किया गया है ? क्या इसमें उच्चतम न्यायालय के वर्किंग न्यायाधीश से जांच कराना था ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह सदन की परम्परा रही है कि न्यायिक जांच के आदेश हो जाने के बाद इसमें चर्चा नहीं होती है । माननीय सदस्य ने टर्म्स आफ रिफरेन्स पूछे थे, वह हमने बता दिये हैं और उनका उल्लेख भी कर दिया है, लेकिन अब उत्तर देना जरूरी हो गया है कि पहले तो माननीय सदस्य को इस संबंध में प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था क्योंकि उनके प्रश्नों को जवाब दे दिया गया है । दूसरी राज्य मंत्री के वक्तव्य की बात है, उस घटना के संबंध में राज्य मंत्री का किसी भी तरह का वक्तव्य हमारे पास नहीं है । मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि चूंकि यह मामला न्यायिक जांच के सुपुर्द कर दिया गया है और इसके लिए सेवानिवृत्त जज नियुक्त हो गये हैं और जब किसी घटना के न्यायिक जांच के आदेश हो जाते हैं तो उस पर चर्चा न कराये जाने की सदन की परम्परा रही है । अतः इसको आगे न बढ़ाने का अनुरोध है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी, आप सहमत नहीं हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सुन लें, यह अच्छा होता कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसका अनुपालन किया होता, इसकी चर्चा सदन में होती है, मुझे आप किताब भेज दें मैं खोलकर दिखा दूंगा कि उसमें व्यवस्था दी गयी है । दो बार यह व्यवस्था की गयी है कि न्यायिक आयोग गठित होने के बाद बिन्दुओं पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए यह निदेश है कि घटना को देखते हुए चर्चा हो सकती है । माननीय जगदम्बिका पाल जी के प्रश्न पर माननीय मंत्री जी ने टिप्पणी करके इसे परिवर्तित करने की चेष्टा की । मैं टर्म्स आफ रिफरेन्स के बारे में जानना चाहता हूं कि जो घटनायें हैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं ?

मान्यवर, आप जानते हैं कि मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य के उत्तेजनात्मक भाषण के कारण बदले की भावना से एक के बाद एक कई निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की गयी थी । क्या शर्त नं०–2 में यह बिन्दु भी सम्मिलित है अथवा नहीं । यदि नहीं तो क्या इस बिन्दु को भी सम्मिलित करने की कृपा की

जायेगी ? एवं न्यायिक जांच के आदेश कब हुए ? कौन माननीय न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं ? उनके सचिव कौन हैं ? तथा आयोग ने अपना कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया है ? कृपया बता दें ?

श्रीमन्, सरकार तो जुडीशियल इन्क्वायरी तो गठित कर देती है लेकिन महीनों बीत जाते हैं, स्टाफ व सचिव की नियुक्ति नहीं की जाती है । इसलिए में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो आयोग गठित किया गया है क्या उसने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है । शासन की ओर से जो स्टाफ व जगह की व्यवस्था की जाती है, वह कर दी गयी हैं ? ये दोनों प्रश्न आयोग की जांच को प्रभावित करने वाले प्रश्न नहीं हैं, इसलिए आप इन पर उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

न्यायिक आयोग की जांच को प्रभावित न करने वाले प्रश्न का उत्तर आप दे दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, सावन के अंधे को हरियाली ही सूझती है । उत्तेजनात्मक भाषण देकर वातावरण को विषाक्त बनाने वालों को हरियाली ही नजर आती है । हमारे मंत्रि-मण्डल व इधर बैठे जितने भी सदस्य हैं ये सब जातीय सौहार्द पर विश्वास रखते हैं । माननीय श्री गुप्त जी ने जो टर्म्स आफ रिफरेन्स की बात कही है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । जो टर्म्स एण्ड रेफरेन्स रखे गये हैं, वे ही पर्याप्त हैं ।

श्री रंगनाथ–

श्रीमन्, राज्य मंत्री ने जो भाषण दिया, उसको पूरा प्रदेश जानती है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसे न्यायिक जांच की प्रक्रिया के अन्दर लिया जा रहा है या नहीं ? दूसरा यह आयोग कब तक अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा और उसकी रिपोर्ट कब तक आ जायेगी । तीसरा यह कि राज्य मंत्री जी ने जो उत्तेजनात्मक भाषण दिया, उसे आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, जांच की रिपोर्ट तीन महीने के अन्दर देने को कहा गया है । माननीय मंत्री जी ने कोई उत्तेजनात्मक भाषण नहीं दिया है । दुष्प्रचारित करने का काम तो ये लोग कर रहे हैं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री रंगनाथ जी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा यह कहा गया कि राज्य मंत्री द्वारा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है । हम भी मानते हैं कि राज्य मंत्री ने कोई वक्तव्य नहीं दिया । लेकिन चन्दौली और सैय्यद राजा में जो घटना घटी है वह किन परिस्थितियों में घटी थी और कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिनकी यह देन थी ?

दूसरा न्यायिक जांच की परिधि में कोई घटनाक्रम आ जाता है तो मंत्री जी ने कहा कि उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता है । तो उसके कार्यकलापों पर कोई सवाल नहीं होते हैं, उसने अभी कार्यकलाप शुरू नहीं किये जब तक कार्यकलाप शुरू नहीं करें तब तक हर माननीय सदस्य का यह अधिकार है कि वह उन परिस्थितियों के बारे में जानकारी करे कि जिन परिस्थितियों में घटना घटी और

उन घटनाओं के दोषी व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यह सदन का अधिकार है कि वह कौन सी परिस्थितियां थीं और उसके लिए कौन लोग दोषी थे ?

श्री अध्यक्ष–

मैं यह बताना चाहता हूं कि कौन सी परिस्थितियां थीं क्या इस पर सदन में चर्चा नहीं हुई ? (व्यवधान) इस पर बहुत व्यापक चर्चा हो गयी है।

श्री राम आसरे वर्मा–

आप सही कह रहे हैं अगर परिस्थितियों पर बात हो गयी थी और सारे तथ्यों पर से पर्दा उठ चुका था तो फिर इस प्रश्न को स्वीकार करने का औचित्य नहीं बनता है। आपने अनुमति दे दी और प्रश्न आ गया। अब हमारा अधिकार बनता है कि हम उस अधिकार का प्रयोग करें और भी तथ्य संगत जो जानकारी है वह हम प्राप्त करें। आपने प्रश्न की अनुमति दे दी और वह एजेण्डा में सवाल आ गया अब यह कहना कि सदन में चर्चा हुई या नहीं हुई व्यावहारिक बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रश्न मैंने किया है उसका उत्तर आप दिलवायें कि वह कौन सी परिस्थितियां थीं और उसके लिए कौन लोग दोषी हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो न्यायालय तय करेगा। आप कहते हैं कौन सी परिस्थितियां हैं और कौन दोषी हैं तो फिर शेष क्या रह जायेगा दुण्ड देना शेष रह जायेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जब आप दोषी बता देंगे तो फिर न्यायिक जांच क्या करेगी (व्यवधान) श्रीमन्, इसलिए जब न्यायिक जांच के आदेश हो गये तो फिर उस पर बहस मुनासिब नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हम बहस नहीं कर रहे हैं टर्म आफ रेफरेंस के विस्तार के बारे में पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, चूंकि आपके अधिकार को चुनौती दी गयी है इसलिए मैं आपके ऊपर हमला नहीं देखूंगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि न्यायिक जांच के आदेश हो गये हैं तो प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ? तो वह अधिकार आपका है आपने प्रश्न की अनुमति दे दी तो फिर यह हमला आपके ऊपर है। मैं यह कहना चाहता हूं विनम्रतापूर्वक कि यह सरकार के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा दुनिया जानती है कि उसका आधार क्या रहा जो बातें हुईं गलत हैं या सही यह न्यायिक जांच बतायेगी। चर्चा यह है कि वहां पर जब घटना हो गयी उसके बाद जो उसकी पुनरावृत्ति हुई 4 लोग उसमें मारे गये, वह राज्य मंत्री जी के वक्तव्य के बाद मारे गये यह सच है या गलत न्यायिक जांच बतायेगी। यह सरकार के स्वास्थ्य के लिए, उसकी साख के लिए, उसकी ईमानदारी के लिए आवश्यक है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना आवश्यक है। यह स्वयं माननीय दीनानाथ भास्कर जी के

बयान को जांच की परिधि में ले आये, फिर हमें कोई सबूत देना नहीं पड़ेगा हम लोग अपने आरोप वापस ले लेंगे ।

जब न्यायिक जांच से साबित हो जाये कि मंत्री जी के बयान से दंगा भड़का तो फिर यह सरकार का दायित्व हो जाता है कि ऐसे मंत्री को मंत्रि-मण्डल से बरखास्त करेंगे । इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि सरकार की साख के लिए, स्वच्छ और निष्पक्ष प्रशासन के लिए यह आवश्यक है और जनता को विश्वास दिलाने के लिये मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्री ज़ी दें कि क्या दीनानाथ भास्कर जी ने जो वक्तव्य दिया उसे जांच की परिधि में रखेंगे या नहीं ? यह सीधा प्रश्न है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, आपके अधिकारों को चुनौती देने का हम दुस्साहस नहीं कर सकते हैं । हमने तो आपसे अनुरोध किया था और पुरानी परम्पराओं का हवाला दिया था कि जिस मामले में न्यायिक जांच के आदेश हो जाते हैं उस पर यहां सदन में चर्चा करने की परम्परा नहीं रही है ।

जहां तक श्री तिवारी जी ने राज्य मंत्री के संबंध में कहा है कि तो हम उनके बयानों के कारण कोई उत्तेजना मानते ही नहीं हैं, तो उसको जांच की परिधि में लाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है ।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी बड़े वाक्पटु हैं और हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि "सावन के अन्धे को हरा ही हरा दिखता है" (व्यवधान) लेकिन वह तो धृतराष्ट्र बने सरकार में बैठे हैं (व्यवधान) धृतराष्ट्र के कारण ही महाभारत हुआ था और वही हाल इस सरकार का होने वाला है ।

मान्यवर, सरकार ने आश्वासन दिया कि तीन महीने में जांच पूरी करा लेंगे, तो मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि न्यायिक जांच में तीन महीने से एक दिन भी इधर-उधर नहीं होगा और वह फिर एक दिन भी क्या समय नहीं बढ़ायेंगे और जनता के सामने सच्चाई लायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य सरकार में रह चुके हैं । हमने कहा है कि तीन महीने में जांच रिपोर्ट प्राप्त करने की अपेक्षा व्यक्त किया है । अब इस पर विश्वास नहीं है तो हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है । एक दिन इधर या उधर की कोई बात नहीं है । तीन महीने की बात कहा है, इसलिए यह पर्याप्त है।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे जिससे व्यवधान बना रहा)

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने कांग्रेस दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, राज्य मंत्री के भाषण के कारण क्षेत्र में आज भी तनाव है और राज्य मंत्री वहां विषाक्त वातावरण पैदा कर रहे हैं और मंत्री जी स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिगर्मन करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त भी अपने दल भाजपा के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

चकबन्दी विभाग में अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

**2–श्री शिव राम सिंह कुशवाहा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी तथा उसके ऊपर के विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति से भरे जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? क्या बड़ी संख्या में रिक्त पदों के कारण जनहित के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)–

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के 28 पद, सहायक संचालक चकबन्दी के 11 पद, उप संचालक चकबन्दी के 13 पद, संयुक्त संचालक चकबन्दी का 1 तथा अपर निदेशक चकबन्दी (तकनीकी) का 1 पद स्वीकृत है।

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के 26 पद, सहायक संचालक चकबन्दी के 11 पद, उप संचालक चकबन्दी के 12 पद, संयुक्त संचलक चकबन्दी का 1 पद एवं अपर निदेशक चकबन्दी (तकनीकी) का 1 पद रिक्त है।

इन रिक्तियों से जनहित के कार्य पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि इन रिक्तियों के विरुद्ध पी० सी० एस० संवर्ग के अधिकारियों की नियुक्तियां जनपदों में की गयी हैं तथा अवशेष कार्य एवं उपलब्ध अधिकारियों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि जनहित का कार्य प्रभावित न हो सके।

चकबन्दी आयुक्त से पात्र अधिकारियों के विवरण एवं सेवा अभिलेख मांगे गये हैं तथा पात्र अधिकारियों की गोपनीय प्रविष्टियां एवं अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त शीघ्र परीक्षण करके प्रोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

(अ० ता० प्र० सं०–2 का मूल उत्तर पढ़े जाने के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा–

चन्दौली में किये गये अपराधों में यही लोग जिम्मेदार थे और वही लोग आज यहां इस तरह की बात कह और कर रहे हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वर्मा जी ने हमें लगता है बहुत ठीक पहचान की है इस बार।

श्री शिव राम सिंह कुशवाहा–

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के 28 पद, सहायक संचालक चकबन्दी के 11 पद, उप संचालक चकबन्दी के 13 पद, संयुक्त संचालक चकबन्दी का 1 पद तथा अपर निदेशक चकबन्दी का 1 पद सृजित है, इसमें से मात्र बन्दोबस्त अधिकारी के 2 पद भरे गये हैं, उप संचालक चकबन्दी के 11 पद ही भरे गये हैं, तो यह शेष पद कब से सृजित हैं और अब तक इनके भरे न जाने का क्या कारण हैं ? दूसरा मंत्री जी ने बताया है कि रिक्तियां पी० सी० एस० अधिकारियों के द्वारा भरी गयीं और उसका कोई प्रतिकूल असर काम पर नहीं पड़ा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, लगभग सभी पद रिक्त हैं, सभी पदों पर पी० सी० एस० अधिकारी नियुक्त नहीं किये गये हैं, तो इन अधिकारियों के अभाव में कितने मुकदमें कब से अभी तक लम्बित पड़े हैं और कब तक उनका निस्तारण कर दिया जायेगा ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है रिक्तियों का, तो मान्यवर, उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि दि० 3-5-94 और 5-4-94 को डी० पी० सी० की बैठक बुलायी गयी है, जिसमें इनके पदोन्नति के संबंध में निर्णय लिया जाना है। जहां तक यह जानना चाहा है कि मुकदमों के संबंध में तो जिला स्तर पर हमने उत्तर दे दिया है पी० सी० एस० अधिकारियों की नियुक्तियां जनपदों में की गयी हैं, उनसे हमारा कार्य चल रहा है और इससे जनहित में कोई बाधा नहीं आयी है।

श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, अभी मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आया है। पहले तो मैंने यह पूछा था (व्यवधान) दूसरा यह था कि कितने मुकदमें लम्बित हैं पदों के न भरने के अभाव में और तीसरा पूछा है कि जितने पद खाली हैं, उसमें से कितने पद सीधी भर्ती द्वारा और कितने पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं ? और जिन आरक्षित श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नति विद्वेश की भावना से प्रतिकूल प्रविष्टि होने के कारण निरस्त कर दी गयी है, क्या उनकी पत्रावली मंगवाकर अन्य निष्पक्ष एजेन्सी से जांच कराकर आरक्षित पात्र अधिकारियों की पदोन्नति करने का सरकार आश्वासन देगी ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

जो कुशवाहा जी की जिज्ञासा है अपने जनपद के बारे में और अधिकारियों की पदोन्नति के बारे में, तो जब तक अधिकारियों के अभिलेख जनपदों से नहीं आ जायेंगे, तब तक यह सम्भव नहीं है। उसके लिए हम जल्दी ही कारगर प्रयास कर रहे हैं, जिससे शीघ्र ही पदोन्नति कर दी जायगी।

श्री शिव राम सिंह कुशवाहा–

यह भी आप बतायें कि कब से पद सृजित हैं और क्यों अब तक नियुक्त नहीं किये गये हैं ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

हमारी सरकार यह पहली सरकार है जो इसके बारे में चिन्तित है। पहले से बहुत रिक्तियां पड़ी हैं। हमारी सरकार इन्हें शीघ्र भर रही है। जिलों से अभिलेख मंगाये गये हैं, आते ही अन्य प्रक्रिया पूरी करके शीघ्र ही यह कर लिया जायगा। जैसे ही आ जायेंगे कर ली जायगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद लखनऊ के अहिबरनपुर में पानी की आपूर्ति हेतु टंकी का निर्माण कराये जाने की मांग

*1–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के अहिबरनपुर, मौसमबाग, त्रिवेणीनगर आदि मुहल्लों को पानी की आपूर्ति खदरा में बनी टंकी से की जाती है जिससे इन मुहल्लों की दूरी अधिक होने के कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और यहां के नागरिकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो अहिबरनपुर में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (संत बक्श रावत)–

लखनऊ नगर के अहिबरनपुर, मौसमबाग, त्रिवेणीनगर आदि मोहल्लों को पानी की आपूर्ति खदरा में बनी टंकी से की जाती है। इसके अतिरिक्त त्रिवेणीनगर में निर्मित एक नलकूप से सीधे इस क्षेत्र में बिछी वितरण प्रणाली में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है खदरा में बनी टंकी से उक्त मोहल्लों की दूरी इतनी अधिक नहीं है, जिससे पेयजल की आपूर्ति में कठिनाई हो।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इन मोहल्लों की दूरी खदरा में निर्मित उच्च जलाशय से लगभग एक या 1, 1/2 किमी० ही है और इतनी दूरी के लिये अलग से पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

श्री राम कुमार शुक्ल–

माननीय नगर विकास मंत्री जी का सहयोग चाहता हूं। इस क्षेत्र में पानी की बड़ी किल्लत है। लोग एक बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं। यहां पर पानी की टंकी है। मान्यवर, जिसे उच्च जलाशय कहा गया है, यह जलाशय नहीं पानी की टंकी है। इससे दो किलोमीटर तक के लोगों को पानी दिया जा सके यह संभव नहीं है। मान्यवर, मेरा सहयोग के नाते एक और प्रश्न यह है कि खदरा में जो पानी की टंकी है और जो वर्तमान में सप्लाई की लाइन है जिससे इस क्षेत्र में पानी की सप्लाई हो रही है, उतना पानी नहीं उपलब्ध हो पाता है जितनी की आवश्यकता है। तो क्या वहां पर पानी की टंकी बनाकर या ट्यूब वैल लगाकर कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे अहिबरनपुर, मौसमबाग, त्रिवेणीनगर आदि इलाकों में पानी की समस्या का समाधान हो सके ? दूसरा प्रश्न यह है कि इसी टंकी के पास एक और टंकी दसियों साल से बनी हुई है। यह कभी चालू भी हुई है, या चल रही है, और अगर चालू नहीं है तो इसे कब तक चालू करवायेंगे ?

श्री संत बक्श रावत–

मान्यवर, अहिबरनपुर, मौसमबाग, त्रिवेणीनगर आदि मोहल्ले जिनके नाम उक्त प्रश्न में दिये गये हैं यह डिस्ट्रिक्ट–बी के अन्तर्गत आते हैं। मान्यवर, लखनऊ नगर को कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। इस डिस्ट्रिक्ट बी की जनसंख्या 1991 के अनुसार 2 लाख 70 हजार है। 2001 में यह 4 लाख 24 हजार आंकी गई है इनके लिये पानी वर्ष 91 में 76.40 एम०एल०टी० आंका गया है जो वर्ष 2001 में 122.17 एम०एल०टी० अनुमानित है। डिस्ट्रिक्ट बी के अन्तर्गत 36 नलकूप बने हैं। जल संस्थान के अनुसार इनसे 40 एम०एल०टी० और ऐशबाग वाटर वर्क्स से 30 एम०एल०टी० प्राप्त कराया जा रहा है इस प्रकार 70 एम०एल०टी० जल की आपूर्ति हो रही है। दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने टंकी के चालू न किये जाने के सम्बन्ध में कहा है, तो मान्यवर, इसको हम दिखवा लेंगे।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि उस क्षेत्र में पानी नहीं मिल रहा है उसके लिये कोई व्यवस्था करेंगे ? नया वाटर वर्क्स बना है, बनकर शुरू हो गया है नदी के इस पार का जितना पुराना लखनऊ है, उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है इसलिये क्यों न नया ट्रांस गोमती क्षेत्र भी इसमें शामिल कर दें वहां पर गरीब तबके के लोग रहते हैं। पानी न आने से उन्हें बहुत परेशानी होती है। वह हैण्ड पम्प भी लगवा सकते हैं। मान्यवर, इस पेयजल की समस्या का किस तरह से समाधान निकालेंगे ?

श्री संत बक्श रावत–

कुछ कमी अवश्य है, उसे शीघ्र दूर करेंगे।

"केसा" हरदुआगंज, ओबरा पारीक्षा, पनकी आदि प्रदेशों के विभिन्न बिजली घरों हेतु खदान से बुक किया गया लगभग 50 हजार बैगन कोयला गायब होने की शिकायत

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

क्या सरकार को जानकारी है कि "केसा" हरदुआगंज, ओबरा पारीक्षा, पनकी आदि प्रदेश के विभिन्न बिजली घरों हेतु कोयला खदान से बुक किया गया लगभग 50 हजार बैगन कोयला वर्षों बीत जाने के बाद भी गंतव्य तक नहीं पहुंचा और उक्त 70 करोड़ रुपये मूल्य का कोयला गायब कर दिये जाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो इस प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

विभिन्न विद्युत गृहों से प्राप्त अद्यतन सूचनानुसार दिसम्बर 1993 के अन्त तक कोयला खदानों से विद्युतगृहों को बुक किये गये बैगनों में से 43943 बैगन कोयला, जिनका मूल्य 62.40 करोड़ रुपये बनता है, गन्तब्य तक नहीं पहुंचे। विद्युत गृह वार गुमशुदा बैगनों की स्थिति निम्नवत् है :–

विद्युत गृह का नाम	गुमशुदा बैगनों की संख्या	धनराशि (करोड़ों में)
1–ओबरा तापीय विद्युत गृह	6599	10.28

विद्युत गृह का नाम	गुमशुदा बैगनों की संख्या	धनराशि (करोड़ों में)
2–पारीक्षा तापीय विद्युत गृह	3440	6.20
3–पनकी तापीय विद्युत गृह	9970	22.39
4–हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह		
(i) "अ" विद्युत गृह	2253	6.44
(ii) "ब" विद्युत गृह	11563	4.68
5–टांडा तापीय विद्युत गृह	796	2.03
6–रिवरसाइड पावर हाउस, केसा, कानपुर	9322	10.38
योग ..	43943	62.40

परिषद्, रेलवे से उपर्युक्त गायब बैगनों को प्राप्त करने के लिये सतत प्रयलशील है, जिसके लिये समय-समय पर रेलवे के पास दावे दायर किये जा चुके हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा यह जो 62.40 करोड़ का 43943 वैगन कोयला विद्युत गृहों के लिये बुक हुआ था। यह जो इतना बड़ा घपला है यह कब प्रकाश में आया और प्रकाश में आने के बाद इस स्कैन्डल का पर्दाफाश करने के लिए यह जो भी कहिए जालसाजी के अन्तर्गत कोयला गायब कर दिया गया। इस कोयले को प्राप्त करने के लिये राज्य विद्युत परिषद् और राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई और उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मोटे तौर पर इस प्रश्न को ऐसे कहा जाएगा तो यह समझा जाएगा कि इतना कोयला गायब हो गया, गबन हो गया। हमारा विद्युत विभाग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मान्यवर, कोयले का डायवर्जन हो जाता है जो कोयला हमारे स्टेट का वहां से चलता है कभी-कभी वह डायवर्ट होकर दूसरे स्टेट को चला जाता है। हम भी कोशिश करते हैं और दूसरे स्टेट को कोयला डायवर्ट होकर हमारी स्टेट में आ जाता है। कोयले का डायवर्जन हम नहीं करते हैं रेलवे करता है।

श्री ऊदल–

क्या इस संबंध में जानकारी की गयी कि कितने वैगन का डायवर्जन कहां हो गया इसकी सूचना भारत सरकार या रेलवे को यह बताया गया। बैगन बुक हुई उसमें कितने बैगन कोयला उत्तर प्रदेश के विद्युत गृह को प्राप्त हुआ है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जवाब पूरा पढ़ा नहीं गया पढ़ा मान लिया गया इसमें 43 हजार 943 बैगन प्राप्त नहीं हुये हैं जिसका मूल्य 62.40 करोड़ है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जिस हल्के ढंग से उत्तर दिया गया है यह सही नहीं है यह मामला बहुत ही गम्भीर है । मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा । डायरेक्टर आफ मूवमेंट एलाट करता है । आल इंडिया भारत सरकार इतनी सजग है कि वह जो आवंटन या कर्जा देती है उसमें पहले कोयले का पैसा काट लिया जाता है पहले ड्राफ्ट लिया जाता है तब कोयला जाता है । जिस समय डायरेक्टर आफ मूवमेंट द्वारा वहां से बैगन चली, आपने भी पढ़ा होगा मामला समाचार पत्रों से उजागर हुआ था तापीय विद्युत गृह कोयले की वजह से बन्द हो जाते हैं । जिसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट हो जाता है । इस गम्भीर बात को ध्यान में रखकर बिजली बोर्ड ने कोई व्यवस्था नहीं की । डायरेक्टर आफ मूवमेंट ने वहां बैगन एलाट कर दिया, तो उसको परसू करने में शिथिलता क्यों बरती गई ? बिजली बोर्ड ने इसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की ? वर्तमान में जो व्यवस्था है, उसका उल्लंघन क्यों किया गया ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है, उसमें तो यही है कि रेलवे उसका डाइवर्जन करता है, हमारा उसमें कोई काम नहीं होता है । जब कहीं बैगन डायवर्ट हो जाता है, तो विद्युत विभाग उसके लिए कोशिश करता है । दूसरे स्टेट के बैगन को अपनी तरफ डायवर्ट करा लिया जाता है । श्री गुप्ता जी ने सर्टीफिकेट दे दिया कि हमारे ऊपर कोई पैसा नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

कोयले के बारे में तो भारत सरकार का कोयला विभाग इतना स्ट्रिक्ट होता है कि हमारा पैसा बकाया होता है, तो वह ग्रान्ट्स में कटौती कर लेते हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह डायवर्जेशन सिस्टम हमारे बस में नहीं है । इसके लिए कोशिश होती है कि जो दूसरे स्टेट में कोयला जा रहा होता है, उन बैगनों को हम अपनी तरफ मोड़ लेते हैं निगोशिएशन करके ।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस कोयले का जिक्र यहां पर उठा है वह कोयला किस तारीख को बुक कराया गया था ? यह अभी तक नहीं पहुंचा है गन्तव्य तक, कितने वर्ष इसमें लगे, इसकी जानकारी मंत्री जी दे दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

कोयले की डिमाण्ड बराबर जाती रहती है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

जिस कोयले से सम्बद्ध यह 62 करोड़ 40 लाख का घोटाला है, वह कोयला कब बुक कराया गया था ? उस तारीख से लेकर आज तक कितने साल हो गए ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसको घोटाला कहना ही उचित नहीं है । यह घोटाला है ही नहीं । हमने जितने बैगन मंगाए थे, वह दूसरे स्टेट को डायवर्ट हो गए । दूसरे स्टेट में जो बैगन जा रहे थे, उनको इस प्रदेश में डायवर्ट करा लिया गया । तो यह दूसरे प्रदेश के लिए घोटाला है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मंत्री जी कह रहे हैं कि दूसरे स्टेट का कोयला इधर डायवर्ट करा लिया गया है । तो माननीय मंत्री जी उन स्टेट्स का नाम बता दें ? किन-किन स्टेट का कोयला हमारे प्रदेश के लिए डायवर्ट करा लिया गया है ? माल किस तारीख को बुक कराया गया ? इसका पेमेंट हुआ है कि नहीं ? मंत्री जी हमारे सवालों का तोड़-मरोड़ कर उत्तर दे रहे हैं ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उस संबंध में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं । जब हम कोयला खरीदते हैं, तो उसका पहले से ही पेमेंट कर देते हैं । पहले से पेमेन्ट करने के पश्चात् ही कोयला हमें मिलता है। कोयला कहीं डायवर्ट न हो जाए इसके लिये निगरानी रखने के लिये एक व्यक्ति वहां लदान के वक्त नियुक्त रहता है, जिसको काफी पैसा पेमेंट किया जाता है । वह सुनिश्चित करता है कि कोयले की क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक हो । कोयला गन्तव्य स्थान तक पहुंचा है कि नहीं ? तो मंत्री जी बतायेंगे कि जब पेमेंट पहले से ही कर दिया गया, तो उस व्यक्ति, कांट्रेक्टर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी कि नहीं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैंने अर्ज किया कि यह हमारी मजबूरी है कि पैसा पहले अदा कर दिया जाता है लेकिन इस संबंध में रेलवे बोर्ड के साथ एक बैठक 31 दिसमबर, 93 को हुई थी और उस बैठक में यह यकीन देहानी करायी गयी थी कि अब इस तरह की शिकायत नहीं होगी और मार्च, 94 के आखिर तक जितना कोयला मांगा था, वह हमारा सारा कोयला दे दिया जायेगा । हम रेलवे बोर्ड की यकीन देहानी पर भरोसा कर सकते हैं । मैंने जैसा पहले कहा था कि दूसरी स्टेट्स में हमारा कोयला चला जाता है और दूसरी स्टेट का कोयला भी डायवर्ट होकर हमारे यहां आता है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जब कोयले के वैगन हमारे यहां आते हैं और कोयला उतारने में विलम्ब होता है तो हमें डैमरेज देना पड़ता है । रेलवे बोर्ड को जो हम बिजली सप्लाई करते हैं उसका भी पेमेन्ट होता है । रेलवे बोर्ड का जो हम पर बकाया होता है उस पर भी इंटरेस्ट भी लेता है । जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि दूसरे राज्य का कोयला हमारे यहां आता है ऐसा नहीं है । रेलवे बोर्ड ने जो कोयला भेजा और वह हमारे

यहां नहीं पहुंचा और विद्युत उत्पादन में क्षति हुई इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? इस कोयले का जो पेमेंट किया गया है वह कब किया गया है और उस पेमेंट के बाद कितना कोयला पहुंचा है तथा इस कोयले के गायब होने में जिसका उत्तरदायित्व है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं कई बार बता चुका हूं कि यह बात बिल्कुल सही है कि जिस चीज का हम पैसा देते हैं वह हमें वक्त पर मिल जानी चाहिए। जो कोयला भेजा गया उसको डायवर्ट कर दिया गया जिससे वहां यहां नहीं पहुंचा। यह हमारी मजबूरी है, हमारे अपने रेलवे ट्रेक्स, रेलवे लाइन्स नहीं हैं। रेलवे बोर्ड की वजह से ऐसा हो जाता है। इसके लिये हम कोशिश करते हैं और इसी वजह से दूसरे स्टेट का कोयला हमारे यहां भी डायवर्ट होता है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे हैं कि रेलवे वैगन्स गायब होते हैं तो उनको प्रयास करके वापस लाते हैं। जो आपके वैगन गायब हो गये उस संबंध में रेलवे बोर्ड को आपने कितना दावा प्रस्तुत किया है और उसके संबंध में जो आपने कार्यवाही की है वह क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, 43934 वैगनों का हमारा दावा है जो हमें नहीं मिले हैं और उसकी रकम है 62 करोड़ 40 लाख। इस संबंध में हमारा प्रयास बराबर जारी है।

श्री जगदम्बिका पाल–

कदाचित हमारा प्रश्न मंत्री जी समझे नहीं हैं। आपके 43943 वैगन गायब हैं उसमे से आज तक कितने वैगने वापस हुए।

(उत्तर के लिये मा० मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री रवीन्द्र प्रताप शुक्ल–

माननीय मंत्री जी उत्तर को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति का माल रेल से आने में रास्ते से गायब हो जाता है वह क्षतिपूर्ति का दावा करता है और रेलवे उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करती है। आपको जिस समय कोयला चाहिए था उस समय नहीं पहुंचा जिससे आपका नुकसान हुआ और कई बार तो कोयले की कमी से विद्युत इकाइयां बन्द भी हुईं। प्रदेश को यह जो करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है उसके लिये रेलवे बोर्ड में आपने क्षतिपूर्ति का कोई दावा किया या आपने कोई नोटिस दिया है ?

श्री मोहममद आजम खां–

मान्यवर, बराबर हम अपनी मांग करते हैं। दावे हमारे पेश हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे, जिससे घोर व्यवधान रहा)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, उत्तर नहीं आया ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, असली बात यह है कि माननीय मंत्री जी जवाब इसलिये नहीं दे रहे हैं, लगता यह है कि वहां पर जो करोड़ों रुपये का कोयला बेचा गया है, उसमें माननीय मंत्री जी का भी कोई परसेंटेज है ।

(घोर व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें चर्चा करा दी जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, मुझे एक अवसर दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, नहीं, आप बैठिये ।

जनपद लखनऊ में टैम्पो चालकों व सिटी बसों द्वारा यात्रियों से जबरदस्ती बढ़ा हुआ किराया वसूल किये जाने सम्बन्धी शिकायत

*3–श्री विश्वनाथ-तथा श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना (अनुपस्थित)–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि सरकार द्वारा टैम्पों व लखनऊ सिटी बस के किराये में वृद्धि न किये जाने हेतु सरकार द्वारा बार-बार घोषणा हो रही है किन्तु इसके बावजूद भी टैम्पो चालक व लखनऊ सिटी बस द्वारा बढ़ा हुआ किराया यात्रियों से जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या प्रभावी कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री आर० के० चौधरी)–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टैम्पो चालकों व सिटी बसों द्वारा वसूल किये जा रहे किराये की दरों पर निगरानी रखी जा रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत समस्त खण्डों/प्रदेय उपक्रमों का 1-4-88 से प्रश्नगत कम्प्यूटर बिलिंग रिपोर्ट का आडिट ए० जी० आडिट इलाहाबाद से कराये जाने की मांग

*1–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत समस्त खण्डों/प्रदेय उपक्रमों (अन्डर टेकिंग) का पिछले 5 वर्षों में (1-4-88) से कम्प्यूटर बिलिंग से संबंधित कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया गया रिपोर्ट सं०–03, 04, 05 एवं 06 का आडिट किया गया है ? यदि हां, तो क्या आडिट करने वाले अधिकारियों ने रिपोर्ट सं०–03 में दर्शायी गयी एवं घटाई गयी धनराशियों के जोड़ व सारांश से मिलान कराया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन समस्त अभिलेखों को सील करके ए० जी० आडिट इलाहाबाद से कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

जी हां, ए० जी० आडिट पार्टी, परिषद् की राजस्व निरीक्षण इकाई एवं आंतरिक सम्प्रेक्षा इकाई द्वारा परिषद् के समस्त खण्डों/उपक्रमों के सभी रिकाई्स समग्र रूप से आडिट किये जाते हैं।

जी हां। आडिट पार्टियों द्वारा सभी अभिलेखों/आंकड़ों का सम्यक् अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, अभी आपने उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् के कारनामें देख लिया, 49 करोड़ रुपये की पूंजी लगाकर पिछले 10 वर्षों में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले किये गये हैं और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की 50 करोड़ रुपये की प्रति माह क्षति हो रही है, मान्यवर, इन्होंने कहा कि ए० जी० आडिट पार्टी, परिषद् की राजस्व निरीक्षण इकाई एवं आंतरिक सम्प्रेक्षा इकाई द्वारा परिषद् के समस्त खण्डों/उपक्रमों के सभी रिकाई्स समग्र रूप से आडिट किये जाते हैं और दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि आडिट पार्टियों द्वारा सभी अखिलेखों/आंकड़ों का सम्यक् अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। मान्यवर, हमने जो प्रश्न पूछा है, इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि यह आडिट जो किया गया है, यह कब तक का किया गया है ? जो मैंने मांग किया है 3, 4, 5, 6, इसमें जो आडिट रिपोर्ट है, उसमें क्या कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है और वह रिपोर्ट क्या है ? और दूसरी बात यह कि अगर मंत्री जी के सारे अभिलेख सही हैं, तो ए० जी० से आडिट कराने में क्या दिक्कत है ? इस मामले में काफी घपला हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर विभागीय जांच करायी गयी है तो भी ए० जी० से जांच कराने में क्या दिक्कत है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, विद्युत विभाग का आडिट सिस्टम अपना है और ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि ए० जी० से आडिट कराया गया हो। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बात को छिपाना चाहता हूं। मान्यवर, ऐसा प्रश्न पहले भी आया था और जो शिकायत है वह बहुत हद तक सही है। मैंने कहा था कि गलत बिलिंग रोकने के लिये एक दो महीने का समय चाहिए। उसे हम पूरा कम्प्यूटराज्ड कर रहे हैं। बिल जो

बनेगा उसकी मेमोरी रहेगी और जो व्यक्ति बिल बनायेगा उसका भी नाम उसमें रहेगा । अगर कोई करेक्शन किया जाता है और जिस व्यक्ति द्वारा करेक्शन किया जाता है, उसका भी नाम रहेगा, जिससे पता रहेगा कि कौन आदमी बार-बार करेक्शन कर रहा है, उसे आसानी से पकड़ा जा सकेगा और अगर आपको कोई खास शिकायत हो तो अलग से लिखकर दे दें, उसे देखा जा सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को माननीय मंत्री जी ने बड़े हल्के ढंग से लिया है । आप देखें कि पिछले 5 वर्षों में कम्प्यूटर बिलिंग से सम्बन्धित कम्प्यूटर द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट का आडिट किया गया है, तो इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है कि जी हां । और फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि यदि हां, तो क्या आडिट करने वाले अधिकारियों ने रिपोर्ट में दर्शायी गयी एवं घटाई गयी धनराशियों के जोड़ व सारांश से मिलान कराया था, तो आपने सिस्टम की जानकारी दे दी । माननीय मंत्री जी के पास आडिट रिपोर्ट भी होगी । आपने उसका उत्तर दिया है, जी हां । तो रिपोर्ट क्या है, उनको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय गुप्ता जी के पास ऐसा विभाग रहा है जिससे वह आडिट सिस्टम से वाकिफ हैं । मान्यवर, आडिट में किसी एक बिन्दु पर रिपोर्ट नहीं आती है । अगर किसी एक विभाग का आडिट होता है, तो उसमें आडिटर यही देखता है कि यह कमी है और यह कमी नहीं है । एक-एक बिन्दु पर आडिट नहीं होता है । इसके अलावा जो टेक्निकल प्रश्न है, 03 में कम्प्यूटर में जो सूचना दी गयी है, उसको दर्शाता है, मास्टर डाटा क्या है, यह 04 दर्शाता है और इसमें क्या कमी है यह 06 दर्शाता है । मान्यवर, आडिट में कोई कमी नहीं पायी गयी, यह कम्प्यूटर ने बता दिया है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मेरा आरोप है कि इस पूरे प्रकरण में करोड़ों रुपये का घपला है । अगर समय देंगे तो मैं सारे कागजात दे दूंगा । जो पहले से व्यवस्था है, उसमें जो कमियां हैं, उनकी जांच के लिये क्या कोई उच्च स्तरीय जांच कराने की कृपा करेंगे और कब तक करायेंगे तथा उस कमेटी में कौन लोग रहेंगे, इसकी घोषणा कर दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई खास आप शिकायत देंगे तो जांच भी करवाऊंगा और किसी ऐसे अधिकारी से करवाऊंगा जिससे मैं मुतमईन हूं ।

[शुक्रवार, दिनांक 22-4-94 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ।

प्रदेश में चुंगी समाप्त होने के फलस्वरूप अधिकांश निकायों में उत्पन्न वित्तीय संकट को समाप्त करने की योजना

*1–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में चुंगी समाप्त होने के बाद अधिकांश स्थानीय निकायों के सामने वित्तीय संकट है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि वे समय से अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाती हैं ? क्या स्थानीय निकायों की इस दुर्दशा को दूर करने के लिये सरकार ने कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री संत बक्श रावत–

चुंगी की समाप्ति के फलस्वरूप शासन द्वारा चुंगी की क्षतिपूर्ति की जाती है और प्रतिवर्ष क्षतिपूर्ति 10% बढ़ाकर स्वीकृत की जाती है । अतः यह कहना कि प्रदेश में चुंगी समाप्त होने के बाद अधिकांश स्थानीय निकायों के सामने वित्तीय संकट है, उचित प्रतीत नहीं होता ।

प्रदेश की स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के समय से वेतन न मिलने के अनेक कारण हैं, जिसमें मुख्यतः स्थानीय निकायों द्वारा अपने संसाधनों में वृद्धि न करना, निकायों द्वारा आवश्यकता से अधिक अनाधिकृत नियुक्तियां करना एवं उसके फलस्वरूप अधिष्ठान व्यय में पर्याप्त वृद्धि होना है ।

स्थानीय निकायों में शासन द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तथा वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने के आदेश दिये गये हैं और इसकी समीक्षा जिला मजिस्ट्रेट, मण्डलायुक्त एवं निदेशक तथा शासन स्तर पर आयोजित बैठकों में की जाती है । साथ ही शासन द्वारा भी पथकर/चुंगी की क्षतिपूर्ति की जाती है तथा वेतन अंशदान एवं डैफिसिट स्थानीय निकायों को तदर्थ अनुदान भी दिया जाता है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हर पग पर यह सरकार दलितों के उत्थान की दुहाई देती है और कहीं दो महीने, कहीं चार महीने, कहीं 6 महीने और कहीं आठ महीने सफाई कर्मचारियों को ये वेतन नहीं दे पाते हैं । माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में कहते हैं कि स्थानीय निकाय पर वित्तीय संकट नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ दो बातों की जानकारी करना चाहता हूं । पहला प्रश्न यह है कि पूरे प्रदेश में 690 स्थानीय निकाय हैं इनमें से कितने स्थानीय निकाय ऐसे हैं जहां पर मार्च, 1994 का वेतन अदा कर दिया गया है और दूसरा प्रश्न यह है कि शाहजहांपुर में दो महीने से वेतन अदा नहीं किया गया है और 40 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं । इस संबंध में मैंने नियम 51, नियम 56 के तहत और नियम 301 के तहत दिया है और उस पर आपने शासन का ध्यान भी आकृष्ट किया है परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । 6 महीने से ज्यादा शाहजहांपुर में सफाई कर्मचारियों का वेतन बाकी है और 40 दिन हड़ताल के पूरे हो गये हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इस संदर्भ में स्पष्ट आश्वासन देंगे कि सफाई कर्मचारियों का वेतन तुरन्त दे दिया जायेगा ?

श्री सन्त बक्श रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, कर्मचारियों को समय से वेतन दिया जा सके इस कारण शासन द्वारा.....

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि 690 में से कितने ऐसे स्थानीय निकाय हैं जहां पर मार्च, 94 तक का वेतन दे दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री सन्त बक्श रावत–

यह तो व्यापक प्रश्न है, इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाने दें । मैंने शाहजहांपुर के संबंध में आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर कई स्तर पर सूचनाएं दी हैं और आप ध्यान आकृष्ट कर चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपको पुनः अवसर दे दूंगा ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, जो नगरपालिका और टाउन एरिया को चुंगी से क्षति हुई है ।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, शाहजहांपुर नरक बन चुका है वहां 40 दिन से हड़ताल चल रही है उनका 6 महीने से ज्यादा का वेतन बकाया है इस संबंध में माननीय मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि कब तक वेतन दे देंगे ताकि हड़ताल समाप्त हो सके ? पिछले साल वेतन न मिलने से 100 लोगों से ज्यादा तेन्दू बुखार और वायरल बुखार से मर गये थे ।

श्री सन्त बक्श रावत–

मान्यवर, वैसे तो प्रश्न पूरे प्रदेश के लिये माननीय सदस्य ने किया है, जहां तक शाहजहांपुर का प्रश्न है, यह धनराशि जो अवमुक्त की है 154 करोड़ की इसमें शाहजहांपुर भी शामिल है ।

(श्री राम आसरे वर्मा को पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, 690 स्थानीय निकायों में से अधिकांश की स्थिति ऐसी है कि वह वेतन देने की स्थिति में नहीं हैं । सरकार द्वारा जो पैसा स्थानीय निकायों को दिया जाता है, वहां वेतन बांटने की स्थिति नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न ही करेंगे या उत्तर भी सुनेंगे ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरे दो स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं । शाहजहांपुर के सफाई कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, वह कब तक मिलेगा ? दूसरे, वहां 40 दिनों से हड़ताल चल रही है, उसके बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

श्री सन्त बक्श रावत–

मानयवर, पिछले वर्ष जो क्षतिपूर्ति दी गयी है वह 140 करोड़ रुपये की थी, इस साल जो क्षतिपूर्ति दी गयी है वह 154 करोड़ रुपये की है जिसमें शाहजहांपुर भी शामिल है । अगर कोई विशेष सूचना देंगे तो अलग से दिखवा लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पिछले 6 महीने का वेतन कब मिलेगा यह नहीं बताया ?

श्री अध्यक्ष–

अब अगला प्रश्न लेता हूं । तारांकित प्रश्न संख्या–2 श्री राम कुमार शुक्ल ।

(इसी मध्य श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री सुधीर कुमार बालियान व भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और श्री सुरेश कुमार खन्ना कहने लगे कि बकाया वेतन के संबंध में स्पष्ट आश्वासन दिलाया जाय ।)

अगला प्रश्न लेते हैं । प्रश्न संख्या–3 श्री श्याम देव राय चौधरी ।

(सदन के फ्लोर से खड़े होकर श्री सुधीर कुमार बालियान कहने लगे कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाय)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर वापस जायं । मैं सदन को 12.20 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 3 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी)

जनपद लखनऊ पश्चिम के त्रिवेणीनगर वार्ड में नालों के निर्माण संबंधी

*2–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ पश्चिम के त्रिवेणीनगर वार्ड में नालों का निर्माण कार्य की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ड्राइविंग लाइसेन्स की वर्तमान पद्धति में संशोधन पर विचार की जानकारी

*3–श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की वर्तमान पद्धति में कुछ संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो संशोधन किस प्रकार अधिक प्रभावी होगा और कब तक प्रभावी होगा ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा नगर में प्रदूषित यमुना नदी के जल का शोधन एवं परीक्षण

*4–श्री रमेश कान्त लवानिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा नगर में जल सम्पूर्ति हेतु मात्र स्रोत यमुना नदी का जल, वर्ष के लगभग नौ माहों की अवधि में अल्प मात्रा में अति प्रदूषित रूप में प्राप्त होता है ? क्या इसी जल से नगर की जल सम्पूर्ति की व्यवस्था संचारित की जाती है ? यदि हां, तो शासन स्तर पर इस समस्या के हल के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

आगरा नगर की पेयजल आपूर्ति हेतु कच्चे जल का एक मात्र स्रोत यमुना नदी है । वर्षा ऋतु के महीनों को छोड़कर वर्ष के शेष अवधि लगभग 9 महीनों में यमुना नदी का उत्प्रवाह काफी कम हो जाता है, क्योंकि इसका सम्पूर्ण जल प्रवाह दिल्ली में ही रोक लिया जाता है और आगरा नगर को जो कच्चा जल प्राप्त होता है वह अपर्याप्त के साथ-साथ अत्यधिक प्रदूषित भी होता है ।

यमुना नदी से प्राप्त कच्चे जल के शोधन पर रात दिन विशेष नियंत्रण रखा जाता है । कच्चे जल में आवश्यकतानुसार एलम तथा क्लोरीन आदि रसायनों का मिश्रण सुनिश्चित करने हेतु हर दो-दो घंटे बाद प्री क्लोरीनेशन व पोस्ट क्लोरीन में फ्री रेजीडुअल क्लोरीन का परीक्षण किया जाता है । नगर में जल की गुणता पर समुचित नियंत्रण के उद्देश्य से नगर के विभिन्न सार्वजनिक नलों पर ओ० टी० परीक्षण किया जाता है । ओ० टी० परीक्षण वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से भी किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थैलीसैंण, वीरोखाल, पोखड़ा तथा खिर्सू के कतिपय गांवों को विद्युतीकृत किये जाने की मांग

*5–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थैलीसैंण, वीरोखाल, विकास खण्ड पोखड़ा, विकास खण्ड खिर्सू के उन गांवों को कब तक विद्युतीकृत किया

जायेगा, जो अभी तक विद्युत लाइन से वंचित हैं ? उपरोक्त विकास खण्डों में ऐसे कितने गांव हैं जिनके विद्युतीकरण हेतु टेण्डर तो आमंत्रित किये गये हैं किन्तु वर्षों से उन पर कार्य नहीं हुआ है ? क्या इन योजनाओं पर निश्चित अवधि के अन्दर कार्य पूरा होगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पौड़ी (ग) के अन्तर्गत विकास खण्ड वीरोखाल, पोखड़ा एवं खिर्सू के उन गांवों का विद्युतीकरण जो अभी तक विद्युत लाइन से वंचित हैं, सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति के द्वारा चयनित होने तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

विकास खण्ड वीरोखाल में 5 गांवों के विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1993-94 में टेण्डर आमंत्रित किये गये थे । इन गांवों का कार्य वर्ष 1994-95 तक पूर्ण होने की सम्भावना है । विकास खण्ड पोखड़ा में किसी भी गांव के विद्युतीकरण हेतु कोई टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये थे तथा विकास खण्ड खिर्सू के 2 गांवों के विद्युतीकरण हेतु 1993-94 में टेण्डर आमंत्रित किये गये हैं जिनका कार्य प्रगति पर है और शीघ्र कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है ।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम रायमा के मजरों में विद्युतीकरण न किये जाने के कारणों की जानकारी

*6–श्री बदन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम रायमा का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो उसके मजरों नगला लालदास, नगला पूरना अदि का भी विद्युतीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम रायमा का विद्युतीकरण 3/83 में किया जा चुका है । मजरों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

नगरपालिका मुगलसराय के पटेलनगर में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

*7–श्री छब्बू पटेल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि मुगलसराय नगरपालिका द्वारा विद्युत विभाग को दस लाख रु० विद्युतीकरण हेतु दिया गया था, परन्तु अभी तक मुगलसराय, पटेलनगर में विद्युतीकरण नहीं किया गया ? उक्त स्थानों का विद्युतीकरण कब तक होगा ? क्या उक्त धनराशि विद्युत विभाग द्वारा सूद सहित नगरपालिका को वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । पटेलनगर (मुगलसराय) का विद्युतीकरण 12/93 में कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में कैन्ट रोड के पास हैदर कैनाल के ऊपर कैन्टोनमेन्ट सड़क पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल के मरम्मत की मांग

*8–आचार्य जगदीश मुनि–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ कैन्ट रोड पुराना किला, निकट प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग तथा मस्जिद के पास हैदर कैनाल के ऊपर की कैन्टोनमेन्ट सड़क पर स्थित पुल क्षतिग्रस्त हो गया है ? क्या मंत्री जी उक्त पुल की मरम्मत शीघ्र करवाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

पुल की मरम्मत करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऋण माफी योजना के अन्तर्गत माफ की गयी धनराशियों की विगत सरकार द्वारा ब्याज के साथ वसूल किये जाने की शिकायत एवं उसकी वापसी की मांग

*9–श्री विश्वनाथ–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपने पूर्व कार्यकाल (1989–1991 तक) की अवधि में उन्होंने किसानों के 10 हजार रुपये तक ऋण माफ किये थे ? यदि हां, तो क्या शासन को जानकारी है कि उक्त माफ किये गये ऋणों को बैंकों द्वारा ब्याज सहित किसानों से नकद तथा उनकी सम्पत्ति को कुर्क करके वसूल कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार छोटे काश्तकारों का ऋण पुनः माफ करने तथा बैंक द्वारा वसूली गयी धनराशि मय ब्याज उन्हें वापस कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां, दस हजार रुपये तक के ऋण माफ करने का निर्णय 1990-91 में लिया गया था ।

सहकारिता क्षेत्र में 60 जनपदों से माफ किये गये ऋण की वसूली न किए जाने की पुष्टि की जा चुकी है तथा शेष तीन जनपदों से पुष्टि कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*10–श्री बच्ची सिंह रावत–

[14वें बुध० में तारा० प्रश्न सं० 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*11–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[11वें बुध० में ता० प्र० सं० 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायां में अनुसूचित जाति की बस्तियों के विद्युतीकृत किये जाने की मांग

*12–श्री चेतराम–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पुवायां, जनपद शाहजहांपुर के कितने ऐसे गांव हैं जिनमें विद्युतीकरण हो चुका है लेकिन अनुसूचित जातियों की बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या उक्त छूटी अनुसूचित जातियों की बस्तियों में विद्युतीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? ऐसे कितने ग्राम शेष बचे हैं जिनमें विद्युतीकरण होना बाकी है एवं कितनी ऐसी बस्तियों के ग्रामों में विद्युतीकरण किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद शाहजहांपुर के पुवायां तहसील में 221 ग्रामों का विद्युतीकरण एल०टी० मेन्स द्वारा 3/93 तक किया गया तथा इन ग्रामों में 283 अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण 3/93 तक किया गया । पुवायां तहसील में 518 आबाद ग्राम शेष बचे हैं जिनका विद्युतीकरण होना है । इन ग्रामों के विद्युतीकरण के साथ-साथ अनुसूचित जाति बस्तियों के भी विद्युतीकरण किये जाने की योजना है ।

मथुरा नगर स्थित डा० अम्बेदकर पार्क के निर्माण की मांग

*13–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगर स्थित डा० अम्बेडकर पार्क डी गेट को सौन्दर्यीकरण के नाम पर माह अप्रैल, 93 में ध्वस्त किया गया था ? यदि हां, तो उसके सम्पूर्ण क्षेत्रफल के मुताबिक कब तक सौन्दर्यीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या डा० अम्बेडकर पार्क के आस पास स्वास्थ्य एवं सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से मांस एवं मदिरा की दुकानों को हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उसकी क्या दूरी होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जनता के अनुरोध पर मथुरा नगर स्थित डा० अम्बेडकर पार्क डीग गेट की बाउन्ड्री को माह अप्रैल में हटाया गया था ।

डा० अम्बेडकर पार्क के बगल से बहने वाली नाली को रोककर पीछे की ओर से ही मोड़ दिया गया है ताकि पार्क के सामने सफाई रह सके । हटाई गई बाउन्ड्री वाल को पुनः निर्माण कर लोहे का पक्का गेट लगा दिया गया है । इसके अतिरिक्त डा० अम्बेडकर की प्रतिमा के पीछे की दीवार को ऊंचा कर दिया गया है । रंगाई-पुताई आदि कराकर पार्क का कार्य पूरा किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

डा० अम्बेडकर पार्क के आस-पास मांस एवं मदिरा की दुकानों को हटाने की कोई योजना नहीं है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड–3 में स्थित पानी की टंकी से जल आपूर्ति व्यवस्था किये जाने की मांग

*14–श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड–3 में पानी आपूर्ति हेतु दो वर्ष पूर्व पानी की टंकी का निर्माण किया गया है परन्तु उक्त टंकी अभी तक चालू न होने के कारण वहां के निवासियों को पानी की अत्यन्त कठिनाई है ? क्या सरकार उक्त टंकी से पानी आपूर्ति की व्यवस्था तत्काल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत टंकी का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है किन्तु जलापूर्ति हेतु उसकी टेस्टिंग होनी है । क्षेत्र के आवंटियों को जलापूर्ति विभागीय नलकूप से की जा रही है । आवश्यक टेस्टिंग कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् ही जलापूर्ति किया जाना संभव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*15–श्री हरक सिंह रावत–

[14वें बुध० में ता० प्र० सं० 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों को विद्युत दिये जाने की नीति

*16–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् में प्रदेश भर में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या उनको छूट पर विद्युत उपभोग हेतु कनेक्शन अनुमन्य है ? यदि हां, तो कितनी छूट पर ? विद्युत चोरी रोकने की दृष्टि से क्या विभाग के नियंत्रक अधिकारी विभागीय लोगों के यहां मीटर लगे होने की पुष्टि करते हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अधिकारी–4721

कर्मचारी–94719

जी हां ।

विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पद के अनुसार एक अलग रियायती टैरिफ के अन्तर्गत "फ्लैट रेट टैरिफ" पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है । दरों का विवरण संलग्न है ।

"फ्लैट रेट टैरिफ" पर मीटर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है अतः विभागीय अधिकरियों/कर्मचारियों के यहां मीटर लगे होने की पुष्टि नहीं की जाती है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 169 पर)

सहकारी आवास समितियों के पंजीकरण पर लगी रोक से उत्पन्न स्थिति

*17–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि आवास आयुक्त के आदेश दिनांक 26 अगस्त, 93 द्वारा समस्त सहकारी आवास समितियों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि इस रोक के कारण सरकारी अर्ध सरकारी विभागों के कर्मियों की सहकारी आवास समितियों का भी पंजीकरण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी गुण-दोष के आधार पर आवास सहकारी समितियों के पंजीकरण किये जाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी आवास समितियों का पंजीकरण गुण-दोष के आधार पर किया जा रहा है ।

पंजीकरण पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर द्वारा वर्ष 1989 में दैनिक वेतन पर रखे गये परिचालकों को नियमित किये जाने की मांग

*18–श्री जगदम्बा सिंह, श्री विजेन्द्र सिंह, श्री ज्वाला प्रसाद यादव तथा श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर में मार्च/अप्रैल, 1989 में 143 परिचालकों की नियुक्ति की गयी थी, जिन्हें दैनिक वेतन पर रखा गया है ? क्या यह भी सही है कि इनके 240 दिन पूरे होने पर नियमानुसार इनकी नियमित नियुक्ति नहीं की गयी है और दूसरे क्षेत्रों के परिचालक गोरखपुर भेजे जा रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या उक्त परिचालकों के वेतन से ई० पी० एफ० एवं पी० एफ० आदि की कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो इनकी नियमित नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां । अभी तक केवल 07 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति दी जा चुकी है । क्षेत्रों से परिचालकों के स्थानान्तरण प्रशासनिक अथवा स्वयं के प्रार्थना पर किये गये हैं । इसके अतिरिक्त मा० न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तथा अपीलों में बहाल होने पर भी परिचालक उक्त क्षेत्र में तैनात किये गये । इन परिचालकों के वेतन से केवल ई० पी० एफ० की कटौती की जा रही है । स्वीकृत जनशक्ति के अन्तर्गत रिक्तियां होने तथा दैनिक वेतन भोगी के रूप में संतोषजनक कार्य की पुष्टि होने पर ही इनकी नियमित नियुक्ति पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना संभव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ नगर की क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराने की मांग

*19–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जलभराव के कारण अलीगढ़ नगर की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त व खराब हो गयी हैं, जो चलाने लायक नहीं रह गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को ठीक कराने तथा जलभराव के कारणों को दूर कराने का शीघ्र प्रयास करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

अलीगढ़ नगर की सड़कें जल भराव के कारण क्षतिग्रस्त एवं खराब हो गई हैं किन्तु ऐसा नहीं है कि चलने योग्य न हो । कहीं-कहीं जहां पानी भर गया था वहां गड्ढे हो गये ।

अलीगढ़ नगर को उसकी अनुमन्यता के आधार पर सड़कों, उससे किनारे की नालियों, बन्द नालियों तथा उसे सीवरेज से जोड़ने के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1993-94 में रु० 41.60 लाख साधारण सड़क अनुदान दिनांक 16-10-93 को एवं रु० 8.00 लाख का अतिरिक्त सड़क अनुदान दि० 4-11-93 को कुल रु० 49.60 लाख स्वीकृत किया जा चुका है ।

*20–श्री बी० आर० वर्मा–

[दि० 8-4-94 को ता० प्र० सं०–12 द्वारा उत्तरित]

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ पश्चिम में नालों की सफाई के कार्य में कथित घोटाले की जांच की मांग

i–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ पश्चिम में नालों की सफाई के कार्य में घोटाले के विषय में कोई जांच सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

वर्ष 1990-91 में नालों की सफाई के संबंध में एक आम शिकायत मा० विधान परिषद् सदस्य श्री अच्छे लाल बाल्मीकि द्वारा डा० पी० एस० सलूचा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध की गयी थी । इसकी जांच अपर स्वास्थ्य निदेशक, लखनऊ परिक्षेत्र द्वारा की जा रही है । अभी जांच का कार्य पूर्ण होने की सूचना नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के ओबरा तापीय परियोजना, सोनभद्र के अधीक्षक अभियन्ता (तृतीय) श्री आर० डी० एस० मौर्य के विरुद्ध जांच की मांग

2–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा तापीय परियोजना, सोनभद्र के अधीक्षण अभियन्ता (तृतीय) श्री आर० डी० एस० मौर्य द्वारा उनके कार्यकाल में कौन सा कार्य किस फर्म से और कब-कब कराया गया और कितना भुगतान हुआ ? क्या उक्त फर्म से इन कार्यों के कराने का आदेश अपने उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-1-94 जो कि अध्यक्ष, उ० प्र० रा० वि० प० को संबोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या परिषद् को हुई हानि की क्षतिपूर्ति कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

3–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने का कारण

4–श्री प्रणंत पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों को विद्युत कनेक्शन (पावर एवं घरेलू) लेने के लिये करोड़ों रुपया परिषद् के यहां जमा है ? यदि हां, तो अब तक यह कनेक्शन न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक कृषि एवं घरेलू कनेक्शन दिया जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है । भावी उपभोक्ताओं द्वारा सर्विस कनेक्शन चार्जेज, जमानत, सिस्टम लोडिंग चार्जेज आदि के रूप में धनराशि जमा किया जाता रहता है और उसके समक्ष उनको कनेक्शन निर्गत किये जाते रहते हैं । इस प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी भी समय स्तर पर परिषद् के पास ऐसे उपभोक्ताओं की धनराशि जमा रहना जिनको उपरोक्त समय स्तर तक कनेक्शन न दिया गया हो, स्वाभाविक है ।

जनपद मिर्जापुर में सीखड़ विकास खण्ड के बैरा ग्राम स्थित विद्युत सब स्टेशन पर लगे ट्रान्सफार्मर की क्षमता में वृद्धि करने की मांग

5–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सीखड़ विकास खण्ड (मिर्जापुर) के बैरा ग्राम स्थित विद्युत सब स्टेशन पर लगा ट्रान्सफार्मर विद्युत मांग व लोड की आवश्यकतानुसार पूरी क्षमता का है ? यदि

नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि यहां पर 4 फीडर लाइनों में से केवल दो फीडर लाइनें पूरी तरह से ठीक हैं तथा दो फीडर लाइन में कई वर्षों से ओ० बी० सी० तकनीकी खराबी है ? यदि हां, तो क्या ट्रान्सफार्मर की क्षमता में वृद्धि एवं फीडर लाइनों की तकनीकी खराबी को दूर किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक लाइनें ठीक कर दी जायेंगी ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र मंत्री जी को दिनांक 28-29 जनवरी, 94 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही अब तक की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

ट्रांसफार्मर के स्थापित होने के बाद विद्युत भार में वृद्धि हो गई ।

जी नहीं । 3 फीडर लाइनें पूर्ण रूप से ठीक हैं । एक की ओ० सी० बी० में तकनीकी खराबी है ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की अनिश्चित स्थिति के कारण इन कार्यों की कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

जी हां ।

तकनीकी खराबी एवं आवश्यक क्षमता का आंकलन करके इन कार्यों हेतु आवश्यक स्टीमेट बना दिया गया है ।

सहकारिता विभाग में अनु० जा०, अनु० ज० जा० का आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

6–श्री बशीर–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में अनु० जा०, अनु० ज० जा० का 22.5 प्रतिशत व पिछड़े वर्ग का 27 प्रतिशत व अल्पसंख्यकों का आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि पूरा किया जायेगा तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

आरक्षण संबंधी प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 25 व 29-3-94 को जारी हुये हैं और अभी सीधी भर्ती पर रोक लगी है, जिससे प्रश्नगत सीमा तक आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं हुआ है ।

भर्ती पर रोक हटने के बाद किया जायेगा ।

हाटा, देवरिया वाया बालटिकरा मार्ग पर रोडवेज की बसों को चलाने के लिए परमिट जारी करने की मांग

7–श्री रमापति–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि हाटा, देवरिया वाया बालटिकरा मार्ग पर रोडवेज की बसें नहीं चलती हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग पर रोडवेज की बसें चलाने में कोई वैधानिक समस्या है ? यदि

हां, तो क्या सरकार इस अड़चन को दूर करके इस मार्ग को हाटा से देवरिया तक पूरे मार्ग के लिये परमिट जारी करेगी ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

जी हां । इस मार्ग का महुआडीह-हाटा भाग अराष्ट्रीयकृत होने के कारण इस मार्ग पर परिवहन निगम की बसें नहीं चलाई जा सकती हैं ।

इस मार्ग का देवरिया-महुआडीह भाग राष्ट्रीयकृत तथा महुआडीह-हाटा भाग अराष्ट्रीयकृत है । मार्ग का एक भाग अराष्ट्रीयकृत होने के कारण पूरे मार्ग पर परिवहन निगम की बसें चलाना संभव नहीं है ।

उ० प्र० में उ० प्र० रा० विद्युत परिषद् के अधीन जनपदों में राष्ट्रपति शासन के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड/उपखण्ड तोड़े जाने के कारण

8–श्री हृदय नारायण–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में उ० प्र० रा० विद्युत परिषद् के अधीन प्रत्येक जनपद में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य कर रहे सभी ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड व उपखण्ड राष्ट्रपति शासन में तोड़ दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या ग्रामीण विद्युतीकरण व अनुरक्षण का कार्य एक ही इकाई के द्वारा लिये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? क्या सरकार अवगत है कि अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य की प्रकृति सर्वथा भिन्न-भिन्न है ? क्या एक ही इकाई से दोनों कार्य लेने में कार्य कुप्रभावित होता है ? क्या सरकार बतायेगी कि ग्रामीण विद्युतीकरण इकाई तोड़े जाने के प्रमुख लाभ क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

ग्रामीण विद्युतीकरण एवं अनुरक्षण का कार्य एक ही इकाई द्वारा किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

ग्रामीण विद्युतीकरण उपखण्डों के तोड़े जाने एवं उनका कार्य अनुरक्षण उपखण्डों को हस्तान्तरित किये जाने के लाभ निम्नवत् हैं :–

1–ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली द्वारा नये ऋणों के वितरणों को पूर्व ऋणों की अदायगी से सम्बद्ध किये जाने के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिये उपलब्ध वित्तीय संसाधन कम हो गये थे जिसके कारण ग्रामीण विद्युतीकरण उपखण्डों के अधिकारियों व कर्मचारियों के पास कार्य बहुत कम हो गया था ।

2–नये कनेक्शन दिये जाने के कारण अनुरक्षण उपखण्डों में कार्य बढ़ गया था जिसके लिये अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता थी।

3–ग्रामों के विद्युतीकरण एवं उनमें विद्युत संयोजन दिये जाने का कार्य अलग-अलग उपखण्डों द्वारा किये जाने से संयोजन देने एवं उनकी बिलिंग आरम्भ करने में विलम्ब होता था।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीखड़, नरायनपुर एवं जमालपुर स्थित अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण न किये जाने का कारण

9–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के विकास खण्ड सीखड़, नरायनपुर एवं जमालपुर के क्रमशः कितने गांव तथा अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है ? क्या यह सही है कि इन क्षेत्रों के गांव के किसानों ने कई वर्षों से विद्युत कनेक्शन हेतु पैसा जमा किया है लेकिन उन्हें विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक विद्युत कनेक्शन दे दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जिला मिर्जापुर के विकास खण्ड सीखड़ के 14 ग्राम तथा 28 अनुसूचित जाति बस्तियां, नारायनपुर के 142 ग्राम तथा 142 अनु० जाति बस्तियां एवं विकास खण्ड जमालपुर के 128 ग्राम तथा 152 अनु० जाति बस्तियों का विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है।

विकास खण्ड सीखड़ के 10, वि० खं० नरायनपुर के 27 एवं वि० खं० जमालपुर के 7 उपभोक्ताओं के बी० एल० फार्म अभी लम्बित है जिन्हें कनेक्शन नहीं दिया गया हैं।

उन्हें वरीयता क्रम के अनुसार कनेक्शन दिया जायेगा।

जनपद लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर–एच में सड़कें, नालियां व सीवर लाइन बनाने की मांग

10–श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जानकीपुरम् सेक्टर-एच, लखनऊ में सड़के व नालियां अभी तक नहीं बनायी गयी हैं ? क्या उस क्षेत्र के सभी सड़कों में गहरे गड्ढे हैं जिसमें बरसात का पानी भर जाने से दलदल की स्थिति आ जाती है ? क्या अभी तक वहां नालियां व सीवरों को मेन लाइन से नहीं जोड़ा गया है जिससे सीवर व नलों का पानी नालियों में हर समय भरा रहने से बीमारी फैलने का भारी भय बना हुआ है ? क्या सरकार उक्त सड़कें व नालियां बनवाने एवं सीवर को मेन लाइन से जुड़वाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गाजियाबाद की नगरपालिका दादरी में लम्बित पेयजल की योजना को पूरा करने की मांग

11–श्री समीर भाटी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की नगरपालिका दादरी में पेयजल की समस्या को देखते हुये अधिशासी अभियन्ता, प्रथम निर्माण शाखा, उ० प्र० जल निगम, गाजियाबाद ने अंकन 71.21 लाख की कोई योजना वर्ष 1990 में तैयार की गई थी । यदि हां, तो इस योजना की स्वीकृति में विलम्ब क्यों है ? यह योजना कब तक स्वीकृत होकर लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

सीमित संसाधनों के कारण स्वीकृति देना संभव नहीं हो सका है ।

समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ की टाउन एरिया मलिहाबाद, महोना, इटौंजा के कर्मचारियों को माह नवम्बर 1992 से देय वेतन का भुगतान करने की मांग

12–श्री राकेश सचान–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद लखनऊ की टाउन एरिया मलिहाबाद, महोना, इटौंजा के लोकल फण्ड में पैसा होने के बावजूद वहां के कर्मचारियों को माह नवम्बर, 1992 से अभी तक के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या सरकार उक्त टाउन एरियाओं के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान तत्काल करने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

टाउन एरिया इटौंजा व महोना के नगर निधि खाते में धन उपलब्ध न होने एवं टाउन एरिया मलिहाबाद में पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण वहां के कर्मचारियों को माह नवम्बर, 92 से अभी तक के वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका ।

टाउन एरियाओं के कर्मचारी स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं । अतएव उनके वेतन के भुगतान का दायित्व संबंधित टाउन एरियाओं का है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की टाउन एरिया कुरसठ में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने की मांग

13–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की टाउन एरिया कुरसठ में पानी की टंकी का निर्माण कब कराया गया था ? शासन द्वारा उक्त टंकी से अब तक पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था न कराये जाने के क्या कारण हैं ? वहां पर जल सम्पूर्ति व्यवस्था कब तक संचालित कर दी जायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

कुरसठ नगर क्षेत्र समिति में पानी की टंकी का निर्माण वर्ष 1988-89 में कराया गया था ।

योजना कुछ माह चलाकर नगर क्षेत्र समिति कुरसठ को हस्तान्तरित करने का प्रयास किया गया, किन्तु सीमित संसाधन एवं धनाभाव के कारण योजना ग्रहण करने से नगर क्षेत्र समिति ने अस्वीकार कर दिया । उत्तर प्रदेश जल निगम को कुरसठ नगर क्षेत्र समिति में पानी की टंकी संचालित करने हेतु आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

कैन्ट क्षेत्र लखनऊ के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों के तालाबों पर सहकारी समितियों द्वारा अवैध कब्जों की शिकायत

14–श्री सतीश भाटिया–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र कैन्ट लखनऊ के तालाबो पर सहकारी समितियां कब्जा कर रही हैं ? क्या गुरुनानक नगर, श्यामनगर, ब्रह्मनगर कनौसी, गंगा खेड़ा आदि क्षेत्रों में पुराने तालाब व भूखण्ड पर अवैध कब्जे हैं ? क्या अवैध कब्जा रोकने हेतु संबंधित विभाग नगर महापालिका व लखनऊ विकास प्राधिकरण या तहसील स्तर द्वारा कोई कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

कुछ सहकारी समितियों द्वारा पूर्व में उक्त क्षेत्रों में अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया था उनके विरुद्ध नियमानुसार महापालिका स्तर पर कार्यवाही की गई । तालाबों पर अनाधिकार कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करके अनाधिकार कब्जे रुकवा दिये गये ।

लखनऊ कैन्ट स्थित पुरानी कालोनियां सिंगार नगर व कृष्णानगर को नगर महापालिका द्वारा अधिग्रहीत किया जाना

15–श्री सतीश भाटिया–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ कैन्ट स्थित 25 वर्ष पुरानी कालोनियां सिंगार नगर व कृष्णानगर हैं ? यदि हां, तो उक्त कालोनियों को अधिग्रहीत करके महापालिका में अभी तक अधिग्रहीत क्यों नहीं हुई हैं ? कब तक वे कालोनियां अधिग्रहीत होंगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

प्रश्नगत कालोनियां संबंधित सोसाइटी द्वारा बनायी गयी हैं । इनमें सोसाइटी द्वारा अपेक्षित विकास कार्य पूर्ण नहीं किये गये । अतः महापालिका द्वारा यह कालोनियां अधिग्रहीत नहीं की गयी हैं ।

बिना विकास कार्य पूर्ण हुए अधिग्रहण का प्रश्न नहीं उठता । अतः समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

जनपद बुलन्दशहर स्थित ऊपर कोर्ट पर बने मकानों के संबंध में एक्सपर्ट की रिपोर्ट की जानकारी

16–श्री धर्मपाल यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर स्थित ऊपर कोर्ट पर बने मकानों का धंसने का क्रम जारी है ? क्या यह सही है कि उक्त के संबंध में एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी शासन को मिल चुकी है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ।

श्री रमा शंकर कौशिक–

ऊपर कोर्ट टीले पर बसा हुआ है । वर्ष 1990 में पाइप लाइन फटने से 26 मकानों को क्षति पहुंची थी । प्राप्त सूचना के अनुसार उसके बाद से किसी भी मकान के धसने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

एक्सपर्ट की रिपोर्ट शासन में प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा जबरन वसूली टैक्स की जांच कराने की मांग

17–श्री धर्मपाल यादव–

क्या आवास मत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा विगत सरकार द्वारा लगाये गये जबरन वसूली टैक्स की धनराशि को बी० के० डी० ए० में जमा नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराते हुए जांच रिपोर्ट से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विगत सरकार द्वारा बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण में कोई भी जबरन वसूली टैक्स नहीं लगाया गया है । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र के राजकीय इण्टर कालेज, त्यूनी में पीने के पानी की व्यवस्था कराये जाने की मांग

18–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज, त्यूनी में पीने के पानी की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक उक्त व्यवस्था वहां पर कर दी जायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

स्थानीय ग्रामीण पेयजल योजना से अस्थाई व्यवस्था है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर नगर में पेयजल समस्या के समाधान हेतु पाइप लाइन बिछाने की मांग

19–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर नगर में पेयजल की पाइप लाइन कब बिछाई गयी थी । क्या मिर्जापुर में पेयजल समस्या के समाधान हेतु नई पाइप लाइन लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या नगर की पेयजल योजना के समाधान हेतु शासन किसी अन्य योजना का कार्यान्वयन करने जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्राप्त सूचनानुसार मिर्जापुर नगर में पेयजल की पाइप लाइन वर्ष 1914 में बिछाई गयी थी । जिसका समय-समय पर विस्तार किया गया है । जी हां । गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत मिर्जापुर जल संपूर्ति पुनर्गठन योजना में पाइप लाइन बिछाने की भी योजना सम्मिलित है ।

उक्त योजना के फेज–1 ए में 9.10 कि० मी० पाइप लाइन बिछा दी गयी है । फेज-1 बी में प्रस्तावित 6.20 कि० मी० में से 5.25 कि० मी० पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है । शेष 0.95 कि० मी० जून, 1994 तक बिछा दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में पाइप लाइन की कोई अन्य योजना स्वीकृत नहीं है । सूखा राहत के अन्तर्गत एक नलकूप निर्माण करने की योजना है ।

इस योजना के अन्तर्गत चेतगंज जोन में खण्डवा नाला के कमश्राव वाले नलकूप के स्थान पर नया नलकूप बनाने का प्रस्ताव है ।

जनपद मिर्जापुर में स्थित पड़री सब स्टेशन को पुनः चालू करने की मांग

20–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में स्थित पड़री सब स्टेशन का निर्माण कब हुआ था ? क्या यह भी बतायेंगे कि तबसे इसका उपयोग अब तक कितनी समयावधि के लिये ही

पाया है ? क्या पड़री सब स्टेशन सम्प्रति उपयोग में आ रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा कब तक इसे ठीक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पड़री उपकेन्द्र का निर्माण दिनांक 31-3-89 को पूर्ण हुआ । अभी तक इस केन्द्र की उपयोग में नहीं लाया गया है । वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जा रहा है । इस उपकेन्द्र को ऊर्जीकृत करने वाली 33 के० वी० चुनार पड़री लाइन पर बार-बार चोरी होने के कारण उपकेन्द्र ऊर्जीकृत नहीं हो पाया । अतः उपकेन्द्र उपयोग में नहीं लाया जा सका । लाइन का निर्माण तत्काल पूरा करने के लिये विद्युत परिषद् को आदेश दे दिये गये हैं ।

विद्युत विहीन एवं अनुसूचित वर्ग बाहुल्य गांवों के विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद मिर्जापुर के शेष गांवों में विद्युतीकरण की मांग

21–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत विहीन गांव तथा अनुसूचित वर्ग की बस्तियों के विद्युतीकरण की क्या नीति शासन की है ? जनवरी, 1993 से दिसम्बर, 93 के बीच मिर्जापुर जिले में किन-किन गांवों व अनुसूचित बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है ? अभी कितने गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण होना शेष है तथा इनका विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश के ग्रामों का विद्युतीकरण लक्ष्य के अनुरूप जनपदीय सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति की बैठक द्वारा चयनित गांवों एवं अनुसूचित वर्ग की बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाता है ।

जनवरी, 93 से दिसम्बर, 93 तक मिर्जापुर जनपद के 18 गांवों का विद्युतीकरण किया गया, जिसकी सूची संलग्न है ।

मिर्जापुर जनपद में अभी 1062 गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण होना शेष है । इनका विद्युतीकरण संसाधन उपलब्ध होने पर निर्भर है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 170 पर)

विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव के अधिशासी अभियन्ता आर० एस० श्रीवास्तव तथा सहायक अभि० श्री एस० एस० पी० शुक्ला एवं अवर अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच की मांग

22–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव के अधिशासी अभियन्ता, श्री आर० एस० श्रीवास्तव को एक जांच प्रकरण में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो उसी प्रकरण में सहायक अभियन्ता, श्री एस० एस० पी० शुक्ला एवं अवर अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा कराई गई जांच में सहायक अभियन्ता श्री एस० एस० पी० शुक्ला एवं अवर अभियन्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आया है ।

सहायक अभियन्ता श्री एस० एस० पी० शुक्ला की जनपद उन्नाव विद्युत वितरण खण्ड में तैनाती तथा उनके विरुद्ध जांच की मांग

23–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियन्ता श्री एस० एस० पी० शुक्ला की जनपद उन्नाव विद्युत वितरण खण्ड में तैनाती कितनी बार हुई ? क्या पूर्व में उनके विरुद्ध कोई जांच हुई थी ? यदि हां, तो क्या वे दोषी पाये गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री एस० एस० पी० शुक्ला, सहायक अभियन्ता की जनपद उन्नाव विद्युत वितरण खण्ड में कितनी बार हुई ?

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनियमितितायें सहायक अभियन्ता (राजस्व) के कार्य से सम्बन्धित थीं जबकि श्री शुक्ला प्रश्नगत अवधि में उप खण्ड अधिकारी, ग्रामीण विद्युतीकरण के पद पर तैनात थे । अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी ।

जनपद उन्नाव में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण तथा चुनाव क्षेत्र हड़हा के विद्युतीकरण की जानकारी

24–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या ऊर्जा मंत्री के संज्ञान में है कि जनपद उन्नाव में ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण कितने ग्रामों का होना है ? क्या यह भी बतायेंगे कि चुनाव क्षेत्र हड़हा जहां ग्रामीण विद्युतीकरण आवश्यक है वहां पर कितने ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य होना है ? क्या उक्त कार्य में अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों की भी राय ली जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद उन्नाव में कुल आबाद ग्राम (1981 की जनगणना के अनुसार) 1687 हैं जिनमें से मार्च, 94 तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार 952 ग्राम एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की

परिभाषा और एल० टी० मेन्स द्वारा 735 ग्राम विद्युतीकरण किये जा चुके हैं। इस प्रकार जनपद उन्नाव के विद्युतीकरण हेतु 952 ग्राम शेष हैं।

वर्ष 1993-94 में विद्युतीकरण का लक्ष्य एवं प्रगति निम्नलिखित है :–

	लक्ष्य	प्रगति
1–के० वि० प्रा० एवं एल० टी० मेन्स	12	10
2–के० वि० प्रा० से एल० टी० मेंस	11	2

चुनाव क्षेत्र हड़हा में वर्ष 1993-94 में विद्युतीकरण की लक्ष्य एवं प्रगति निम्नलिखित हैं :–

1–के० वि० प्रा० एवं एल० टी० मेंस	1	0
2–के० वि० प्रा० से एल० टी० मेंस	1	0

ग्रामों के विद्युतीकरण का चयन जनपद स्तरीय सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है। उपरोक्त प्राविधान के अनुसार ही वर्ष 1994-95 के लिये ग्रामों का चयन किया जायेगा।

जनपद बुलन्दशहर में सनोटा फीडर से आस-पास के गांवों को विद्युत सप्लाई करने की योजना

25–श्री धर्मपाल यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में सनोटा फीडर से आस पास के गांवों को जोड़ने का प्रस्ताव वर्ष 1990-91 में स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उक्त फीडर से नजदीकी गांवों में विद्युत सप्लाई कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

33/11 के० वी० सनोटा विद्युत उपगृह का निर्माण वर्ष 1992-93 में पूर्ण हुआ था। इस विद्युत उपकेन्द्र से निकलने वाला सनोटा फीडर एक स्वतंत्र पोषक है, जिसकी सम्पूर्ण धनराशि जमा योजना के अन्तर्गत गंगा कैनाल सिंचाई विभाग, उ० प्र० द्वारा वहन की गई थी एवं विभागीय नियमों के अनुसार स्वतंत्र पोषक से ग्रामीण फीडरों को जोड़ा जाना प्रतिबन्धित है। अतः इस स्वतंत्र पोषक से किसी भी गांव को विद्युत आपूर्ति करना सम्भव नहीं है।

जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी, ब्लाक दादरी के ग्राम उपरालसी, खुरसेदपुरा तथा ब्लाक सिरख के ग्राम नगली नगला के निवासियों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने की मांग

26–श्री समीर भाटी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी, ब्लाक दादरी के ग्राम उपरालसी, खुरसेदपुरा तथा ब्लाक बिसरख के ग्राम नगली नगला के निवासियों के विद्युत कनेक्शन हेतु पर्याप्त धनराशि जमा की हुई है ? यदि हां, तो अभी तक विद्युत कनेक्शन न दिये जाने के क्या

कारण हैं जिन्होंने विद्युत कनेक्शन की धनराशि विभाग में जमा की हुई है उन्हें विद्युत कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा उक्त ग्राम का चयन न होने के कारण उसका विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है । जिसके कारण उक्त ग्रामवासियों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जा सके ।

विद्युत कनेक्शन दिया जाना उक्त ग्रामों को सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयनित होने एवं विद्युतीकरण पर निर्भर है ।

जनपद शाहजहांपुर के कस्बा खुटार में स्वीकृत विद्युत सब स्टेशन लगाये जाने की मांग

27–श्री चेतराम–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के कस्बा खुटार में 132 के० वी० का सब स्टेशन विद्युत आपूर्ति हेतु विगत वर्षों शासन स्तर से स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो अब तक उक्त सब स्टेशन न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जनपद शाहजहांपुर के कस्बा कुटार में 132 के० वी० का एक विद्युत सब स्टेशन सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुआ था ।

उक्त सब स्टेशन का निर्माण कार्य अभी तक धनाभाव के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

28–श्री समीर भाटी–

[दि० 30-3-94 को अता० प्र० सं० 1 द्वारा उत्तरित]

जनपद सुल्तानपुर में स्थित विकास खण्ड प्रतापपुर कमैचा में विद्युत आपूर्ति में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

29–श्री सफदर रजा खान–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर में स्थित विकास खण्ड प्रतापपुर कमैचा (विधान सभा क्षेत्र चांदा) के क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई सिर्फ दो या तीन घंटे हो पा रही है जिससे सिंचाई कार्य में बाधा पड़ रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि इसके लिये दोषी कौन लोग हैं ? उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? विद्युत की सप्लाई कब तक सुचारु रूप से की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । विकास खण्ड प्रतापपुर कमैचा के दोनों उपकेन्द्रों से औसतन 14–16 घण्टे बिजली की आपूर्ति की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सप्लाई सुचारु रूप से की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक भदैया में विद्युत सब स्टेशन की मांग

30–श्री सफदर रजा खान–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक भदैया में कोई विद्युत सब स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो निर्माण की प्रक्रिया कब से प्रारम्भ कर दी जायेगी ? अनुमानतः निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक भदैया में कोई विद्युत सब स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में तरयासुजान व दुदही, विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण में व्यय धन व निर्माण कार्य में प्रगति की जानकारी

31–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में तरयासुजान व दुदही क्रमशः दोनों विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण में अब तक कितना धन व्यय हुआ है ? इनका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ ? कब तक इसे पूर्ण हो जाना था ? यदि पूर्ण नहीं हुआ, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद देवरिया में 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र तारयासुजान व दुदही के निर्माण में क्रमशः रु० 25.648 लाख एवं रु० 25.06 लाख व्यय किया गया है । इन दोनों उपकेन्द्रों के निर्माण कार्य क्रमशः दिनांक 27-12-91 व 29-1-92 को आरम्भ हुआ था, उपकेन्द्र तरयासुजान व दुदही को पूर्ण करने का लक्ष्य क्रमशः माह 5/92 तथा 6/92 निर्धारित था । विद्युत उपकेन्द्र तरयासुजान को दिनांक 20-9-92 तथा विद्युत उपकेन्द्र दुदही को दिनांक 21-5-92 को विद्युतीकृत कर दिया गया है ।

जनपद देवरिया के तरयासुजान विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण में धांधली बरतने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

32–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया के तरयासुजान विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य में धांधली से संबंधित क्षेत्रीय विधायक के आरोप पत्र पर कोई जांच कार्यवाही चल रही है ? यदि जांच कार्यवाही पूरी हो गयी है तो दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया में वर्ष 1993-94 में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत हुये विद्युतीकृत गांवों का विवरण

33–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में वर्ष 1993-94 में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत कितने गांवों का विद्युतीकरण का लक्ष्य था ? कितने पूर्ण हुए ? यदि सभी पूर्ण नहीं हुए, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद देवरिया में वर्ष 1993-94 में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत ग्रमों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निम्नवत है :–

क्र०सं०	विवरण	विद्युतीकरण का लक्ष्य	विद्युतीकरण पूर्ण किये गये ग्रामों की संख्या
1	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण परिभाषानुसार एवं एल० टी० मेन्स बिछाकर विद्युतीकरण।	20	9
2	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार विद्युतीकृत ग्रामों का गहन विद्युतीकरण एल० टी० मेन्स बिछाकर।	25	4

शेष ग्रामों का विद्युतीरण आवश्यक संसाधन उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो सका।

जनपद देवरिया में विद्युत परिषद् की पडरौना केन्द्र पर अधिशासी अभियन्ता के तैनाती की जानकारी

34–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में विद्युत परिषद् की दृष्टि से पडरौना एक अलग जनपदीय इकाई है ? यदि हां, तो क्या वहां कोई अधिशासी अभियन्ता तैनात है जो पडरौना केन्द्र पर निवास करता हो ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के एस० डी० ओ० विद्युत परिषद् का तमकुहीराज हेड क्वार्टर में रात्रि निवास न करने के सम्बन्ध में शिकायत

35–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तमकुहीराज, जनपद देवरिया में एस० डी० ओ० विद्युत परिषद् का हेड क्वार्टर है ? यदि हां, तो वहां कौन कार्यरत है ? क्या उनका रात्रि निवास तमकुही राज में होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

वहां वर्तमान में नियुक्त अधिकारी का नाम श्री ओ० पी० मिश्रा है जो इस पद पर दिनांक 1-2-94 से तैनात है । श्री मिश्रा वर्तमान में आवश्यकतानुसार तमकुहीराज में रात्रि निवास करते हैं । श्री मिश्रा को निर्देशित कर दिया गया है कि वे मुख्यालय पर निवास करें ।

जनपद देवरिया, विकास खण्ड कप्तानगंज के ग्राम सभा बरवा-कोटवा, हरपुर मछागर व भिसवा का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराने की मांग

36–श्री रमापति–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया, विकास खण्ड कप्तानगंज के ग्राम सभा बरवा-कोटवा, हरपुर मछागर का भिसवा का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद देवरिया विकास खण्ड कप्तानगंज के ग्राम सभा बरवा-कोटवा का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है । ग्राम हरपुर मछागर का विद्युतीकरण दिनांक 14-2-91 को किया जा चुका है । ग्राम भिंसवा का विद्युतीकरण एल० टी० मेन्स द्वारा दिनांक 28-3-94 को कर दिया गया है तथा 12 अदद बत्ती व पंखा के उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन भी दे दिया गया है । ग्राम बरवा-कोटवा वर्ष 1993-94 में विद्युतीकरण हेतु चयनित था परन्तु संसाधन के अभाव में विद्युतीकृत नहीं हो सका ।

जनपद देवरिया के ग्राम सभा सुकरौली और ग्राम सभा वोदरवार जो विधान सभा हाटा के अन्तर्गत है, के विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत बिल की अदायगी

37–श्री रमापति–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के ग्राम सभा सुकरौली और ग्राम सभा वोदरवार जो विधान सभा हाटा के अन्तर्गत है, के विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत बिल की अदायगी टाउन एरिया की भांति एवं इसके बराबर करायी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ग्राम सभा सुकरौली और ग्राम सभा वोदरवार के विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत बिल की अदायगी टाउन एरिया की भांति मीटर उपभोग के अनुसार की जाती थी । अब बिलिंग फ्लैट रेट के आधार पर करने के लिये डेटा कम्प्यूटर को भेजा है दरों के अन्दर का समायोजन उपभोक्ताओं के आगामी बिलों में किया जायेगा ।

तहसील पुवायां अन्तर्गत खुंटार बण्डा एवं सेहरामऊ उत्तरी में, जनहित में रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने की मांग

38–श्री चेतराम–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पुवायां अन्तर्गत खुंटार बण्डा एवं सेहरामऊ उत्तरी में रोडवेज की बसें जाती हैं तथा उपरोक्त तीनों जगह बस अड्डा नहीं बना है जिससे जनता एवं कर्मचारियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो बस अड्डा कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

(1) खुटार में सड़क के किनारे तिराहे पर किराये के एक कमरे में स्थित बुकिंग आफिस के सामने बसें यात्रियों को चढ़ाने हेतु खड़ी होती हैं । संचालन की आवश्यकता व निगम के सीमित संसाधनों को देखते हुए बस अड्डा बनाने का कोई विचार नहीं है ।

(2) बण्डा में बस स्टेशन हेतु परिवहन निगम की उपलब्ध भूमि विवादित है । माननीय न्यायालय में वर्ष 1986 से इसके स्वामित्व के संबंध में वाद गतिशील है । बसें सड़क पर रुककर यात्रियों को चढ़ाती-उतारती हैं । स्थल विवाद के कारण बस अड्डा बनाया जाना अभी सम्भव नहीं है ।

(3) सेहरामऊ उत्तरी मुख्य मार्ग पर स्थित न होकर पाकेट मार्ग पर स्थित है । यात्रियों की उपलब्धता में कमी के कारण बसें रुककर यात्रियों को चढ़ाती और उतारती हैं । संचालन की आवश्यकता व निगम के सीमित संसाधनों को देखते हुए बस अड्डे के निर्माण का अभी कोई विचार नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद कानपुर (देहात) के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

39–श्री राकेश सचान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों को 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने की उनकी घोषणा के अनुसार जनपद-कानपुर (देहात) के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उनकी घोषणा का क्रियान्वयन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । पर कुछ स्थान पर कन्डक्टर चोरी हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रही ।

प्रश्न नहीं उठता ।

घोषणानुसार 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

जनपद लखनऊ स्थित राजाजीपुरम से लगी पारा कालोनी में लेसू द्वारा नियमित विद्युत आपूर्ति तथा नये विद्युत कनेक्शन दिये जाने की मांग

40–श्री अंगद यादव तथा श्री प्रेम प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद लखनऊ में राजाजीपुरम् से लगी हुई पारा कालोनी के समीपवर्ती सभी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति लेसू द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो क्या पारा कालोनी के कुछ भाग में को-आपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी द्वारा कम वोल्टेज तथा अनियमित विद्युत सप्लाई को देखते हुए पूरी पारा कालोनी को लेसू द्वारा अधिग्रहण करके विद्युत की नियमित आपूर्ति की जायेगी ? यदि हां, तो पारा कालोनी के अधिकांश लोगों के विद्युत कनेक्शन लेसू द्वारा दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिह यादव–

जी नहीं ।

लखनऊ जनपद में गोमती नदी के दक्षिणी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति/वितरण का समस्त कार्य को-आपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाईटी (सेस) द्वारा किया जाता है । इसके अन्तर्गत ग्राम पारा भी आता है । सम्प्रति ग्राम पारा की विद्युत आपूर्ति संबंधी कार्य लेसू द्वारा अधिग्रहीत किये जाने का मामला विचाराधीन नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के मौजा–शरीफपुर ततारपुर (पुरवा) विकास खण्ड हण्डिया में जल निगम द्वारा पानी की टंकी बनवाने की मांग

41–श्री जोखू लाल यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र हंडिया, जनपद–इलाहाबाद के मौजा–शरीफपुर ततारपुर (पुरवा) विकास खण्ड–हण्डिया में जल निगम द्वारा पानी की टंकी बनना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक बनेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में समस्त योजनाओं के अन्तर्गत लगाये गये इण्डिया मार्क हैण्ड पम्पों की जानकारी

42–श्री अनिल कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद के अन्तर्गत वर्ष 93-94 में समस्त योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने इंडिया मार्क हैण्ड पम्प लगाये जाने की स्वीकृत दी गयी ? क्या लगाये गये जनपद में हैण्ड पाइप की सूची मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अवशेष हैण्ड पाइपों को 31 मार्च, 94 तक लगा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत वर्ष 93-94 में समस्त योजनाओं के अन्तर्गत कुल 805 इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प लगाये जाने की स्वीकृति दी गयी ।

दिनांक 31-3-94 तक जल निगम द्वारा 784 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं जिसकी सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि लक्ष्य के अनुसार 784 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हो चुके हैं ।

जनपद लखनऊ स्थित आलमबाग में बनी फल सब्जी मण्डी पर चन्दर नगर के दुकानदारों को बसाये जाने की मांग

43–श्री सतीश भाटिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आलमबाग जनपद लखनऊ में बनी फल सब्जी मण्डी पर फल सब्जी लगाने वाले चन्दर नगर के दुकानदारों को कब तक बसाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

जी नहीं ।

आलमबाग में बनी सब्जी मण्डी नगर महापालिका, लखनऊ की सम्पत्ति नहीं है ।

जनपद लखनऊ स्थित चन्दर नगर (आलमबाग) में अंग्रेजों के कब्रिस्तान पर अवैध दुकानें बनाये जाने की शिकायत

44–श्री सतीश भाटिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्दर नगर (आलमबाग) जनपद लखनऊ में अंग्रेजों के कब्रिस्तान की सन् 1857 की दीवार पर अवैध दुकानें बनाई जा रही हैं ? यदि हां, तो किसके आदेश से ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

चन्दर नगर आलमबाग लखनऊ में अंग्रेजों के कब्रिस्तान को 1857 की दीवार पर इस समय किसी भी दुकान का निर्माण नहीं किया जा रहा है । जो भी दुकानें हैं वह काफी पुरानी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में आलमबाग क्षेत्र के अन्तर्गत प्रेम नगर तथा पूरननगर गली में एस० डब्लू० ड्रेन बनाने की मांग

45–श्री सतीश भाटिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आलमबाग क्षेत्र जनपद लखनऊ के अन्तर्गत प्रेमनगर तथा पूरननगर गली के अन्दर कोई एस० डब्लू० ड्रेन प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक बन जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

जी हां ।

आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के कतिपय वार्डों में पेयजल की समस्या

46–श्री सतीश भाटिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993-94 में हुसैनगंज, लालकुआं, सिंगार नगर, जय प्रकाश नगर तथा आदर्शनगर जनपद लखनऊ के वार्डों में पेयजल की व्यवस्था हेतु कोई योजना बनी थी ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में लखनऊ–कानपुर के मध्य चलने वाली बसों के लिये नवाबगंज में अस्थायी स्टैण्ड की मांग

47–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद उन्नाव में लखनऊ–कानपुर के मध्य चलने वाली बसें, जो नवाबगंज में रुकती थीं, अब उनका वहां पर रुकना तथा सवारी लेना बन्द हो गया है ? यदि हां, तो क्या अस्थाई रूप से स्टैण्ड वहां पर बनाने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं ।

लखनऊ–कानपुर के मध्य चलने वाली सभी बसें (डीलक्स/एक्सप्रेस बस सेवाओं को छोड़कर) जो नवाबगंज (जनपद उन्नव) से होकर गुजरती हैं, वहां रूककर यात्रियों को उतारती-चढ़ाती हैं । नवाबगंज फेयर स्टापेज पर बसों को रोककर यात्रियों को उक्त सुविधा प्रदान करने हेतु वहां दो यातायात निरीक्षकों को भी तैनात कर दिया गया है ।

नवाबगंज बाई–पास पर एक गुमटी रखी हुई है । यहां बस स्टापेज होने का बोर्ड भी लगा हुआ है । गुमटी के ठीक सामने भी एक बोर्ड लगा है, जिस पर नवाबगंज स्टापेज अंकित है । अन्य कोई बस स्टैण्ड बनाना प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में अभियन्ताओं की गृहजनपद में तैनाती की नीति

48–श्री सतीश भांटिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में अभियन्ताओं को उनके गृह जनपद पर तैनाती होती है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो किसी अधिशासी अभियन्ता को क्या लखनऊ जनपद के गृह निवास होने पर लेसू में अधिशासी अभियन्ता वितरण के पद पर कैसे नियुक्त किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में अभियन्ताओं को उनके गृह जनपद में सामान्यतः तैनात नहीं किया जाता है । परन्तु परिषद् की स्थानान्तरण नीति मार्ग दर्शक सिद्धान्त के अनुसार अधिकारियों की उनके गृह जनपद में तैनाती पर पर्वतीय जनपदों (देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर एवं काशीपुर को छोड़कर) बृहत ताप विद्युत गृहों पर पाली सेवा, टेस्टिंग एवं कमीशनिगं, माइक्रोवेव एवं लखनऊ (फील्ड पदों, सामग्री प्रबन्ध एवं लेसू को छोड़कर) में यह प्रतिबन्ध शिथिल किया जा सकता है ।

लेसू में कार्यरत एक अधिशासी अभियन्ता, जिनका गृह जनपद लखनऊ है, की तैनाती, मुख्य स्थानिक अभियन्ता, लेसू कार्यालय में उप प्रबन्धक (टैक्निकल), जो कि सम्बद्ध पद है, के पद पर कार्यहित में की गयी है।

मुख्य नगर अधिकारी नगर पालिका लखनऊ द्वारा पालिका सीमा में हो रहे कार्यों का निरीक्षण तथा दौरे की जानकारी

49–श्री सतीश भाटिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य नगर अधिकारी नगर महापालिका, लखनऊ को पालिका सीमा में हो रहे कार्यों का निरीक्षण तथा जन समस्याओं का जायजा लेने हेतु माह में कितने दिन दौरा करना होता है ? माह जनवरी, 1994 में उन्होंने कितने दिन तथा किस-किस क्षेत्र में दौरा किया ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

मुख्य नगर अधिकारी के लिये तिथिवार भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित नहीं होता है। स्वविवेक से आवश्यकतानुसार एवं प्राथमिकताओं के आधार पर निरीक्षण करने के लिये वे सक्षम है।

माह जनवरी, 1994 में अवकाश के दिनों को छोड़कर लगभग प्रत्येक कार्य दिवस में उनके द्वारा किसी न किसी क्षेत्र में वहां की समस्याओं की प्राथमिकता के आधार पर दौरा किया गया।

जनपद बनारस में घाटे में चल रही सहकारी समितियों में कर्मचारियों द्वारा व्यापक स्तर पर कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग

50–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बनारस जनपद में कितनी सहकारी समितियां घाटे में चल रही हैं ? क्या उस घाटे को पूरा करने के लिये सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? क्या घाटे का कारण कर्मचारियों द्वारा व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार तथा गबन है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो किस स्तर पर तथा कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद वाराणसी में कुल 229 सहकारी समितियां हैं जिनमें 66 घाटे में चल रही है।

जी हां, समितियों में घाटे को पूरा करने हेतु पैक्स की व्यवसाय विकास योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जा रहा है।

समितियों में घाटे के कई कारण हो सकते हैं। कारण विशेष का पता तो विस्तृत जांच से ही चल सकता है।

जी हां।

कर्मचारियों द्वारा किये गये अपहरण के मामले प्रकाश में आने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है। साथ ही वसूली की वैधानिक कार्यवाही कर दी गयी है। नवीन मामलों के प्रकाश में आने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

राज्य विद्युत परिषद् में तकनीकी आडिट प्रकोष्ठ गठित किये जाने का मामला विचाराधीन

51–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-8-92 जो कि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था और जिसमें तकनीकी आडिट प्रकोष्ठ गठित करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उसमें किन बिन्दुओं को उठाया गया था ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि तकनीकी आडिट प्रकोष्ठ के गठन में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

सदस्य (वितरण) के परिपत्र संख्या 381–सी० एम० यू० डी०/जी–92 दिनांक 25-1-92 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के वितरण क्षेत्र में संबंधित सभी अधिकारियों को तकनीकी आडिट प्रणाली लागू करने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं। पारेषण तथा उत्पादन क्षेत्रों में तकनीकी आडिट प्रणाली लागू करने हेतु प्रकरण विचाराधीन है जिसमें केन्द्रीय स्तर पर एक तकनीकी आडिट प्रकोष्ठ का गठन किया जाना है जो उत्पादन, पारेषण तथा वितरण सभी क्षेत्रों के लिये उत्तरदायी होगा। संबंधित पत्र में मुख्यतः यह बिन्दु उठाया था कि केन्द्रीय व राजकीय लोक निर्माण विभाग की भांति विद्युत परिषद् में तकनीकी आडिट प्रकोष्ठ के गठन की आवश्यकता है जिसमें गुणवत्ता व कार्य की वास्तविकता के संबंध में शासन को मालूम होता रहे। तकनीकी आडिट प्रकोष्ठ का गठन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के एम० जी० आर० की खुदायी गयी मिट्टी के भुगतान का मामला

52–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के एम० जी० आर० की 4.00 से 5.00 किलोमीटर के बीच की गयी खुदायी का समस्त मिट्टी के निस्तारण व भुगतान परियोजना द्वारा पूर्वी रेलवे को वर्ष 1980-81 में किया गया था ? यदि हां, तो कुल कितना भुगतान किया गया था ? क्या यह सत्य है कि इस कार्य से निकली मिट्टी की ढुलाई दिखाकर अलग से अनुबन्ध किया गया था ? यदि हां, तो कुल कितना किया गया और किसको ? इन दोनों कार्यों को कराने वाले कौन-कौन अधिकारी थे तथा दोनों की शर्तें क्या थी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र में आडिटोरियम के निर्माण में बरती गई अनियमितता

53–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र में आडिटोरियम के निर्माण के लिये परिषद् द्वारा कितना धन स्वीकृत किया गया था और कितना व्यय हुआ ? कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा ? क्या यह सत्य है कि विभिन्न मदों में जो व्यय किया गया है उसमें अनियमितता बरती गई थी ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदारी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र में आडटोरियम के निर्माण हेतु प्रोजेक्ट स्टीमेट में 60 लाख रुपये का प्राविधान है, जिसके तहत कुल खर्चा निम्न प्रकार है :–

1. जनपदीय कार्यों पर खर्च	रु० 52.00 लाख
2. कुर्सियों की आपूर्ति	रु० 8.82 लाख
3. साउण्ड सिस्टम	रु० 4.43 लाख
4. विद्युतीकरण प्रकाश व्यवस्था एवं मंच सज्जा	रु० 14.14 लाख
कुल व्यय	रु० 79.29 लाख

निर्माण कार्य वर्ष 1992-93 में पूरा हो चुका है । विभिन्न मदों में हुए व्यय में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के समस्त कर्मचारियों को एकरूपता में वाहन भत्ता दिये जाने की मांग

54–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं में विद्युत गृह परिसर में कार्यरत अवर अभियन्ताओं एवं परिषदीय सचिवालय शक्ति भवन में कार्यरत कार्मिक/अधिकारियों को वाहन भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन समस्त कार्मिक/अधिकारियों को परिसर के बाहर परिषदीय कार्य से जाना पड़ता है ? यदि नहीं, तो क्या समस्त कर्मचारियों को एकरूपता में वाहन भत्ता देने की कोई योजना परिषद् के विचाराधीन है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वाहन भत्ता लोडा देने हेतु किस स्तर की अनुमन्यता प्राप्त है ? नवम्बर, 88 से आज तक इसमें कुल कितना व्यय किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं में मात्र अनुरक्षण कार्यों में कार्यरत अवर अभियन्ताओं एवं परिषदीय सचिवालय शक्ति भवन में कार्यरत मुख्यालय/केन्द्रीय लेखा के कार्मिकों/अधिकारियों को वाहन भत्ता दिया जाता है।

वाहन भत्ता 8 किमी० के अन्दर नियमित रूप से अपने वाहन से पर्याप्त यात्रा करने हेतु दिया जाता है जिसके लिये उन्हें सामान्य यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं है।

जी नहीं।

वाहन भत्ता/लोडा उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अनुमोदित है।

नवम्बर, 1988 से सितम्बर, 1993 तक रु० 1038.33 लाख व्यय किया गया है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र में वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत लगाये गये पेड़ों तथा व्यय धनराशि का विवरण

55–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या उर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र में वृक्षारोपण के नाम पर अब तक 90.00 लाख (नब्बे लाख) रुपये व्यय किया गया है ? यदि हां, तो कुल कितने पेड़ कब-कब तथा किसके द्वारा कहां-कहां लगवाये गये ? वर्तमान में कितने जंगली एवं कितने फलदार वृक्ष हैं ? वृक्षारोपण में कितने-कितने पेड़ लगाने के लिये ठेकेदार को दिये गये थे ? कितना भुगतान हुआ ? पिछले तीन वर्षों में कितने पेड़ किन अधिकारियों द्वारा काटे गये और क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला सहकारी बैंक लि० बदायूं में प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों की वापसी जानकारी

56–श्री बच्चा पाठक–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि० बदायूं में वर्ष 1988-89 में कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लिये गये थे ? वे कितनी अवधि के लिये गये थे ? क्या इनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या इन्हें बैंक से मूल विभाग को वापस कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इन्हें कब तक वापस किया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

33 (तैंतीस)।

3 वर्ष।

जी हां।

जी नहीं ।

स्वीकृत पदों के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पैक्स कैडर सचिवों तथा प्रसार/तकनीकी अधिकारियों को बैंक की सेवा में आमेलित करने के निर्देश दिये गये हैं । आमेलन होने अथवा अन्य व्यवस्था होने तक इन्हें प्रतिनियुक्ति से वापस करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक लि० बदायूं में प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों को हटाये जाने की मांग

57–श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जिला सहकारी बैंक लि० बदायूं में 22 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर रखे गये हैं, जबकि निबन्धक के परिपत्र सं०–सी–149 के अन्तर्गत 13 कर्मचारियों की व्यवस्था दी गयी है ? क्या यह भी सही है कि गत वर्ष बैंक 33 लाख के घाटे में रहा है ? क्या उक्त स्थिति में अधिक संख्या में प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वर्तमान में 23 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं ।

सी–149 में 13 से अधिक कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था है ।

जी नहीं, गत वर्ष का घाटा रु० 26.35 लाख था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या स्वीकृत पदों से अधिक नहीं है ।

जिला सहकारी बैंक लि० बदायूं के वर्ग–3 के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित किये जाने की मांग

58–श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि० बदायूं के वर्ग-3 के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची सहकारी कर्मचारी सेवा विनियमावली 1975 के संशोधित विनियम–26 के आधार पर प्रकाशित की गयी है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? सूची कब तक प्रकाशित की जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

वर्ष 1991 में प्रकाशित की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण में बरती गयी अनियमितता तथा दोषी कार्मिकों के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही की मांग

59–श्री बैजनाथ रावत–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी तथा जिलाधीश, बाराबंकी को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-1-94 बाराबंकी जनपद के ग्राम–रामपुर, ब्लाक–बनीकोडर, ग्राम–जमोली, तहसील–रामसनेही घाट, ग्राम–ढेमा, ब्लाक–मवई, ग्राम–मझौसी, ब्लाक–मवई में ग्रामीण विद्युतीकरण में अनियमिततायें बरते जाने तथा विद्युत विभाग के कार्मिकों द्वारा बिजली के तार काटे जाने के संबंध में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्रों पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा कब की गयी तथा शासन को जांच आख्या किस तिथि को प्राप्त हुई ? दोषी कार्मिकों के नाम व पदनाम क्या हैं ? शासन इस संबंध में कब क्या कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । मा० मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

ग्राम रामपुर ब्लाक वनीकोडर की जांच उपखण्ड अधिकारी चतुर्थ, हैदरगढ़, बाराबंकी द्वारा दिनांक 22-3-94 को एवं ग्राम जमोली तहसील रामसनेहीघाट, ग्राम ढेमा तथा ग्राम मझोटी, ब्लाक मवई की जांच उपखण्ड अधिकारी, तृतीय रामसनेहीघाट, बाराबंकी द्वारा दिनांक 2-4-94 को की गयी । कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा के ब्लाक गोदलामऊ आदि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से किये जाने की मांग

60–श्री बाल गोविन्द राजवंशी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा में ब्लाक गोदलामऊ व मछरेहटा में पड़ने वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पिछले वर्षों से बहुत ही कम है ? यदि हां, तो विद्युत आपूर्ति की कमी के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी उपरोक्त क्षेत्रों की उच्च स्तरीय जांच कराकर शासन की नीति के अनुसार विद्युत आपूर्ति कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

गत वित्तीय वर्ष 93-94 में औसत विद्युत आपूर्ति वर्ष 92-93 एवं वर्ष 91-92 की तुलना में कुछ कम रही । तुलनात्मक दृष्टि से विद्युत आपूर्ति कम होने का कारण यह था कि वर्ष 91-92 एवं 92-93 में इस क्षेत्र में निर्धारित ग्रामीण शिड्यूल से अधिक विद्युत आपूर्ति की गयी थी ।

शासन की नीति के अनुसार 16 घंटे प्रतिदिन से अधिक विद्युत आपूर्ति की जा रही है इसलिये जांच की आवश्यकता नहीं है ।

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, सीतापुर द्वारा विद्युत आपूर्ति न किये जाने के संबंध में शिकायत

61–श्री बाल गोविन्द राजवंशी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सीतापुर को इसके संबंध में कोई जानकारी क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा वर्ष 1993 में प्राप्त करायी गयी है ? यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, सीतापुर द्वारा दिनांक 31-1-94 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही न की गयी तो इसके लिये कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

क्योंकि विद्युत आपूर्ति निर्धारित शेड्यूल के अनुसार की जा रही थी इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

कोई कर्मचारी दोषी नहीं है ।

जनपद उन्नाव के कतिपय विकास खण्डों में कुओं का जलस्तर गिरने से उत्पन्न पेयजल संकट

62–श्री हृदय नारायण–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के कुओं के जल स्तर गिरते रहने से पूरे जनपद खास तौर से असोहा, पुरवा व हिलौली, विकास खण्ड के लगभग 30 ग्रामों में भीषण पेयजल संकट है ? क्या सरकार प्रश्नकर्ता द्वारा माह दिसम्बर, 93 व जनवरी, 94 में मुख्य मंत्री को प्रेषित उक्त विषयक तीन पत्रों पर हुई कार्यवाही के निष्कर्ष बतायेगी ? उक्त पत्रों की जांच किसने की ? क्या जांच के दौरान प्रश्नकर्ता से कोई सहयोग लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रश्नगत क्षेत्र में जल स्तर नीचे गिरने से ग्रामों में पेयजल की समस्या है किन्तु प्रश्न में जिन 30 ग्रामों का विशेष उल्लेख किया गया है, स्पष्ट नहीं है ।

प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित तीनों पत्रों के आधार पर प्रश्नगत क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया गया जिसके अनुसार उक्त क्षेत्रों में जल स्तर नीचा पाया गया तथा 132 ग्रामों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पानी पीने योग्य नहीं पाया गया । उन्नाव जनपद के 616 ग्रामों के लिये एक पाइप पेयजल योजना रु० 33.91 करोड़ लागत की बनायी गयी है । उक्त योजना में प्रश्नगत 132 ग्राम भी शामिल किये गये हैं ।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उ० प्र० जल निगम, उन्नाव ने प्रश्नगत पत्रों की जांच की ।

जी नहीं । क्योंकि प्रश्नगर्ता द्वारा बतायी गयी स्थिति में कोई विरोधाभास नहीं पाया गया ।

पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष 1989 में कृषकों को वितरित दस हजार रुपये माफ न किये जाने के कारणों की जानकारी

63–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 में कृषकों के दस हजार रुपये तक के कर्जों को माफ किये जाने की घोषणा तत्कालीन सरकार ने की थी ? यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकांश कृषकों के ऋणों को माफ न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं । वर्ष 1990 में आदेश दिये गये थे ।

शासनादेश सं०–2214(1)/12–सी–1-1990 दिनांक 30-5-90 के अनुसार पात्र सदस्यों के ही ऋण माफ किये गये ।

जनपद लखनऊ में जलालपुर में ट्यूबवेल लगवाने सम्बन्धी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

64–श्री सतीश भाटिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि श्री कृष्ण कुमार लाल शीतला पुरम् निकट पीताम्बर खेड़ा, राजाजीपुरम्, जनपद लखनऊ द्वारा प्राप्त पत्र जो लोक शिकायत अनुभाग–3 द्वारा प्रेषित संख्या लखनऊ 3180/लोक शिकायत 3/1993, दिनांक 31-7-93 जो जलालपुर में ट्यूबवेल लगवाने के संबंध में है, उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या शासन द्वारा योजना बन गयी है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

महाप्रबन्धक, लखनऊ जल संस्थान को शासन के पत्र संख्या–723(1)जी ए/9-3-93 एल (1)/93, दिनांक 7-9-93 द्वारा यथोचित कार्यवाही हेतु भेजा गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के विराटनगर, कासिमपुर पकरी, आलमबाग, लखनऊ में टूटे बिजली के खम्भे को बदलने की मांग

65–श्री सतीश भाटिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विराटनगर, कासिमपुर पकरी, आलमबाग, जनपद लखनऊ में एक बिजली का पोल टूट गया है ? क्या इसकी जानकारी एस० डी० ओ० सिंगारनगर, लखनऊ को दिनांक 13-12-93 को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो कब तक खम्भे को बदल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त खम्भा क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरुप मरम्मत करवाकर ठीक कर दिया गया है । विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है । अतः खम्भें को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

जनपद लखनऊ स्थित जलालपुर में सुलभ शौचालय की योजना की जानकारी

66–श्री सतीश भाटिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलालपुर, जनपद लखनऊ में सुलभ शौचालय बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू० पी० को-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, 32 स्टेशन रोड, लखनऊ के अधीन महोबा स्थित गोडाउन के निर्माण कार्य में किये गये व्यय एवं भुगतान आदि का विवरण

67–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० को-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, 32. स्टेशन रोड, लखनऊ के अधीन महोबा स्थित गोडाउन का निर्माण कार्य किसके द्वारा किन शर्तों के अधीन कराया गया ? गोडाऊन निर्माण की लागत क्या थी और ठेकेदार को कुल कितना भुगतान किन तिथियों में कराया गया ? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा ट्रसेज की आपूर्ति की गयी थी ? यदि हां, तो इसका अलग से कितना भुगतान किसके द्वारा कराया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मेसर्स एम० एस० बिल्डर्स को पिछले पांच वर्षों में कुल कितने ठेके दिये गये तथा उसकी लागत क्या थी तथा पी० सी० एफ० विभिन्न कार्यों में प्रतिमाह कितना भुगतान करता है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

पी० सी० एफ० के महोबा स्थित गोडाउन का निर्माण कार्य निविदायें आमंत्रित करके न्यूनतम दर पर मै० जी० के० खन्ना, कानपुर के द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अधीन कराया गया ।

गोदाम निर्माण लागत रु० 9,76,885.36 थी । ठेकेदार का प्रथम भुगतान रु० 5,60,344.42 दिनांक 7 जनवरी, 1993 को तथा द्वितीय भुगतान रु० 2,52,679.66 दिनांक 7 जुलाई, 1993 को किया गया ।

ट्रसेज की आपूर्ति विभाग द्वारा की गयी जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया । उपरोक्त अनुबन्धित लागत रु० 9,76,885.36 ट्रसेज रहित है ।

मेसर्स एस० एस० बिल्डर्स को पिछले पांच वर्षों में कोई ठेका नहीं दिया गया । अतः लागत व भुगतान आदि का विवरण दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

यू० पी० को-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ में विगत तीन-चार वर्षों से हो रहे घाटे के कारणों की जानकारी

68–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० को-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ का वर्ष 1991-92, 92-93 एवं 93-94 की बैलेन्स शीट बनायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1993-94 की बैलेन्स शीट में 16 करोड़ रुपये घाटे दिखाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या विगत वर्षों में भी घाटे हुए थे ? यदि हां, तो अधिकारियों/कर्मचारियों को विगत वर्षों में एक्सग्रेसिया का कितना भुगतान किया गया ? क्या न्यायालय में लम्बित भुगतान के दावे को भी लाभ की पूंजी मानी गयी है ? यदि हां, तो लम्बित मामले की कोटेवार स्थिति क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वर्ष 1991-92तथा 1992-93 की बैलेन्स शीट बना ली गयी है । वर्ष 1993-94 की बैलेन्स शीट अभी नहीं बनायी गयी है ।

वर्ष 1993-94 की बैलेन्स शीट न बनाये जाने के कारण उसमें घाटा दिखाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

लाभ के वर्ष 1991-92 में 99.32 लाख रुपये तथा वर्ष 1992-93 में शून्य एक्सग्रेसिया का भुगतान किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

यू० पी० को-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ में नियमावली के तहत अधिकारियों की प्रोन्नति

69–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यू० पी० को-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ ने अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों की कोई सेवा नियमावली बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वरिष्ठ प्रबन्धक की प्रोन्नति में क्या कोई अनियमितताएं बरती गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? श्री रवीन्द्र सिंह यादव, क्षेत्रीय प्रबन्धक को वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर प्रोन्नति न देने के क्या कारण हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

सचिव, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ के पत्रांक–2457/मण्डल/से० वि०/80, दिनांक 4-12-80 द्वारा अनुमोदित यू० पी० को-आपरेटिव फेडरेशन लि०, कर्मचारी सेवा नियमावली, 1980 है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वरिष्ठता सूची के अनुसार श्री रवीन्द्र सिंह यादव से भी वरिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति अभी नहीं हुई है। अतः श्री रवीन्द्र सिंह यादव को पदोन्नति देने अथवा न देने का प्रश्न नहीं उठता।

यू० पी० को-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ के अधीन रानीखेत स्थित फैक्ट्री के निर्माण कार्य के दौरान अधिकतर भाग ढह जाने से उत्पन्न स्थिति की जानकारी

70–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० को-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ के अधीन रानीखेत स्थित फैक्ट्री के निर्माण कार्य के दौरान छः माह के अन्दर ही फैक्ट्री निर्माण का अधिकतर भाग गिर गया था ? यदि हां, तो इस परियोजना की लागत क्या थी, तथा किस अधिकारी के देख-रेख में निर्माण कराया गया ? ठेकेदार को किन-किन तिथियों में कितना भुगतान किया गया और किसके आदेश से ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता–

जनपद खीरी की टाउन एरिया धौरहरा में जल निगम द्वारा निर्मित पानी की टंकी से पानी की सप्लाई सुचारु रूप से न किये जाने के कारणों की जानकारी

71–श्री यशपाल चौधरी तथा श्री मुख्तार अनीस–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी की टाउन एरिया धौरहरा में जल निगम द्वारा 12 वर्ष पूर्व पानी की टंकी निर्मित कराई गयी व पाइप लाइन डाली गयी ? क्या इस पर लगभग एक करोड़ रुपये का व्यय किया जाना अनुमानित था ? कया उक्त पानी की टंकी से अब तक पानी की सप्लाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

वर्ष 1986 में टाउन एरिया की योजना पूर्ण की गयी थी जिसमे टंकी निर्माण तथा पाइप लाइन का कार्य सम्मिलित था । जी नहीं केवल रुपया 32.189 लाख व्यय हुआ था । माह दिसम्बर, 1986 में योजना पूर्ण कर लगभग 6 माह तक टंकी के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराकर योजना मार्च, 1987 में टाउन एरिया को हस्तांतरित कर दी गयी । टाउन एरिया द्वारा लगभग 1 वर्ष तक टंकी से पेयजल की आपूर्ति की गयी, तदोपरान्त सम्भवतः मार्च, 1988 से आपूर्ति नहीं हो रही है ।

जनपद खीरी के टाउन एरिया धौरहरा में पानी की टंकी संचालित करने हेतु उ० प्र० जल निगम को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद खीरी के मुख्यालय लखीमपुर में बस डिपो के खुलवाने से संबंधित कठिनाइयों की जानकारी

72–श्री यशपाल चौधरी तथा श्री मुख्तार अनीस–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के मुख्यालय लखीमपुर में बस डिपो की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो बस डिपो न बनने में क्या कठिनाइयां हैं ? क्या इंडस्ट्रियल एरिया में बस डिपो हेतु शासन द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी गयी है ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

भूमि क्रय करने के लिये संसाधनों का अभाव है । अतः जिलाधिकारी, खीरी से 5 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम के द्वारा 5 एकड़ भूमि परिवहन निगम को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव था लेकिन निगम के पास संसाधन न होने के कारण इस भूमि का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा संचालित विद्युत परिषद् इण्टर कालेज, टाण्डा परियोजना के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक द्वारा किये गये भ्रष्टाचार विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

73–श्री मित्रसेन यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा संचालित विद्युत परिषद् इण्टर कालेज, टाण्डा परियोजना के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक द्वारा किए गए भ्रष्टाचार एवं एक ही प्रकार एवं स्तर का कार्य कर रहे सी० टी०, एल० टी० के अध्यापकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति संबंधी श्री आर० पी० पाण्डेय, जिला मंत्री, आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फैजाबाद का पत्र दिनांक 30-8-93 मुख्य परियोजना प्रबन्धक टाण्डा परियोजना को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद ने समय-समय पर प्रबन्धक एवं प्राचार्य को उक्त विषयक शिक्षा विनियमों के अनुरूप कोई दिशा निर्देश दिया है ? यदि हां, तो क्या उनका पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त विद्यालय प्रवक्ता विहीन हैं ? क्या विगत वर्षों में हाई स्कूल एवं इण्टर कक्षाओं में अध्यापन कार्य सी० टी० संवर्ग के अध्यापकों से लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त अध्यापकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध लगाये गये आरोपों में निश्चित बिन्दु एवं साक्ष्य के अभाव में कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं था । जहां तक सी० टी०, एल० टी० के अध्यापकों को प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति का प्रश्न है यह इस कारण सम्भव नहीं है क्योंकि एक तो प्रवक्ता के पद सृजित नहीं हैं तथा दूसरा यह कि अध्यापकों की वरिष्ठता सम्बन्धी प्रकरण मा० उच्च नयायालय में विचाराधीन है । जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद ने समय-समय पर प्रबन्धक एवं प्राचार्य को उक्त विषयक शिक्षा विनियमों के अनुरूप जो भी दिशा निर्देश दिये हैं उसका यथासम्भव पालन किया गया है । अध्यापकों की वरिष्ठता तथा प्रोन्नति का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण, उस पर विचार नहीं किया जा सका ।

जी हां ।

जी हां ।

पद सृजित होने एवं उच्च न्यायालय में लम्बित वाद के निर्णीत होने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सीतापुर के मछरेहटा तथा गोदलामऊ विकास खंडों में बन्द पड़े हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की मांग

74–श्री बाल गोविन्द राजवंशी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले दोनों ब्लाकों में नागरिकों की पेयजल की बहुत जटिल समस्या है ? यदि हां, तो

अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि जल निगम द्वारा निर्मित हैण्डपम्प बिल्कुल बन्द पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो क्या खराब हैण्डपम्पों को शीघ्र ठीक कराकर नागरिकों को पानी पीने के लिये सुनिश्चित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा के अन्तर्गत पड़ने वाले मछरेहटा एवं गोंदलामऊ विकास खण्ड में कुल 252 ग्राम हैं जिनकी पेयजल समस्या के निदान हेतु 832 हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं। मानक के अनुसार 487 हैण्ड पम्प संतृप्तिकरण हेतु लगाये जाने शेष हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में 832 हैण्ड पम्पों में से 92 हैण्ड पम्प खराब हैं जिसमें से 40 हैण्ड पम्पों की रीबोरिंग होनी है तथा 52 हैण्ड पम्पों में जी० आई० पाईप खराब हो गया है और पानी कम दे रहे हैं जिन्हें बदलना धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद लखनऊ स्थित ग्राम पारा में विद्युत के अवैध कनेक्शन दिये जाने की शिकायत

75–श्री मयंकर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पारा, जनपद लखनऊ के निवासियों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु वर्तमान क्षमता के ट्रान्सफार्मर पर ही इस्टीमेट जन, 1992 में जमा करवाकर वर्क आर्डर कर दिया गया था ? यदि हां, तो अभी तक संबंधित उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन इस क्षेत्र में अवैध विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इन अवैध कनेक्शन से विद्युत शुल्क की वसूली की जा रही है ? क्या उक्त धनराशि को विद्युत विभाग के खाते में जमा किया जा रहा है ? यदि हां, तो जून, 1992 से अब तक कितनी धनराशि जमा हो गयी है ? यदि नहीं, तो इन अवैध कनेक्शन को दिये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रम न्यायालय, आगरा के आदेशानुसार अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हाथरस, अलीगढ़ द्वारा श्री हरी मोहन पुत्र श्री जमुना प्रसाद यादव को मुआवजे का भुगतान

76–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उप श्रमायुक्त, आगरा क्षेत्र, 32–गार्डेन रोड, आगरा ने माननीय श्रम न्यायालय, आगरा द्वारा अभिदेश वाद संख्या–137/83 में दिये गये एवार्ड के पालन में रुपया 39,422.96 की वसूली अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हाथरस, अलीगढ़ एवं उ० प्र० विद्युत परिषद् से किये जाने हेतु आदेश संख्या–6734. दिनांक 26-6-92 कलेक्टर, अलीगढ़ को जारी किया है ? यदि हां, तो इस आदेश के अन्तर्गत रु० 39,422.96 की वसूली अभी तक न करने के लिये

कौन अधिकारी दोषी है ? क्या यह सही है कि संबंधित कर्मचारी श्री हरी मोहन पुत्र श्री जमुना प्रसाद यादव द्वारा कलेक्टर, अलीगढ़ को दि० 15-2-93 व 3-1-94 को पत्र लिखकर उक्त राशि की वसूली कर भुगतान कराने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा किस तिथि तक धनराशि की वसूली करके कर्मचारी को भुगतान करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । इस राशि का परिषद् द्वारा चेक सं०--121183, दिनांक 28-1-94 द्वारा भुगतान श्रमिक, श्री हरी मोहन पुत्र जमुना प्रसाद यादव को कर दिया गया है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर (अलीगढ़) के कतिपय कार्मिकों को परिषदीय आदेशों के विरुद्ध वेतनमान प्रदान करने की शिकायतें

77–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में बेल्डर पद पर कार्यरत कार्मिकों को परिषदीय आदेशों के विरुद्ध वेतनमान प्रदान कर विद्युत परिषद् को रु० 50,000 से अधिक की क्षति पहुंचाये जाने के संबंध में उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ, 2. नवीन मार्केट, कानपुर का पत्र सं०–3012/उ० प्र० वि० म० सं०/93, दिनांक 30-12-93 विद्युत परिषद्/शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी व क्या निर्णय लिया गया ? परिषद् के आदेशों के विरुद्ध अनियमित तरीके से भुगतान की गयी धनराशि की वसूली करने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा किस तिथि तक अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जायेगी ? अनियमित रूप से कितनी धनराशि का भुगतान अब तक किया जा चुका है तथा इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त पत्र पर परिषदीय नियमों के अन्तर्गत छानबीन की जा रही है और जांचोपरान्त नियमों के अनुरूप यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर (अलीगढ़) के कतिपय कर्मचारियों के वेतन से अवैध रूप से काटी गयी धनराशि की वापसी की मांग

78–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) के 198 कर्मचारियों के माह मार्च, 1992 के वेतन से अवैध रूप से काटी गयी धनराशि का भुगतान कर्मचारियों को कराये जाने विषयक महामंत्री, उत्तर प्रदेश

विद्युत मजदूर संघ का पत्र सं०-172-उ० प्र० वि० म० सं०/94, दिनांक 17-1-94 तथा प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-1-94 विद्युत परिषद्/शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? प्रश्नगत 198 कर्मचारियों की उपस्थिति श्रमपर्वतन अधिकारी, श्रम विभाग, उ० प्र०, अलीगढ़ द्वारा प्रमाणित किये जाने के बावजूद कर्मचारियों को वेतन भुगतान न किये जाने के लिये कौन अधिकारी दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? 198 कर्मचारियों के माह मार्च, 92 के वेतन से काटी गयी धनराशि का भुगतान किस तिथि तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

उपरोक्त पत्र श्रम प्रर्वतन अधिकारी, श्रम विभाग, उ० प्र० अलीगढ़ की जांच रिपोर्ट के आधार पर हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) के 198 कर्मचारियों के माह मार्च, 1992 के वेतन से अवैध रूप से काटी गयी राशि का भुगतान कर्मचारियों को कराये जाने के संबंध में है। परिषदीय आदेश दिनांक 1994 द्वारा उक्त अवधि हेतु कर्मचारियों की अनुमन्य अवकाश स्वीकृत किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं परन्तु भविष्य में यह दृष्टान्त नहीं बनेगा ।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्मचारियों को वेतन का भुगतान हरदुआगंज परियोजना द्वारा किया जा चुका है ।

79-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

| आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त |

यू० पी० को-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ के अधीन हल्द्वानी स्थित दुकानों के निर्माण कार्य मानक के अनुसार न कराये जाने की शिकायत एवं जांच करने की मांग

80-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० को-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ के अधीन हल्द्वानी स्थित दुकानों का कार्य निर्धारित मानक के अनुसार हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उसकी लागत पूर्व में क्या निर्धारित की गयी थी और अब क्या लागत है ? दुकानों के निर्माण कार्य की जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी तथा जांच रिपोर्ट क्या है ? ठेकेदार को कितना रुपया भुगतान किया जा चुका है ? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

पी० सी० एफ० के हल्द्वानी स्थित सभी दुकानों के निर्माण का कार्य मानक के अनुसार ही कराया गया ।

दुकानों की लागत रु० 12,72,032.30 के अन्तर्गत समस्त कार्य पूर्ण किया गया ।

समस्त कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप ही कराया गया । अन्तिम भुगतान कमेटी के संयुक्त निरीक्षणोपरान्त ही किया जायेगा ।

ठेकेदार को रु० 8,73,867.44 का भुगतान हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परियोजना कासिमपुर (अलीगढ़) के कतिपय कर्मचारियों को स्थानान्तरित किये जाने के बावजूद कार्यमुक्त न किये जाने के संबंध में शिकायत

81–श्री विजय सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में कार्यरत कुछ कर्मचारियों को सरप्लस घोषित कर मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, 4, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ के आदेश संख्या 275(बी)अ–7/3बी–1/0/ टाण्डा परियोजना/91, दिनांक 3-10-91 द्वारा टाण्डा तापीय विद्युत परियोजना, फैजाबाद के लिये स्थानान्तरित करने के आदेश किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इस आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिन कर्मचारियों को अभी तक हरदुआगंज से टाण्डा ताप विद्युत परियोजना के लिये उक्त आदेश के अनुपालन में कार्य मुक्त नहीं किया गया है उन्हें किस तिथि तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा ? उक्त आदेश का पालन अभी तक सुनिश्चित न करने के लिये कौन अधिकारी दोषी/जिम्मेदार है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

हरदुआगंज तापीय परियोजना, कासिमपुर के 19 कर्मचारियों को टाण्डा तापीय परियोजना के लिये मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 275(बी)अ–7/3बी–1/ओ/टाण्डा परियोजना, दिनांक 31-10-91 द्वारा स्थानान्तरण आदेश किये गये हैं न कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 275(बी)(अ)–7/3बी–1/ओ/टाण्डा परियोजना, दिनांक 3-10-91 ।

उक्त आदेश का आंशिक अनुपालन किया गया है जिसकी स्थिति निम्नवत् है :—

1–टाण्डा परियोजना के लिये स्थानान्तरित कर्मचारियों की संख्या–	19 (उन्नीस)
2–मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ० प्र० रा० वि० प०, लखनऊ द्वारा उक्त में से जिनके स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिये गये हैं, उन कर्मचारियों की सं०–	7 (सात) (क) छः के आदेश निरस्त । (ख) एक के आदेश मृत्यु उपरान्त निरस्त ।
3–स्थानान्तरण आदेशों में संशोधन करके, अन्यत्र स्थानान्तरित कर्मचारी जो कि अवमुक्त भी किये जा चुके हैं–	2 (दो) (क) एक पारीक्षा (ख) एक आनपारा अवमुक्त भी किया जा चुका है ।

4–अवमुक्त किये जा चुके कर्मचारियों की संख्या–	8 (आठ)
5–जिनके आदेश स्थगित हैं–	1 (एक) माननीय न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत स्थगित ।
6–अवमुक्त के लिये कुल शेष–	1 (एक) चूंकि आदेशो में नाम की त्रुटि हो गयी थी अतः शुद्धि हेतु प्रकरण मु० अ० (ज० वि०) लखनऊ को भेजा गया और शुद्धि का संशोधन प्राप्त हो चुका है ।

हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर (अलीगढ़) स्थित परिषदीय आवास सं० ए-10 (नई कालोनी) में अनधिकृत रूप से रह रहे व्यक्ति के कब्जे से मुक्त कराने की मांग

82–श्री विजय सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित श्री बसंत लाल गुप्ता, विधायक द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं०–125 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) स्थित प्रश्नगत परिषदीय आवास संख्या ए–10, (नई कालोनी) को अनधिकृत व्यक्ति के कब्जे से रिक्त कराने के लिये जिला प्रशासन से क्या सहयोग मांगा गया है ? क्या जिला प्रशासन द्वारा वांछित सहयोग प्रदान किया गया ? अभी तक उक्त आवास को अनधिकृत व्यक्ति के कब्जे से रिक्त न करा सकने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उक्त आवास की किस तिथि तक अनधिकृत व्यक्ति के कब्जे से रिक्त करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, जिला प्रशासन अलीगढ़ से पुलिस बल भेजकर प्रश्नगत आवास खाली कराने का सहयोग मांगा गया था । इस संबंध में कई बार जिला प्रशासन से व्यक्तिगत वार्ता की गयी तथा महाप्रबन्धक हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जनपद मण्डल एवं अधिशासी अभियन्ता विद्युत जनपद अनुरक्षण खण्ड–1 द्वारा अनेक पत्र लिखे गये । आवास खाली कराना जनपदीय प्रशासन से सहयोग मिलने पर निर्भर है । जिलाधिकारी को इस संबंध में निर्देश दे दिया गया है ।

इस आवास को खाली न करा सकने के लिये परियोजना का कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। इसके लिये सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं ।

आवास खाली कराना जनपदीय प्रशासन से सहयोग मिलने पर निर्भर है ।

जिलाधिकारी को इस संबंध में निर्देश दे दिया गया है ।

राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर (अलीगढ़) में कार्यरत कर्म०/अधि० के रोके गये वेतन के भुगतान के संबंध में परिषद् द्वारा गठित 'बंसल कमेटी' की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की मांग

83–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के दिनांक 17-3-92 से 21-3-92 तक की अवधि के रोके गये वेतन का भुगतान किये जाने के संबंध में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा एक द्वि-सदस्यीय समिति (बंसल कमेटी) का गठन किया गया है ? यदि हां, तो बंसल कमेटी की संस्तुतियां क्या हैं ? क्या सरकार बंसल कमेटी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी तथा बतायेगी कि इस पर विद्युत परिषद् द्वारा क्या निर्णय लिया गया ? उक्त कर्मियों/अधिकारियों को दि० 17-3-92 से 21-3-92 तक की अवधि के वेतन का भुगतान किस तिथि तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

बंसल कमेटी का अभिमत निम्न प्रकार है :–

> "17 मार्च से 21 मार्च, 1992 तक 5 दिनों के लिये जिसमें दो दिन अवकाश के थे कर्मचारियों व अधिकारियों ने कोई पूर्व नियोजित आन्दोलन या हड़ताल नहीं की । प्रबन्धन, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल व श्रमिक नेताओं द्वारा होली के पर्व पर देय भुगतानों के मामले को लेकर समझबूझ व सब्र से काम नहीं लिया गया जिसके कारण झगड़ा हुआ, मारपीट की गयी और सभी वर्ग के उत्तेजक कर्मचारियों ने आतंकित होकर 'ब' व 'स' विद्युत गृह के अन्दर कार्य नहीं किया ।"

चूंकि रिपोर्ट अत्यन्त विस्तृत है अतः सदन के पटल पर रख दी गयी है । समिति की संस्तुतियां परिषद् की बैठक में दिनांक 2 व 3 फरवरी, 1994 को प्रस्तुत की गयी थीं जिस पर परिषद् ने यह निर्णय लिया था कि विशेष परिस्थितियों में दिनांक 17-3-92 से 21-3-92 तक की अवधि हेतु कर्मचारियों को अनुमन्य अवकाश स्वीकृत कर दिया जाये, किन्तु भविष्य के लिये यह दृष्टान्त नहीं बनेगा ।

परिषद् के निर्णयोपरान्त महाप्रबन्धक, हरदुआगंज को परिषदीय आदेश संख्या 458/रा0वि0प (औसं०–17)–94–100० एस०/92, दिनांक 19-2-94 द्वारा कर्मचारियों को उक्त अवधि का देय अवकाश स्वीकृत किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं, जो भविष्य के लिये दृष्टान्त नहीं बनेंगे ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर के कतिपय कर्मचारियों को द्वितीय श्रेणी की आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

84–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में कार्यरत ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जो द्वितीय श्रेणी की

आवासीय सुविधा पाने के पात्र हैं तथा जिन्हें अभी तक द्वितीय श्रेणी के आवास आवंटित नहीं किये गये हैं ? ऐसे कर्मचारियों के नाम, पदनाम, परियोजना पर तैनाती की तिथि व द्वितीय श्रेणी आवास हेतु पात्रता की तिथि क्या है ? क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों से कनिष्ठ कर्मचारियों को द्वितीय श्रेणी के आवास आवंटित कर उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के नाम, पदनाम, परियोजना पर तैनाती की तिथि व द्वितीय श्रेणी आवास हेतु पात्रता की तिथि क्या है ? वरिष्ठ कर्मचारियों को द्वितीय श्रेणी का आवास किस तिथि तक आवंटित कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इन्दिरा नगर, लखनऊ में प्रश्नगत नजूल की भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत एवं कार्यवाही की मांग

८५-श्री हरेन्द्र सिंह तथा श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि इन्दिरा नगर, लखनऊ ए ब्लाक 1407/11, आवास विकास कालोनी के दगल में गनेश नामक व्यक्ति का मकान बना है, जोकि नजूल की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा है ? क्या भूमि के कुछ फर्जी पट्टे कराये जाने के बाद पट्टे से अधिक भूमि पर कब्जा है ? क्या आवास विकास की जमीन पर आवंटित कब्जा धारियों के जमीन में भी जबरदस्ती सीवर डलवाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके द्वारा बनाये गये अवैध मकान को जो नजूल की जमीन है, की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराते हुए दण्डित करने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत भूमि नजूल की भूमि नहीं है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में "टेबुलेटर" के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को अनियमित तरीके से अतिकाल भत्ता एवं पाली भत्ता दिये जाने से सम्बन्धित शिकायत

८६-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में "टेबुलेटर" के कितने पद, किस संवर्ग में स्वीकृत हैं ? उक्त पद पर कार्यरत कर्मियों के नाम व नियुक्ति की तिथियां क्या हैं ? क्या "टेबुलेटर" पद पर कार्यरत कर्मियों को अनियमित तरीके से "पाली भत्ता" एवं "अतिकाल भत्ता" देकर विद्युत परिषद् को क्षति पहुंचाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-12-93 महाप्रबन्धक, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी तथा क्या

निर्णय लिया गया ? अनियमित तरीके से पाली भत्ता एवं अतिकाल भत्ता के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान "टेबुलेटर" पद के कार्मिकों को किया जा चुका है तथा इसकी वसूली शासन द्वारा कब तक कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

परिषद् द्वारा टेबुलेटर का एक पद वेतनमान रु० 1200-1800 में स्वीकृत है । यह पद एकल पद है ।

श्री रमेश पाण्डे दिनांक 24-9-90 से उक्त पद पर कार्यरत हैं ।

जी हां । महाप्रबन्धक, हरदुआगंज द्वारा छानबीन की गई और यह पाया गया कि चूंकि टेबुलेटर पदधारक विद्युत गृह के मुख्य कन्ट्रोल में लगे टेलीप्रिंटिंग मशीन पर शिफ्ट ड्यूटी करते हैं और उन्हें अपने नियमित शिफ्ट के अलावा अन्य शिफ्टों में भी कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य करना पड़ता है । अतः कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार अतिकाल भत्ता एवं पाली भत्ता का भुगतान किया गया है ।

कोई अनियमितता नहीं की गयी । अतः वसूली का प्रश्न ही नहीं है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न ताप विद्युत परियोजनाओं के विभिन्न श्रमिक संगठनों के कार्यालय हेतु भवनों की मांग

87-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न ताप विद्युत परियोजनाओं में श्रमिक संगठनों के कार्यालय प्रयोग हेतु भवन आवंटित करने की परिषदीय नीति क्या है ? क्या यह सही है कि ओबरा, पनकी, टाण्डा, अनपरा, पारीछा व हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना स्थित विभिन्न परिषदीय भवनों में विभिन्न श्रमिक संगठनों के कार्यालय स्थापित हैं ? यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं में किन-किन भवनों में, किन-किन श्रमिक संगठनों के कार्यालय चल रहे हैं ? क्या यह सही है कि कुछ श्रमिक संगठनों को कार्यालय हेतु परिषदीय भवन परियोजना प्रशासन द्वारा आवंटित भी किये गये हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? जिन भवनों में श्रमिक संगठनों के कार्यालय चल रहे हैं, परन्तु अभी आवंटित नहीं हैं ? क्या उन्हें आवंटित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सितम्बर, 79 से यूनियन/संगठनों के कार्यालयों हेतु भवन आवंटित करने की नीति नहीं है ।

जी हां ।

उक्त सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है । *

---

* छापी नहीं गयी ।

उक्त सूची में ही उल्लिखित हैं ।

जी नहीं, क्योंकि परिषद् की आवंटन की नीति नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर (अलीगढ़) में सेवाकाल के दौरान मृत सेवकों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन व मृत्यु ग्रेच्युटी के लम्बित प्रकरणों में जांच की मांग

88–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में सेवाकाल के दौरान मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन व मृत्यु ग्रेच्युटी की स्वीकृति हेतु कुल कितने प्रकरण दि० 31-1-94 तक लम्बित हैं ? ऐसे मृतक कर्मचारियों के नाम व पद क्या हैं ? जिनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन व मृत्यु के बाद ग्रेच्युटी की स्वीकृति के प्रकरण लम्बित हैं ? प्रकरण लम्बित रहने के क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? शासन द्वारा पारिवारिक पेंशन के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किस तिथि तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर, अलीगढ़ में सेवाकाल के दौरान मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की पारिवारिक पेंशन व मृत्यु ग्रेच्युटी की स्वीकृति हेतु 31-1-94 तक कुल 101 प्रकरण लम्बित थे । ऐसे मृतक कर्मचारियों की सूची उनके पदनाम सहित संलगन है । इनमें से 11 लम्बित मामलों का निस्तारण किया जा चुका है । शेष 90 प्रकरणों में संबंधित मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के द्वारा वांछित अभिलेख जैसे अदेयता प्रमाण-पत्र, परिषदीय आवास रिक्त करने का प्रमाण-पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र अथवा निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण, उनका निस्तारण सम्भव नहीं हो पा रहा है । इसके लिये किसी अधिकारी का दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जैसे-जैसे संबंधित मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की ओर से वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे और सभी औपचारिकताएं पूर्ण कराते जायेंगे उनके लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा। परिषद् को यह मामले 94-95 में निस्तारित करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 171-175 पर)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर (अलीगढ़) में कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची घोषित करने की मांग

४७–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पदानुसार वरिष्ठता सूची घोषित की गयी है ? यदि हां, तो वह वरिष्ठता सूची क्या है ? यदि नहीं, तो वरिष्ठता सूची घोषित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ? कर्मचारियों की पदानुसार वरिष्ठता सूची किस तिथि तक घोषित कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

परियोजना स्तर से सम्बन्धित पदों की अनन्तिम वरिष्ठता सूची कुछ पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की घोषित की गयी है ।

अनन्तिम वरिष्ठता सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है । †

परियोजना स्तर के शेष बचे पदों के कर्मचारियों की अनन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गमित किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है । इसे तीन माह में अन्तिम किया जायेगा ।

उ प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन चिकित्सालयों में कार्यरत फार्मासिस्टों के वेतन विसंगति को संशोधित किये जाने की मांग

५१–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन विभिन्न चिकित्सालयों में कार्यरत फार्मासिस्ट पद के कर्मचारियों को राजकीय चिकित्सालयों के फार्मासिस्ट के समान वेतनमान 1-7-79 के पूर्व से दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान समय में राजकीय चिकित्सालयों के फार्मासिस्ट के वेतनमान से निम्न वेतनमान उन्हें दिये जा रहे हैं ? क्या विद्युत परिषद्/शासन द्वारा राजकीय चिकित्सालयों को देय वेतनमान की तुलना में विद्युत परिषद् चिकित्सालयों के फार्मासिस्ट पद के वेतनमान की विसंगति को समाप्त करके वेतनमान संशोधित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

परिषद् ने अपने कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान 1-4-84 से पुनरीक्षित किये हैं जबकि शासन ने 1-1-86 से । वेतनमान में भिन्नता इसी कारण से है ।

प्रश्नगत प्रकरण शासन की सहमति से गठित उच्च स्तरीय समिति को संदर्भित किया गया था, जिनकी अनुशंसायें प्राप्त हो गयी हैं एवं सम्प्रति परिषद् के सक्रिय विचाराधीन है।

जनपद लखनऊ स्थित मोहल्ला अशरफाबाद में सीवर लाइन बिछाने की योजना

91–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित मोहल्ला अशरफाबाद में (जो गली सुधीर मेडिकल स्टोर से होती हुई दूध डेरी श्याम कुटी व राम कुटी का मार्ग सम्मिलित है) सीवर लाइन बिछाने की योजना शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो कब और इस योजना में कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त मार्ग पर सीवर लाइन की योजना स्वीकृति के पश्चात् कितनी अवधि बीत चुकी है और अभी तक सीवर लाइन क्यों नहीं बिछायी गयी ? शासन द्वारा उक्त अधूरे पड़े हुए कार्य को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित अशरफाबाद मोहल्ले की जीर्ण-शीर्ण गलियों को शीघ्र निर्मित कराये जाने की मांग

92–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित अशरफाबाद मोहल्ले में (जिसमें खाला बाजार स्थित "सुधीर मेडिकल स्टोर" से अशरफाबाद को जाने वाली गली जो कि "चुन्ना डेरी" के लिये श्याम कुटी-राम कुटी के लिये जाती है) गली निर्मित कराये जाने हेतु पिछले पांच वर्षों से निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो कितना ? क्या उक्त गली का निर्माण कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्या शासन जीर्ण-शीर्ण गलियों को शीघ्र निर्मित करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

नगर महापालिका द्वारा धन की उपलब्धता, कार्य की आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ नगर के निवाजगंज वार्ड में सड़क मरम्मत कराये जाने की मांग

93–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के निवाजगंज वार्ड में पुलिस चौकी अम्बरगंज से यासीनगंज होते हुए कैम्पवेल रोड तक सड़क मरम्मत हेतु शासन से स्वीकृति हो गयी है ? यदि हां, तो इसकी निर्माण लागत कितनी आ गयी है तथा उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र में स्थित पशु वधशाला को अन्यत्र हटाये जाने की मांग

94–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या सरकार को जानकारी है कि ऐशबाग क्षेत्र लखनऊ में पशु वधशाला स्थापित है, जिसके कारण स्थानीय जनता का जीवन नरक हो गया है ? क्या सरकार लखनऊ नगर मध्य से इस पशु वधशाला को अन्यत्र हटाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर कब तक निर्णय लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

मात्र एक पशु वधशाला ऐशबाग मोतीझील में स्थित है, जहां सफाई का समुचित प्रबन्ध है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के ग्राम मुबारकपुर उदयपुर ब्लाक परसेन्डी में विद्युत दुर्घटना से मृत्यु को प्राप्त हुये मृतक स्व० श्री गंगू के आश्रित को राज्य विद्युत परिषद् द्वारा आर्थिक सहायता एवं अन्य देयों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत

95–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि गंगू पुत्र श्री पोहकर, निवासी ग्राम मुबारकपुर उदयपुर, ब्लाक परसेन्डी, जनपद सीतापुर की मृत्यु बिजली का तार स्पर्श करने से हुई दुर्घटना के कारण दिनांक 26-4-1993 को हो गयी थी परन्तु अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा मृतक के आश्रित को आर्थिक सहायता नहीं की गयी है ? यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है तथा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । मृतक के वैध आश्रितों/उत्तराधिकारियों के पक्ष में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, सीतापुर द्वारा दिनांक 31-3-94 को रुपये 8,000 (रुपये आठ हजार) अनुग्रह राशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिसका भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायेगा ।

दुर्गा देवी मार्ग, हसनगंज बावली, लखनऊ के आवासों में पेयजल की आपूर्ति कराये जाने की मांग

96–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुर्गा देवी मार्ग, हसनगंज बावली (सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग के समीप) लखनऊ के आवासों में पेयजल की आपूर्ति न हो पाने के संबंध में उनको श्री राम सजीवन सिंह, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 1993 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस तथ्य की जांच करायी गयी कि उक्त मार्ग के किन आवासों में पानी की आपूर्ति हो पाती है तथा किन आवासों तक पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती है ? उक्त जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा करायी गयी तथा उनके द्वारा क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी ? तदनुसार पेयजल की आपूर्ति के लिये क्या व्यवस्थायें करायी जा रही हैं ? उक्त मार्ग के नागरिकों को पेयजल की घरों तक आपूर्ति कब तक सुनिश्चित करा दी जायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

इस प्रकरण की जांच अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, लखनऊ जल संस्थान के द्वारा की गयी है । दुर्गा देवी लेन में आखिर के दो-तीन भवनों में कम दबाव को छोड़कर शेष में पानी मिल रहा है । आखिर के भवनों में बहुत कम ऊंचाई तक पानी मिलता है । हसनगंज बावली पुलिस चौकी से मोहान रोड पर स्थित भवनों में पानी मिल रहा है । हसनगंज बावली के उत्तर की ओर पिछले भाग स्थित आवासों में पानी कम दबाव पर मिलता है, जो नहीं के बराबर है ।

द्वितीय जलकल के अधीन कैम्पवेल रोड से मोहान तक एवं राजाजीपुरम् के सेक्टर–12 की ओर मेन लाइन डाली जा रही है, यह कार्य उ० प्र० जल निगम द्वारा किया जा रहा है । अनुमान है कि यह लाइन 15 मई, 94 तक चालू कर दी जायेगी ।

दुर्गा देवी मार्ग, हसनगंज बावली, लखनऊ में सड़क निर्माण की मांग

97–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दुर्गा देवी मार्ग, हसनगंज बावली (सेन्ट्रल वेयर हाइसिंग गोडाउन के समीप) लखनऊ में सड़क निर्माण कराये जाने के लिए श्री राम सजीवन सिंह, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 1993 नगर विकास मंत्री को प्राप्त हुआ है ? उक्त पत्र में दिये गये पत्रों के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री द्वारा 14 मई, 1990 को सड़क निर्माण के आदेश निर्गत किये गये थे ? क्या उक्त सड़क का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस संबंध में सड़क निर्माण हेतु निर्गत आदेशों का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा मा० सदस्य की इच्छा के अनुरूप शीघ्र उचित कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये थे ।

जी नहीं ।

धन की अनुपलब्धता के कारण सड़क का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका ।

सड़क निर्माण हेतु समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

उ० प्र० के समस्त महापालिकाओं, नगरपालिकाओं, टाउन एरियाओं के नियमित कर्मचारियों को बकाया वेतन होली से पूर्व दिये जाने की मांग

98–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त महापालिकाओं, नगरपालिकाओं, टाउन एरियाओं के नियमित कर्मचारियों का बकाया वेतन एक माह से लेकर अट्ठारह माह तक का 26 मार्च, 94 होली के महापर्व के पहले सरकार भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं । यह कर्मचारी संबंधित स्थानीय निकायों के कर्मचारी हैं । अतएव उनके बकाया वेतन के भुगतान का दायित्व संबंधित स्थानीय निकाय का है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सभी टाउन एरियाज की चुंगी में 10% बढ़ोत्तरी किये जाने की मांग

99–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के सभी टाउन एरियाओं की चुंगी प्रथा वर्ष 1989 में तोड़ दी गयी थी और उसकी आय की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 1990 में नगरपालिकाओं को क्षतिपूर्ति धनराशि में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है और टाउन एरियाज को बढ़ोत्तरी से वंचित किया गया है ? यदि हां, तो टाउन एरियाज को 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रदेश की टाउन एरियाओं में चुंगी लगती ही नहीं थी अतः वर्ष 1989 से उसके तोड़ने का प्रश्न नहीं उठता । नगरपालिका/नगरमहापालिका में चुंगी लागू थी जो 1-8-90 से समाप्त की गयी इसकी क्षतिपूर्ति 10% वार्षिक वृद्धि के साथ की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ शहर में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की योजना

100–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या नगर विकास मंत्री को विदित है कि अलीगढ़ कुटीर उद्योगों का नगर है, जिसमें अस्सी प्रतिशत जनता कुटीर उद्योगों में मजदूरी करके गरीबी की रेखा से नीचे के स्तर पर जीवन निर्वाह करती है और जो सार्वजनिक शौचालयों पर नित्यकर्म हेतु निर्भर है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि वहां पर सार्वजनिक शौचालय काफी कम हैं या फिर भग्न तथा गन्दी अवस्था में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर मानव की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वच्छ शौचालयों के निर्माण की कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

नगर की जनसंख्या के अनुपात से सार्वजनिक शौचालयों की संख्या में बढ़ोत्तरी सीमित संसाधनों की कमी के फलस्वरूप नहीं की जा सकी है । नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक शौचालयों की दशा को ठीक रखने एवं प्रतिदिन सफाई किये जाने का पूरा-पूरा प्रयास किया जाता है । मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिये लो कास्ट सैनीटेशन योजना चलायी जा रही है ।

सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1994-95 में नये बिजली घरों के निर्माण की योजना

101–श्री सुधीर कुमार वालियान–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या वित्तीय वर्ष 1994-95 में नये बिजली घरों के निर्माण की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो कितने तथा किन-किन स्थानों व जनपदों में ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वित्तीय वर्ष 1994-95 में नये बिजली घरों के निर्मण की शासन की कोई योजना नहीं है । निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं जिन पर वर्ष 1994-95 में निर्माण कार्य किया जाना है, का विवरण निम्नवत है :–

परियोजना का नाम	जनपद	क्षमता पूर्ण होने का लक्ष्य (मेगावाट)
1	2	3
1. टांडा तापीय	फैजाबाद (चतुर्थ इकाई)	110 1994-95

1	2	3
2. आनपारा बी	सोनभद्र (द्वितीय इकाई)	500 1994-95
3. मनेरी भाली चरण–II जलीय	उत्तरकाशी	304 1998-99
4. लखवार व्यासी	देहरादून	420 1999-2000

जनपद वाराणसी के गांव सभा सिंघोरा, पो० सिघोरा ब्लाक पिण्डरा में विद्युत कनेक्शन न दिये जाने के कारणों की जांच की मांग

102–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पूरा, गांव सभा सिंघोरा, पो० सिंघोरा, ब्लाक पिण्डरा, जिला वाराणसी, के 18 अति पिछड़े लोगों ने ता० 26-4-90 को सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण शाखा, वाराणसी के यहां पूरे इस्टीमेट का रुपया बुक संख्या–19620 व रसीद संख्या–3 से 20 तक की जमा किया गया है और कनेक्शन के लिए अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वाराणसी के यहां एग्रीमेंट भी कर दिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक वहां पर तार खींच कर कनेक्शन न देने का कारण क्या है ? क्या सरकार तुरन्त जांच कराकर वहां कनेक्शन देने का आदेश देगी ? क्या जे० ई० श्री मातवर राय के खिलाफ कार्यवाही भी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, यह सही है कि गांव पूरा, पो० सिंघोरा, ब्लाक-पिन्डरा, जिला वाराणसी के 18 लोगों ने प्रतिभूति धनराशि तथा मानक सर्विस कनेक्शन धनराशि रसीद बुक सं० 19620 के द्वारा दिनांक 26-4-90 को जमा किया है ।

प्रश्नगत धन इस आशा से जमा करा लिया गया था कि वित्तीय संसाधनों के मिलने पर एल० टी० लाइन का विस्तार कर दिया जायेगा । संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण एल० टी० लाइन का विस्तार नहीं हो सका । आवेदकों को विद्युत कनेक्शन दिया जाना ग्राम के नियमानुसार चयन तथा एल० टी० मेन से विद्युतीकरण पर निर्भर है ।

श्री मातवर राय अवर-अभियन्ता के विरुद्ध जांच के आदेश दे दिये गये है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में श्री एस० डी० द्विवेदी को आवंटित भवन का परिवर्तन शुल्क माफ किये जाने का अनुरोध

103–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा माह फरवरी, 1994 में एक पत्र उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ को लिखा गया था ? यदि हां, तो उसमें उठाये गये मूल बिन्दु क्या थे ? उस पत्र पर अब तक क्या निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

पत्र में रेल नगर योजना में श्री एस० डी० द्विवेदी को आवंटित भवन सं०-सी 1/173/जे० का परिवर्तन शुल्क माफ करते हुये भवन की रजिस्ट्री कराने की अपेक्षा की गयी थी । विचारोपरान्त परिवर्तन शुल्क माफ करने का अनुरोध अस्वीकार करते हुये पक्ष को सूचित कर दिया गया है ।

सहकारी समितियों द्वारा लखनऊ के कतिपय क्षेत्रों में पाबन्दी के बावजूद कालोनी बनाये जाने की शिकायत

104–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या सरकार को जानकारी है कि सहकारी समितियों को लखनऊ नगर के मध्य कालोनी बनाने पर पाबन्दी है ? यदि हां, तो क्या ठाकुरगंज थाना के अन्तर्गत सरफराजगंज तथा दौलतगंज क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा कालोनी बनायी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन्हें बन्द करने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

सरफराजगंज (बालागंज चुंगी के पीछे) में सहकारी समिति द्वारा प्राधिकरण के नियमों के अन्तर्गत कालोनी बनायी जा रही है किन्तु ठाकुरगंज में कोई कालोनी नहीं बनायी जा रही है । प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कालोनी का तलपट मानचित्र स्वीकृत है ।

उक्त कालोनी का तलपट मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कराया जा चुका है । अतः इसे बन्द करवाने का प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा विकास प्राधिकरण में हो रही अनियमिताओं की जांच की मांग

105–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० भ्रष्टाचार एवं श्रमिक शोषण समिति के प्रान्तीय संयुक्त मंत्री श्री राजनारायण सिंह के द्वारा दिनांक 25-8-90 को बांदा विकास प्राधिकरण की अनियमिताओं के संबंध में की गयी शिकायतों एवं तकनीकी जांच हेतु पत्र के सन्दर्भ में समिति बनाये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बांदा नगर में पेयजल योजना के लिये आवंटित की गई धनराशि के उपयोग की जानकारी

106–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा वर्ष 1990-91 में बांदा नगर में पेयजल स्रोतों के विस्तार हेतु बांदा जल निगम को एक करोड़ उन्चास लाख रुपये की दी गयी धनराशि का उपयोग कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

रु० 123.00 लाख का उपयोग कर लिया गया है ।

शेष धनराशि का कार्य प्रगति पर है ।

लखनऊ नगर महापालिका के अन्तर्गत बरौरा हुसैन बाड़ी, ग्राम बरौरा, कन्दई खेड़ा में सड़कों की मरम्मत स्ट्रीट लाइट और पीने के पानी की व्यवस्था की मांग

107–श्री मोलई प्रसाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरौरा हुसैन बाड़ी, ग्राम बरौरा, कन्दई खेड़ा, लखनऊ जो कि लगभग 25 वर्ष से पूर्व नगर महापालिका के अन्तर्गत आ गये थे ? क्या वहां पर सड़कों के किनारे नाली, स्ट्रीट लाइट एवं पीने का पानी की व्यवस्था आदि उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन द्वारा बालागंज चुंगी से कैम्पवेल रोड होते हुये जो वाटर लाइन पड़ रही है उससे उक्त स्थानीय निवासियों को पीने का पानी प्राप्त कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रश्नगत बरौरा हुसैन बाड़ी, ग्राम बरौरा, कन्दई खेड़ा, लखनऊ नगर महापालिका की सीमा के अन्तर्गत वर्ष 1959 से आये हैं ।

बरौरा हुसैन बाड़ी, ग्राम बरौरा के क्षेत्र में अभी तक सड़कों के किनारे नाली, स्ट्रीट लाईट एवं पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है । ग्राम कन्दई खेड़ा में एक इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प लगा है ।

प्रश्नगत कार्य धन की अनुपलब्धता के कारण नहीं कराये जा सके हैं ।

जी नहीं ।

बालागंज चुंगी से कैम्पवेल रोड होते हुए डाली जा रही वाटर लाईन से भी उक्त ग्रामों को जलापूर्ति किया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जल निगम द्वारा बनायी गयी पेयजल योजना में प्रश्न में उल्लिखित गांव सम्मिलित नहीं है ।

श्री डी० एस० गण्डेविया, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल-कल विभाग, वाराणसी द्वारा शासन की अनुमति के बिना काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी में मास्टर आफ बिजनेस मैनेजमेन्ट की उपाधि प्राप्त किये जाने के संबंध में जांच की मांग

108–श्री नन्द लाल पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 की धारा 112-ख के अन्तर्गत जलकल एवं यांत्रिक अभियन्त्रण अत्यावश्यक सेवा का विभाग एवं केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता का पद केन्द्रीयित सेवा का पद है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्री डी० एस० गण्डेविया, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जलकल

विभाग, वाराणसी ने शासन की बगैर स्वीकृति से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा मास्टर आफ बिजनेस मैनेजमेन्ट की कक्षाओं में नियमित पंजीकृत छात्र के रूप में अध्ययन करके उपाधि प्राप्त की है? यदि हां, तो अत्यावश्यक एवं केन्द्रीयित सेवा के अभियन्ता होते हुए श्री गण्डेविया द्वारा उक्त अनियमितता किन परिस्थितियों में की गयी है ? क्या इस प्रकरण में शासन की बगैर स्वीकृति के अध्ययन करने के दोष में श्री गण्डेविया के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही शासन से प्रस्तावित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

जी हां ।

इस बात की जांच कराने का निर्णय लिया गया है कि श्री गण्डेविया द्वारा अध्ययन करने हेतु प्रवेश लेने के पूर्व शासन से अनुमति लेने की आवश्यकता थी या नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तत्कालीन सहायक अभियन्ता वाराणसी के विरुद्ध जल संस्थान वाराणसी में की गयी अनियमितता की जांच की जानकारी सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

109–श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रमुख सचिव, नगर विकास के पत्रांक–6067/9-3-92-286–डब्लू/9, दिनांक 11-1-93 के क्रम में श्री डी० एस० गण्डेविया, महाप्रबन्धक, जल संस्थान, कानपुर को उनके वाराणसी जल संस्थान कार्यकाल में सेटलिंग टैंक की दीवार टूटने, उससे भीषण जल प्लावन होने, क्षेत्रीय निवासियों को आर्थिक क्षति पहुंचाने तथा उनके घायल होने विषयक अनुशासनिक कार्यवाही हेतु जांच प्रक्रिया, प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ द्वारा पूरी की गयी ? यदि नहीं, तो इसमें शासन क्या निर्णय लेगा ? क्या सरकार विलम्ब का कारण एवं तत्संबंधी अनुशासनिक कार्यवाही के विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

जल निगम को 31-5-94 तक जांच आख्या उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित किया गया है, लेकिन जांच का पूरा होना निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा सूचना उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है ।

निदेशक, स्थानीय निकाय से जांच अधिकारी द्वारा कुछ सूचनायें प्राप्त की जा रही हैं, जिसके पश्चात् अग्रेतर कार्यवाही उनके द्वारा की जायेगी ।

नगर पालिका सीतापुर के कस्बा लहरपुर के विकास की मांग

110–श्री अनिल कुमार –

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका सीतापुर के कस्बा लहरपुर की मार्ग व्यवस्था एवं अन्य विकास कार्यों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है ? क्या उक्त कस्बे की जर्जर स्थिति को देखते हुए नगर पालिका की ओर से कोई विशेष अनुदान के लिए शासन से वित्तीय वर्ष 93-94 में विकास कार्यों की मांग की गयी है ? यदि हां, तो कितना धन नगर पालिका लहरपुर को वित्तीय वर्ष

93-94 में दिया गया ? यदि नहीं, तो ऐसे जर्जर मार्गों के विकास कार्यों के लिए क्या मंत्री जी विशेष अनुदान देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

नगरपालिका, लहर सीतापुर के मुख्य नालों के निर्माण हेतु रु० 3,73,120/–की मांग की गयी थी ।

नगरपालिका, लहरपुर को वित्तीय वर्ष 93-94 में शासन द्वारा साधारण सड़क अनुदान हेतु रु० 3,50,000, नेहरू रोजगार के लिए रु० 5,05,550, मार्ग प्रकाश व्यवस्था/सफाई उपकरण हेतु रु० 50,000 की धनराशि अर्थात् कुल रु० 9,05,550 की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी स्थित ग्राम बाल्हामऊ, तह० नवाबगंज की अनुसूचित जाति बस्ती में बिजली न लगाये जाने के कारणों की जानकारी

111–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाल्हामऊ, तह० नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की अनु० जाति बस्ती में बिजली लगाये जाने से संबंधित ग्रामवासियों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-10-1992 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

संसाधनों की कमी के कारण प्रश्नगत अनुसूचित जाति बस्ती का विद्युतीकरण नहीं हो सका ।

अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं हैं । अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

112–श्री अम्बिका सिंह (गोरखपुर)–

17 वें मंगलवार में अता० प्र० सं० 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद सुल्तानपुर में कार्यरत विद्युत वितरण खण्ड जगदीशपुर (गौरीगंज) में सब स्टेशनों पर व्यय किये गये धन की जानकारी सदन के पटल पर रखने की मांग

113–श्री नेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में कार्यरत वि० वि० खण्ड जगदीशपुर (गौरीगंज) को वर्ष 91-92 व 92-93 में कुल कितना धन अनुरक्षण मद में प्राप्त हुआ ? उसका ब्यौरा क्या है ? उक्त प्राप्त धन से गौरीगंज-जामो, पनियार, जगदीशपुर सब स्टेशनों के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य

कराये गये ? क्या सरकार अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, जे० ई० द्वारा खर्च किये गये उक्त समस्त व्ययों का मदवार व क्षेत्रवार विवरण सदन के पटल रखेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद सुल्तानपुर में कार्यरत विद्युत वितरण खण्ड, जगदीशपुर (गौरीगंज) को वर्ष 1991-92 व 92-93 में अनुरक्षण मद में निम्न धनराशि प्राप्त हुई :–

वर्ष	प्राप्त धनराशि
1991-92	रु० 8.00 लाख
1992-93	रु० 6.47 लाख

उक्त प्राप्त धन में गौरीगंज, जामों, पनियार, जगदीशपुर सब स्टेशनों व लाइन के अनुरक्षण के कार्य कराये गये ।

उक्त समस्त कार्य के मदवार विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

जनपद सुल्तानपुर केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार के अध्यक्ष/सचिव के विरुद्ध जांच की मांग

114–श्री सफदर रजा खान–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सुल्तानपुर केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार के अध्यक्ष/सचिव के विरुद्ध शिकायती-पत्र निबन्धक, सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिनांक 12-1-94 को जांच हेतु भण्डार के सदस्यों ने प्रेषित किया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवायी गयी ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

जी हां ।

अध्यक्ष एवं तत्कालीन सचिवगण आंशिक रूप से दोषी पाये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र चांदा में सूखा राहत मद से हैण्ड पम्प लगाये जाने की मांग

115–श्री सफदर रजा खान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र चांदा के अन्तर्गत सूखा राहत मद से पीने के पानी के लिए कितने हैण्ड पम्प इण्डिया मार्क-2 विभिन्न ब्लाकों के लिए स्वीकृत किये गये हैं ? उनमें कितने हैण्ड पम्प किन-किन स्थानों पर लग गये हैं ? कितने हैण्ड पम्प लगने अभी अवशेष हैं ? अवशेष हैण्ड पम्प कब तक लग जायेंगे ? अवशेष हैण्ड पम्प अभी तक न लगने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 (अप्रैल, 1994 तक) में सूखा राहत मद से पीने के पानी के लिए प्रशगनत क्षेत्र हेतु कोई भी इण्डिया मार्ग–2 हैण्ड पम्प स्वीकृत नहीं किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय कालोनी, अलीगंज में एक इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाने की मांग

116–श्री अम्बिका सिंह (गोरखपुर)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम के अधिशासी अभियन्ता के अस्थाई खण्ड–11 के कार्यालय में एक इण्डिया मार्ग–2 हैण्ड पम्प सेक्टर आई स्थित आर० एस० आई०–11 राजकीय कालोनी, अलीगंज, लखनऊ में लगवाने संबंधी एक पत्र दिनांक 6 अगस्त, 1993 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक हैण्ड पम्प क्यों नहीं लगाया गया ? प्रकरण की जांच करवा कर तत्काल हैण्ड पम्प लगवाने एवं दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

जिलाधिकारी द्वारा चयनित स्थलों में यह सम्मिलित नहीं था क्योंकि पत्र प्राप्त होने के पूर्व स्थलों का चयन हो चुका था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर के अधूरे पड़े विद्युत सब स्टेशन टोडा का निर्माण पूरा कराये जाने की मांग

117–श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के अधूरे पड़े विद्युत सब स्टेशन, टोडा का निर्माण पूरा कराये जाने की कोई योजना निकट भविष्य में सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

33/11 के० वी० विद्युत–गृह, टोडा का निर्माण कार्य वर्ष 1992-93 के लिये वर्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया था । लेकिन संसाधन उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं हो सका । निर्माण कार्य का पूरा कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

अलीगंज स्कीम, लखनऊ के सेक्टर 'एम' में निर्मित ई टाइप के सामने पार्क की सफाई, रेलिंग तथा सड़क जनहित में बनाये जाने की मांग

118–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुर्सी रोड, अलीगंज स्कीम, लखनऊ के सेक्टर "एम" में निर्मित ई टाइप, भवन संख्या–ई–एम–16 से ई–एम–30 सामने बने पार्क की सफाई एवं टूटी रेलिंग तथा सड़क जनहित में बनवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रश्नगत कालोनी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई है । सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उपरान्त नगर महापालिका को हस्तान्तरित हो जाने पर नगर महापालिका पार्क की सफाई टूटी रेलिंग तथा सड़क मरम्मत का कार्य धन की उपलब्धता एवं कार्य की प्राथमिकता के आधार पर करा सकेगी । समय सीमा निर्धारित करना सभव नहीं है ।

नगर महापालिका को हस्तान्तरण से पूर्व सभी विकास कार्य विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कराये जाते हैं ।

जनपद रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति न किये जाने के संबंध में जांच की मांग

119–श्री अखिलेश कुमार सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद रायबरेली में सरकार की घोषणा के अनुरूप निर्धारित समय अवधि तक ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति नहीं की जा रही है ? उक्त सरकारी आदेश का अनुपालन न करने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार तत्काल सरकारी घोषणा के अनुरूप जनपद रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी घोषणा के अनुसार आवश्यक आदेश माह दिसम्बर, 1993 में ही दिये जा चुके हैं तथा उनके अनुरूप रायबरेली जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 16 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद के हापुड़ ब्लाक के ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

120–श्री गजराज सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के हापुड़ ब्लाक में कितने ऐसे गांव हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हो पाया है ? क्या यह भी बतायेंगे कि कितनी ऐसी अनु० जाति की बस्तियां

हैं, जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? उनमें विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद गाजियाबाद के हापुड़ ब्लाक में 32 आबाद ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है एवं हापुड़ ब्लाक में 32 ग्रामों की अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ।

ग्राम के विद्युतीकरण के साथ ही अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाता है । इनका विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त होने तथा जिला विद्युत एवं सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा ग्रामों का चयन होने तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद गाजियाबाद के हापुड़ ब्लाक के किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिये जाने की मांग

121–श्री गजराज सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हापुड़ विधान सभा क्षेत्र में किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन दिये जाने के संबंध में कितने प्रार्थना-पत्र कब से पंजीकृत हैं ? उन्हें कब तक विद्युत कनेक्शन दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

हापुड़ विधान सभा क्षेत्र का अलग से लेखा उपलब्ध नहीं है । हापुड़ ब्लाक में ट्यूबवेल कनेक्शन के लिये सर्विस कनेक्शन की धनराशि जमा करने वालों की संख्या 284 है, जिनका विवरण निम्न है :–

मार्च 92 से पूर्व	115
वर्ष 92-93	73
वर्ष 93-94	91
अप्रैल 94	5
कुल :	284

उपरोक्त आवेदकों को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उनके द्वारा कनेक्शन की धनराशि जमा करने के दिनांक से निर्धारित वरीयता क्रम के आधार पर विद्युत कनेक्शन दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला नैनीताल स्थित विकास खण्ड रामगढ़ के ग्राम घ्वेती का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

122–श्री राम प्रसाद टम्टा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (नैनीताल क्षेत्र), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ग्राम घ्वेती ग्राम सभा घ्वेती, ब्लाक रामगढ़, जिला नैनीताल में रह रहे 25 अनुसूचित जाति परिवारों के क्षेत्र में विद्युतीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्राम घ्वेती, कोड सं० 234, विकास खण्ड रामगढ़, जिला नैनीताल माह मार्च 1985 में विद्युतीकृत किया गया था तथा ग्राम के विद्युतीकरण के साथ एक अनुसूचित जाति बस्ती विद्युतीकृत की गयी थी। कुछ अनुसूचित जाति के परिवार मूल ग्राम से लगभग 1 कि० मी० की दूरी पर बसे हैं जिनके क्षेत्र में विद्युतीकरण नहीं है। संसाधनों की कमी के कारण सम्प्रति इसका विद्युतीकरण प्रस्तावित नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा के कतिपय अनुसूचित जाति के ग्रामों का विद्युतीकरण न किये जाने के कारणों के संबंध में जानकारी की मांग

123–श्री राम प्रसाद टम्टा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रीठाखान व ग्राम हाथागौरी, ब्लाक हवालबाग, जिला अल्मोड़ा, ग्राम कौसानी स्टेट, ग्राम सभा कोसानी जिला अल्मोड़ा, ग्राम बिजेपुर (छयागैर) ब्लाक द्वाराहाट (रानीखेत) जनपद अल्मोड़ा तथा ग्राम वेल्ता (ग्राम सभा अमतोड़ा), पो० भरौली, तहसील बागेश्वर, जनपद अल्मोड़ा में रह रहे अनुसूचित जाति परिवारों के क्षेत्र में विद्युतीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों में गांवों को विद्युतीकरण से वंचित रखा गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्राम रीठाखान व ग्राम हाथागौरी, ब्लाक हवालबाग, जिला अल्मोड़ा में कोई राजस्व ग्राम नहीं हैं एवं यह दोनों ग्राम टानों (कोड नं०–371) ब्लाक हवालबाग के तोक हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

ग्राम कोसानी स्टेट जिला अल्मोड़ा को एक अनुसूचित जाति बस्ती सहित 6-9-1982 को विद्युतीकृत किया गया।

ग्राम विजयपुर, ब्लाक द्वाराहाट की अनुसूचित जाति बस्ती विद्युतीकृत है।

ग्राम वेल्ता तोक है जो अभी विद्युतीकृत नहीं है।

उक्त स्थानों का विद्युतीकरण संसाधनों के अभाव के कारण नहीं हो सका है।

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक गौरीगंज के ग्राम पूरेधाम शाह मजरे तुलसीपुर का विद्युतीकरण न किये जाने के कारणों की जानकारी

124–श्री तेजभान सिंह–

ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक गौरीगंज के ग्राम पूरेधाम शाह मजरे तुलसीपुर का ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकरण हुआ है ? यदि हां, तो इस पर कितना

धन व्यय हुआ है तथा कुल कितने खम्भों की लाइन बनायी गयी है ? क्या इस समय उक्त ग्राम में विद्युत आपूर्ति होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक गौरीगंज के ग्राम पूरेधाम शाह मजरे तुलसीपुर के विद्युतीकरण पर रु० 47,585.00 की धनराशि व्यय हुयी है । ग्राम के विद्युतीकरण के लिये 9 खम्भों की एच० टी० लाइन तथा 13 खम्भों की एल० टी० लाइन बनायी गयी थी । जी नहीं । लगभग आठ वर्ष पूर्व उक्त ग्राम की एच० टी० लाइन के विद्युत तारों की चोरी हो गयी थी । चूंकि उक्त मजरे में कोई भी विद्युत संयोजन नहीं है और न ही किसी भी व्यक्ति के कनेक्शन हेतु अनुबन्ध कर रखा है इसलिये पुनः लाइन एवं ट्रान्सफार्मर नहीं लगाया गया ।

स्व० श्री कामता प्रसाद मिश्र जो जनपद प्रतापगढ़ उ० प्र० रा० वि० प० में वि० वि० खण्ड, सुल्तानपुर के अन्तर्गत रनर थे के आश्रित को नौकरी न दिये जाने का कारण

125–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री कामता प्रसाद मिश्र पुत्र वासुदेव मिश्र ग्राम दुर्गाराम का पुरवा, पो० भवानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ उ० प्र० रा० वि० प० में वि० वि० खण्ड, सुल्तानपुर के अन्तर्गत "रनर" थे जिनका देहान्त दिनांक 4-12-73 को हो गया था ? यदि हां, तो क्या उनके मृतकाश्रित के रूप में नौकरी हेतु आवेदन किया था जिसे आदेश संख्या–1967–डब्लू-सी-रा०वि०प०/ए०एस०–19-27/ एवं 80 दिनांक 4-7-91 के द्वारा जून, 74 के पहले मृतकों के आश्रितों को सेवायोजन दिये जाने हेतु मामले को बोर्ड को संदर्भित किया गया है ? यदि हां, तो क्या अध्यक्ष, रा० वि० प० को जून, 74 से पहले मरने वाले आश्रितों को सेवायोजन देने का विशेषाधिकार है ? यदि हां, तो किस आदेश के तहत ? क्या उक्त आदेश के तहत ही सर्वश्री मो० अजीज अहमद व मोहम्मद एहतिशाम को नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कामता प्रसाद मिश्र के आश्रित को नौकरी न देने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां, परन्तु यह आदेश संख्या 1967 दिनांक 4-7-91 के द्वारा परिषद् को सन्दर्भित नहीं किया गया ।

जी नहीं । अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् का इस संबंध में विशेषाधिकार अधिसूचना दिनांक 6-1-93 से निरस्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता । तथ्य यह है कि सर्वश्री मो० अजीज व मोहम्मद एहतिशाम को उस समय सेवायोजन दिया गया था जब अध्यक्ष में विशेषाधिकार निहित थे ।

सम्प्रति 1974 के पूर्व के मृतक आश्रितों को नियुक्त करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

जनपद उन्नाव जिले के नवाबगंज पावर हाउस में विद्युत आपूर्ति का तुलनात्मक विवरण

126-श्री हृदय नारायण-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1993 दिनांक 22 दिसम्बर, 1993 को प्रश्नकर्ता के अल्पसूचित ता० प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "16 घंटे विद्युत की आपूर्ति के निर्णय विषय" के संदर्भ में विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में उत्पादन में कितनी वृद्धि गत 2 माह में हुई है ? क्या पारेषण प्रणाली सुदृढ़ हो गई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों/खासकर उन्नाव जिले के नवाबगंज पावर हाउस/पुरवा सब स्टेशन/मौरावां पावर हाउस में विद्युत आपूर्ति का प्रतिदिन का गत 2 माह का औसत कितने घंटे का था ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्ष 1993 तथा 1994 की माह फरवरी तथा मार्च महीनों की उत्पादन की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् है :-

माह	औसत विद्युत उत्पादन (मि० यू० प्रतिदिन) 1993	औसत विद्युत उत्पादन (मि० यू० प्रतिदिन) 1994
फरवरी	51.03	56.3
मार्च	50.97	63.2

पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की दिशा में पर्याप्त प्रयास किये गये है तथा सुधार हुआ है।

उन्नाव जिले के नवाबगंज पावर हाउस पुरवा सब स्टेशन एवं मौरांवां पावर हाउस में पोषकवार ग्रामीण विद्युत आपूर्ति का प्रतिदिन लागत दो माह का औसत निम्नवत् है :-

उपकेन्द्र	2/94	3/94
1-नवाबगंज (अजगैन)	लगभग 20 घंटे	लगभग 18 घंटे
2-पुरवा	लगभग 14 घंटे	लगभग 16 घंटे
3-मौरावां	लगभग 20 घंटे	लगभग 20 घंटे

जनपद उन्नाव के कतिपय ब्लाकों में जल स्तर गिरने से उत्पन्न पेयजल संकट को दूर करने की मांग

127–श्री हृदय नारायण–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जिले में पेयजल का भारी संकट है ? क्या सरकार को पता है कि ब्लाक हिलौली के ग्राम सभा मवई के 30 मजरे व गुलरिहा के 28 मजरों सहित सम्पूर्ण ब्लाक में, असोहा व पुरवा ब्लाकों में कुंआं का जल स्तर तेजी से गिर रहा है ? क्या सरकार ने उन्नाव जिले के कुंओं के तेजी से गिर रहे जल स्तर की कोई सैम्पल जांच करवाई है ? इसी संदर्भ में मुख्य मंत्री को माह दिसम्बर, 93 व जनवरी, 94 में दिए गये पत्रों की जांच किसने की ? पुरवा तहसील में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार की क्या कार्य योजना है ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

प्रश्नगत ग्रामों में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार जल स्तर में कमी आयी है ।

जी हां ।

प्रश्नगत पत्रों की जांच अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उ० प्र० जल निगम, उन्नाव द्वारा की गई ।

पुरवा तहसील में कुल 546 ग्राम हैं जिनमें 2052 हैण्ड पम्प 31 मार्च, 94 तक अधिष्ठापित किये जा चुके हैं । तीस ग्रामों को पाइप पेयजल योजना द्वारा लाभान्वित किया गया है । 546 ग्रामों में से 249 ग्रामों को हैण्ड पम्प लगाकर संतृप्त कर दिया गया है । 249 ग्रामों में से भी 111 ग्रामों को पाइप पेयजल योजना में सम्मिलित किया गया है क्योंकि पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई गई है । 119 ग्रामों में पाइप पेयजल योजना बनाई जा चुकी है । 148 ग्रामों में 769 इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाया जाना प्रस्तावित है ।

यू० पी० शुगर फैक्ट्री, सेवरही, देवरिया के ऊपर बकाये करों को वसूलने की मांग

128–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० शुगर फैक्ट्री, सेवरही, देवरिया के ऊपर टाउन एरिया सेवरही, देवरिया ने अपने स्थानीय करों के भुगतान हेतु मांग की है ? यदि हां, तो क्या फैक्ट्री ने उक्त देय धनराशि टाउन एरिया, सेवरही का भुगतान की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ में दि० कोआपरेटिव इले० सोसाइटी द्वारा विद्युत वितरण में हुई अनियमितता की जांच

129–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में दि० कोआपरेटिव इले० सोसाइटी द्वारा विद्युत वितरण किया जाता है ? यदि हां, तो क्या दिनांक 31 मार्च, 1993 को सम्पूर्ण धन

(डिपाजिट वर्क) जमा कराकर कनेक्शन देने के आदेश वर्क आर्डर नं०–1321/92-93 द्वारा हुआ है ? यदि हां, तो उक्त कनेक्शन आज तक न लगाने हेतु कौन दोषी हैं ? क्या दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करके उक्त कनेक्शन वहां पर लगेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

जनपद लखनऊ के 6 विकास खण्डों में दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी द्वारा विद्युत वितरण का कार्य किया जाता है ।

जी हां ।

दिनांक 27-3-93 को सम्पूर्ण धन जमा हुआ तथा कनेक्शन देने के लिये वर्क आर्डर नं०–1321/92-93 द्वारा आदेश हुआ ।

क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की लापरवाही के कारण विद्युत सम्बन्ध ऊर्जीकरण करने में विलम्ब हुआ ।

दोषी कर्मचारी के विरुद्ध उसकी चरित्र पंजिका में निन्दा प्रविष्टि अंकित कर दी गई है तथा दिनांक 17-3-94 को उक्त कनेक्शन ऊर्जीकृत कर दिया गया है ।

जनपद लखनऊ के कतिपय ब्लाकों में विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग

130–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के छः ब्लाकों में कृषकों एवं अन्य श्रेणी में विद्युत वितरण का उत्तरदायित्व दि कोआपरेटिव लि० सोसाइटी का है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गैर तकनीकी व्यक्ति इसका सचिव होने से वहां पर सम्पूर्ण व्यवस्था पंगु है ? क्या इसके पूर्व इस पद पर अधिशासी अभियन्ता की तैनाती रहा करती थी ? यदि हां, तो इसके सुधार हेतु कब तक कार्यवाही होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां । जनपद लखनऊ के छः ब्लाकों में कृषकों एवं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के विद्युत वितरण का उत्तरदायित्व दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि० का है ।

जी नहीं ।

जी हां । वर्ष 1992 से पूर्व समिति में राज्य विद्युत परिषद् का अधिशासी अभियन्ता महाप्रबन्धक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर नगर पालिका के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, फण्ड इत्यादि भुगतान किये जाने की मांग

131–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर नगर पालिका से कितने ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जिनकी पेंशन, फण्ड इत्यादि का अब तक भुगतान नहीं हुआ है ? ऐसे कर्मचारियों में सबसे पुराने सेवानिवृत्त कर्मचारी कब से बिना भुगतान के हैं ? उक्त फण्ड एवं पेंशन तथा अन्य सुविधायें उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कब तक दे दी जायेंगी ? इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या कार्यवाही शासन द्वारा प्रस्तावित है ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

नगरपालिका, मिर्जापुर के 15 सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से 13 की पेंशन तथा 2 के फण्ड का भुगतान नहीं हुआ है ।

लगभग 4 वर्ष से ।

पालिका की आर्थिक स्थिति ठीक होने पर भुगतान किया जायेगा ।

कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय, गोमतीनगर, लखनऊ में लिपिक वर्गीय पदों के उच्चीकरण की मांग

132–श्री मुक्ति नाथ–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय विद्युत सुरक्षा निदेशालय, गोमतीनगर, लखनऊ के निदेशक द्वारा भेजा गया पत्रांक 259मु०/एक–86(संघ), दिनांक 16-4-91 को सचिव, ऊर्जा–2 अनुभाग, उ० प्र० शासन को संघ के कई पत्रों के संबंध में, जो लिपिक स्टाफ के पदों को उच्चीकृत करने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक स्वीकृति न देने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने वर्ष 1982 में यह निर्णय लिया था कि लिपिकीय स्टाफ की स्थिति 36:52:12 प्रतिशत का हिसाब रखा जाये ? क्या सभी राज्य सेवाओं में उक्त अनुपात रखा जाता है ? यदि हां, तो उसी निर्णय के तहत विद्युत सुरक्षा निदेशालय के कर्मचारियों का अनुपात शासन की नीति के अनुरूप क्यों नहीं रखा गया है ? यदि अनुपान रखा जायेग, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

कार्यालय विद्युत सुरक्षा निदेशालय का उक्त पत्र दिनांक 16-4-91 सचिव, ऊर्जा विभाग, उ० प्र० शासन को प्राप्त हुआ है ।

उक्त प्रस्ताव के परीक्षण हेतु संगत सूचनायें एकत्र करने तथा विभिन्न विभागों से परामर्श लेने में समय लगा है ।

प्रदेश के राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" तथा "घ" के संवर्गों के पदों के सृजन तथा नई नियुक्तियों के मापदण्डों के पुनरीक्षण हेतु शासन द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण) समिति विद्युत सुरक्षा निदेशालय के लिपिक वर्गीय पदों के उच्चीकरण के विषय में सम्यक रूप से विचारोपरान्त निर्णय लेगी ।

वर्ष 1982 में शासन द्वारा इस आशय का निर्णय लिया गया था कि शासकीय सेवाओं में लिपिकीय स्टाफ के स्थिति 36 : 52 : 12 प्रतिशत के अनुसार लागू की जाय परन्तु जब तक उपरोक्त निर्णय को विद्युत सुरक्षा निदेशालय में लागू किया जाता, समता समिति की संस्तुतियां प्रदेश में लागू हो गयी जिसके फलस्वरूप उक्त स्टाफिंग पैटर्न समाप्त हो गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ के लिपिकीय कर्मचारियों को प्रमोशन दिये जाने की मांग

133–श्री छोटे लाल (बाराबंकी)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ के लिपिक वर्गीय पदों को उच्चीकृत करने का प्रस्ताव शासन में लम्बित है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1982 में ही राज्य सरकार का निर्णय लिपिकीय स्टाफ की स्थिति 36 : 52 : 12 के अनुसार लिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त अनुपात के विद्युत सुरक्षा के लिपिकीय कर्मचारियों को प्रमोशन दिये जाने की कार्यवाही की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कार्यवाही की जायेगी, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

वर्ष 1982 में शासन द्वारा इस आशय का निर्णय लिया गया था कि शासकीय सेवाओं में लिपिकीय स्टाफ की स्थिति 36 : 52 : 12 प्रतिशत के अनुसार लागू की जाय परन्तु जब तक उपरोक्त निर्णय को विद्युत सुरक्षा निदेशालय में लागू किया जाता, समता समिति की संस्तुतियां प्रदेश में लागू हो गयी जिसके फलस्वरूप उक्त स्टाफिंग पैटर्न समाप्त हो गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर महापालिका, वाराणसी द्वारा नगर पालिका की सीमा के बाहर कतिपय गांवों को मिलाकर बनायी गयी वृहद योजना का नक्शा सदन के पटल पर रखने की मांग

134–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि नगर महापालिका, वाराणसी ने नगर पालिका की सीमा के बाहर राजा तालाब, बावत, पलही पट्टी, चमरहां एवं जयरामपुर सरैया तक के गांवों की एक वृहद् योजना बनायी है और सभी गांवों की कृषि योग्य भूमि बाग बगीचों को बंजर भूमि के रूप में दर्शाया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कम से कम 15 वर्ष पूर्व की उक्त योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार योजना के सभी गांवों की लिस्ट तथा उक्त योजना का नक्शा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

उक्त गांवों के लिये नगर महापालिका, वाराणसी द्वारा कोई योजना नहीं बनाई गयी है । विकास प्राधिकरण की महायोजना में भी ये गांव सम्मिलित नहीं हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर की तहसील शाहबाद में विद्युत सलाहकार समिति, रामपुर द्वारा ग्राम कूप तथा खन्देली के अपूर्ण विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

135–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील शाहबाद में विद्युत सलाहकार समिति, रामपुर द्वारा वर्ष 1991-92 में विद्युतीकरण कराने हेतु ग्राम–कूप तथा वर्ष 1992-93 में ग्राम खन्देली का चयन किया गया था ? यदि हां, तो इन ग्रामों का अभी तक पूर्ण विद्युतीकरण न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या अब सरकार इन ग्रामों का अपूर्ण विद्युतीकरण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । विद्युत सलाहकार समिति द्वारा तहसील शाहबाद, जनपद रामपुर में वर्ष 1991-92 में विद्युतीकरण हेतु ग्राम कूप तथा वर्ष 1992-93 में ग्राम खन्देली का चयन किया गया था । ग्राम कूप का पूर्ण विद्युतीकरण न होने का कारण ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों में आपसी सहमति नहीं हो पाना है । जिलाधिकारी, रामपुर को इस विषय को हल करने के आदेश दे दिये गये हैं जिसके आधार पर इस ग्राम का विद्युतीकरण वर्ष 1994-95 में पूर्ण किया जायेगा । ग्राम खन्देली का पूर्ण विद्युतीकरण मार्च, 1994 में कराया जा चुका है ।

जनपद जालौन के उरई नगर में माहिल ताल की खुदाई करने वाले श्रमिकों की सूची सदन के पटल पर रखने की मांग

136–श्री अकबर अली–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उरई नगर जनपद जालौन में माहिल ताल की खुदाई का काम वर्ष 92-93 में किस एजेन्सी से कराया गया है ? यदि यह कार्य दैनिक मजदूरी पर मानव दिवस के क्रम में पूरा किया जाना दर्शाया गया है तो क्या सरकार उन श्रमिकों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी, जिनसे यह काम कराया गया है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि यह कार्य ट्रैक्टरों से कराया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उरई के माध्यम से कराया गया है ।

माहिल ताल की खुदाई का कार्य दैनिक मजदूरी पर मानव दिवस के क्रम में ही पूर्ण कराया गया है । माननीय सदस्य मेरे कक्ष में आकर उक्त श्रमिकों की सूची देख सकते हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के उरई नगर में मुसाफिर खाने के निर्माण के लिए भूमि आवंटन का प्रकरण

137–श्री अकबर अली–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जालौन के उरई नगर में जामा मस्जिद के सामने गुजरने वाले नाले पर 120 फुट लम्बे मुसाफिरखाने के निर्माण हेतु नगर पालिका, उरई द्वारा भू-आवंटन का प्रस्ताव अब से दो दशक पहले पारित किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त लम्बे अन्तराल के बीच इस प्रकरण की पत्रावली लम्बित पड़ी हुई है और भू-आवंटन कार्यवाही अभी भी नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिलाधिकारी, जालौन को आदेश देकर उक्त जनहितकारी निर्माण कार्य हेतु भू-आवंटन का आदेश शीघ्र जारी करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार पत्रावली उपलब्ध नहीं है । केवल बोर्ड प्रस्ताव पंजिका में प्रस्ताव स्वीकार किया जाना पाया जाता है ।

शासन में प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण कोई कार्यवाही नियमानुसार किया जाना सम्भव नहीं है ।

शिया वक्फ बोर्ड के सचिव की आयु तथा उनसे सम्बन्धित सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन

138–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री को जानकारी है कि शिया वक्फ बोर्ड में 75 वर्षीय सचिव कार्यरत हैं ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ? क्या यह सही है कि उक्त सचिव के विरुद्ध थाना हसनगंज (उन्नाव) में कई अपराधिक मामले पंजीकृत हैं और यह जमानत पर रिहा चल रहे हैं ? क्या यह भी सत्य है कि दिनांक 13 जून, 1984 को कैसरबाग कोतवाली, लखनऊ की पुलिस द्वारा उक्त सचिव को एक अपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त सचिव को अवैधानिक रूप से उक्त पद पर बनाये रखने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त सचिव को बर्खास्त करके उ० प्र० मुस्लिम वक्फ बाईलाज 1977 के नियम 26 के अनुसार उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु के बाद प्राप्त किये गये वेतन भत्तों की "रिकवरी" करके उनके विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं । श्री सैय्यद अली जकी कुम्मी, सचिव, शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ्स, उ० प्र० की आयु 68 वर्ष नौ माह 14 दिन है ।

शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ्स के अभी बाइलाज निर्मित नहीं हुए हैं । अतः आयु के सम्बन्ध में कोई सीमा निर्धारित नहीं है ।

इनके विरुद्ध थाना हसनगंज में दो अभियोग पंजीकृत हुए हैं जिनमें से एक का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है व दूसरे में इनका चालान नहीं किया गया ।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), लखनऊ की आख्या के अनुसार थाना कैसरबाग, जनपद लखनऊ पर उपलब्ध अभिलेखों में इस तिथि को इनकी गिरफ्तारी का उल्लेख नहीं है।

न्यायालय द्वारा निर्णय होने के उपरान्त उपयुक्त कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

चूंकि शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फस, उ० प्र० के बाइलाज निर्मित नहीं हुए हैं, अतः इस संबंध में कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत विभाग, गोरखपुर के अन्तर्गत मोहद्दीपुर पावर हाउस कालोनी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों से किराया न वसूलने से संबंधित मामले की जांच की मांग

139–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग, गोरखपुर के अन्तर्गत मोहद्दीपुर पावर हाउस कालोनी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों से परिषदीय आवास का किराया कब से नहीं वसूला जा रहा है ? उक्त किराये की मद में विद्युत परिषद् को अब तक कितनी धनराशि वसूल करनी है ? इस धनराशि को अब तक वसूल न करने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त किराये की वसूली मुख्य अभियन्ता (वितरण), गोरखपुर/परिषद् के निरन्तर आग्रह के उपरान्त भी संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उनके द्वारा अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मोहद्दीपुर पावर हाउस कालोनी में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों से उनके सेवानिवृत्ति की तिथि से आवास किराया की वसूली नहीं की जा रही है।

उक्त किराये के मद में अब तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रु० 2,53,350/– की धनराशि वसूल करनी है।

मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र को ससमय आवास खाली न कराने तथा पेनल रेन्ट वसूल न किये जाने के प्रकरण में जांच एवं उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु निर्देश दिये गये हैं। जांचोपरान्त तदानुसार आवश्यक कार्यवाही संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की जायेगी ?

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड बीकापुर के ग्राम महावां निवासी श्री कृष्ण प्रताप यादव की विधवा पत्नी को परिवहन विभाग से मुआवजा व क्षतिपूर्ति दिये जाने की मांग

140–श्री परशुराम यादव–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड बीकापुर के ग्राम महावां निवासी श्री कृष्ण प्रताप यादव की दिनांक 3 दिसम्बर, 93 को परिवहन निगम की बस से हुई दुर्घटना में

मृत्यु के बारे में मृतक की विधवा पत्नी श्रीमती रमा उर्फ रामवती द्वारा परिवहन विभाग से मुआवजा व क्षतिपूर्ति आदि दिये जाने के बारे में दिये गये प्रार्थना-पत्र पर विभागीय कार्यवाही पूरी करा लिये जाने के बाद भी मामला परिवहन आयुक्त स्तर पर लम्बित है और उक्त प्रार्थिनी विधवा को अभी तक उक्त विभाग की ओर से कोई सहायता नहीं दी गयी है ? यदि हां,तो उक्त मृतक की उक्त विधवा पत्नी को परिवहन विभाग की ओर से क्षतिपूर्ति व सहायता दिये जाने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

प्रश्नगत मामला परिवहन आयुक्त स्तर पर लम्बित नहीं है । मामले में मृत्यु अज्ञात वाहन से हुई है और ऐसे प्रकरण में दिनांक 1-7-89 से प्रभावी सोलेशियम स्कीम, 1989 के प्राविधानों के अन्तर्गत संबंधित क्लेम सेटेलमेंट कमिश्नर/जिलाधिकारी द्वारा मृत्यु की दशा में रु० 8,500/- क्षतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं इसका भुगतान दि ओरियन्टल इन्श्योरेन्श कम्पनी के जनपदीय शाखा कार्यालय द्वारा किया जाता है ।

संबंधित जिलाधिकारी को देय क्षतिपूर्ति की धनराशि स्वीकृति करने एवं दि ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी के जनपदीय शाखा के माध्यम से भुगतान कराने हेतु लिखा जा चुका है ।

मृतक आश्रित को विभाग में सेवा का अवसर दिये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गयी उक्त सोलेशियम स्कीम, 1989 के अन्तर्गत इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, इलाहाबाद के नियंत्रणाधीन सब स्टेशन झूंसी के मृतक पेट्रोलमैन के अवशेष देयों का भुगतान उसकी विधवा पत्नी को कराये जाने की मांग

141–श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि सब स्टेशन झूंसी, जनपद इलाहाबाद विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय, राज्य विद्युत परिषद्, इलाहाबाद के नियंत्रणाधीन 5 मार्च, 1992 तक किन-किन पेट्रोलमैन की सेवा काल में मृत्यु हुई है ? उनमें से किन-किन कर्मचारियों के ग्रेच्युटी, फण्ड, पेंशन, जीवन बीमा तथा अन्य देयकों का भुगतान उनके वारिसों को करा दिया गया है ? किन-किन मृतक कर्मचारियों के देयकों का भुगतान शेष है तथा इसका कारण क्या है ? क्या मंत्री जी मृतक कर्मचारियों के अपेक्षित देयकों तथा पेंशन आदि का भुगतान शीघ्र करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, इलाहाबाद के नियंत्रणाधीन सब स्टेशन झूंसी, जनपद इलाहाबाद क्षेत्र में 5 मार्च, 1992 से 30 मार्च, 1992 की अवधि में केवल एक पेट्रोलमैन श्री अमर बहादुर सिंह यादव की सेवाकाल में दिनांक 7-3-92 को मृत्यु हुई थी ।

उक्त स्व० श्री यादव की विधवा पत्नी श्रीमती राजदेवी को उनकी सामूहिक जीवन बीमा सह बचत का रु० 25,000/- चेक संख्या–क्यू० वाई० एच०–044284, दिनांक 18-5-93 के द्वारा और सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का रु० 40,482/– चैक संख्या–क्यू० वाई० एच०–047006, दिनांक 8-11-93 के

द्वारा भुगतान किया जा चुका है । नकदीकरण का भुगतान आदेश कर दिया गया है । स्व० श्री यादव की सेवा पुस्तिका अपूर्ण होने के कारण पारिवारिक पेंशन व मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा सका है । उनकी सेवा पुस्तिका अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मिर्जापुर से पूर्ण होकर अभी प्राप्त हो गई है और उनके पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु ग्रेच्युटी के प्रपत्र तैयार करा कर उप मुख्य लेखाधिकारी, इलाहाबाद को उक्त देयों के शीघ्र भुगतान करने हेतु भेजा जा रहा है ।

सहकारी बैंक, शाखा बण्डा, शाहजहांपुर में हुई अनियमितताओं की जांच की मांग

142–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री लाल जीत वर्मा, अध्यक्ष, किसान कल्याण मंच, ब्लाक बण्डा, शाहजहांपुर का पत्र दिनांक 14-1-94 जो कि सहकारी बैंक, शाखा बण्डा, शाहजहांपुर के शाखा प्रबन्धक, सहायक विकास अधिकारी तथा संबंधित सचिव द्वारा की गई अनियमितताओं विषयक था, सचिव, सहकारी विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ? उक्त जांच के परिणाम क्या हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव विद्युत सप्लाई, निरालानगर, लखनऊ द्वारा लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को नियत दर पर बिलों की अदायगी के आदेश

143–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव विद्युत सप्लाई, निरालानगर द्वारा जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से भी उ० प्र० के अन्य जनपदों की तरह नियत दर पर बिलों की अदायगी के आदेश अधीनस्थ कर्मचारियों को दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के 6 विकास खण्डों में विद्युतीकरण कार्य किया गया है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अपने उपभोक्ताओं के लिये जो विद्युत दरें समय-समय पर लागू की गई हैं, वही दरें समिति के उपभोक्ताओं पर भी यथावत् लागू हैं । समिति क्षेत्र के अन्तर्गत 9 विद्युत उप केन्द्र हैं, जिनमें से माल एवं मलिहाबाद से निकलने वाले फीडर ग्रामीण फीडर तथा शेष 7 विद्युत उप केन्द्रों से निकलने वाले फीडर अरबन फीडर की श्रेणी में आते हैं । ग्रामीण फीडरों से जुड़े उपभोक्ताओं को निश्चित धनराशि (फिक्सड–टैरिफ) के बिल भेजे जाते हैं, जब कि अरबन फीडरों से जुड़े उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत उपभोग के आधार पर विद्युत बिल भेजे जाते हैं ।

''वेसू'' वाराणसी में कार्यरत वैकल्पिक बिजली कर्मचारियों को पारिश्रमिक दिये जाने का विवरण तथा उन्हें नियमित किये जाने की मांग

144-श्री श्याम देव राय चौधरी ''दादा''-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ''वेसू'' वाराणसी में कितने वैकल्पिक बिजली कर्मचारी कार्यरत हैं और कब से ? उक्त कर्मचारियों को कितना पारिश्रमिक दिया जाता है ? क्या उपरोक्त सभी कर्मचारियों की सेवा को नियमित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

''वेसू'' वाराणसी में वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत 281 दैनिक वेतन-भोगी कर्मचारी वर्ष 1987 अथवा उसके उपरान्त की तिथि से कार्यरत हैं।

अकुशल कर्मचारियों को रु० 44.05 प्रतिदिन एवं कुशल कर्मचारियों को रु० 54.40 प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक दिया जाता है।

परिषद् ने अपनी विषम आर्थिक स्थिति को देखते हुए समस्त नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा रखा है अतः सम्प्रति इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वाराणसी महापालिका द्वारा राजस्व विभाग की सम्पत्ति को हस्तान्तरित किये जाने संबंधी प्रस्ताव की जानकारी

145-श्री श्याम देव राय चौधरी ''दादा''-

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी महापालिका द्वारा अपने सदन या कार्यकारिणी की बिना अनुमति के वर्ष 1993 में राजस्व विभाग की करोड़ों की सम्पत्ति को अधिकारियों द्वारा नजूल विभाग को हस्तान्तरित करने के विरुद्ध महापालिका सदन द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 94 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया है ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है ?

श्री रमाशंकर कौशिक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० परिवहन निगम में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण/प्रोन्नति/रोस्टर संबंधी निर्णय की मांग

146-श्री रामचन्द्र-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पदोन्नति के किसी एक संवर्ग में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा होने के बाद यदि उक्त संवर्ग के अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिक उससे उच्च पद पर प्रोन्नति लेने से इन्कार कर दें या उक्त सभी कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टियां खराब होने के कारण उनकी प्रोन्नति न हो सके तो उस संवर्ग (जिस संवर्ग में कोटा पूरा है) में उसके निम्न संवर्ग के अभ्यर्थियों को आदर्श क्रमावली (रोस्टर) संबंधी शासनादेश संख्या 22-37-1982-का/2.

दिनांक 30 नवम्बर, 1991 के अनुसार प्रोन्नति किये जाने के संबंध में परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा शासन से कोई मार्गदर्शन चाहा गया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

शासनादेश दिनांक 13-4-94 के द्वारा उ० प्र० परिवहन निगम को राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 30-11-91 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु लिखा गया है ।

कानपुर रोड योजनान्तर्गत सेक्टर "जे" रेल नगर कालोनी, लखनऊ में भवनों के आवंटन में की गयी धांधली

147-श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर "जे" रेल नगर कालोनी में सी–1 टाइप के कुल कितने भवन हैं ? इन्हें किस वर्ष में कितनी कीमत पर किस-किस को भुगतान पद्धति के द्वारा आवंटित किया गया है ? क्या कोई भवन अभी भी रिक्त है ? यदि हां, तो दिसम्बर, 93 में प्रश्नकर्ता के आवेदन पर मकान आवंटित न करने का मूल कारण क्या था ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फर्रुखाबाद के अमृतपुर ग्राम में विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने की मांग

148–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम अमृतपुर में स्वीकृत 33/11 के० वी० ए० का विद्युत उपकेन्द्र कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ? इसके लिये वर्ष 1994-95 में कितने धन की व्यवस्था प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 92-93 में 1.5 एम० वी० ए० 33/11 के० वी० सब-स्टेशन, अमृतपुर, जिला फर्रुखाबाद के निर्माण हेतु रु० 30.16 लाख की एक आर० ई० सी० स्कीम स्वीकृत की गयी थी । इस कार्य के लिये वर्ष 93-94 में कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है । उपकेन्द्र का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद उन्नाव विकास खण्ड सिकन्दरपुर कर्ण के कतिपय ग्रामों में पेयजल हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने की मांग

149–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव विकास खण्ड सिकन्दरपुर कर्ण के ग्राम बेंथर, आटा बेंथर व बदरका में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत दिये जा रहे जल का वितरण इन ग्रामों के मजरों में भी किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

प्रश्नगत विकास खण्ड के ग्राम बेंथर एवं बदरका में कोई मजरा नहीं है । ग्राम आंटा के 4 मजरे क्रमशः नंगवा, बिन्दुखेड़ा, लक्ष्मनखेड़ा तथा नया खेड़ा हैं जिनमें से केवल नगवा में पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध है शेष तीन में पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है । ग्राम–बेंथर में 6 मजरे क्रमशः बाबूखेड़ा, उमेदखेड़ा, शिवदीनखेड़ा, गेहरा, लउखेड़ा तथा सरैया हैं जिनमें से केवल शिवदीन खेड़ा व सरैया में पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध है शेष 4 मजरों में पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है । वर्तमान में मजरों को पाइप पेयजल योजना से लाभान्वित किये जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जनपद उन्नाव के ब्लाक बिछिया के कतिपय ग्रामों में विद्युत कनेक्शन दिये जाने की मांग

150–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक बिछिया में ग्राम उम्मेद खेड़ा ग्राम रवाखेड़ा व ग्राम भंगवार मजरा करारी कलां आदि ग्राम जो क्षेत्र हड़हा में है, का विद्युतीकरण सन् 1990 में हुआ था और खम्भे गड़े हैं, ट्रान्सफार्मर भी लगे हैं, बिल भी आ रहे हैं परन्तु लाइन में न तार लगाया गया न कनेक्शन दिये गये ? यदि बिल माफ कर कनेक्शन दिये जायेंगे, तो कब तक ? यदि नहीं दिये जायेंगे, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । ग्रामवार स्थिति निम्न प्रकार है :–

1–ग्राम रवाखेड़ा में 8 खम्भे लगे हैं जिनमें से चार खम्भों पर तार खिंचे हैं । इस ग्राम में 3 उपभोक्ताओं को कनेक्शन 7/93 में दिये गये थे जिनके बिल भी भेजे जा रहे हैं । भ्रमवश लगभग 12 व्यक्तियों को भी बिल भेज दिये गये हैं जिन्होंने संयोजन नहीं लिया है । इन बिलों को निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं ।

2–ग्राम उम्मीदखेड़ा में न खम्भे लगे हैं, न कनेक्शन दिये गये न ही बिल भेजे जा रहे हैं ।

3–ग्राम भुंगवार मजरा करारी में केवल पोल खड़े हैं, न कनेक्शन दिया गया, न कोई बिल दिये जा रहे हैं ।

जी हां । बिल माफ करने के आदेश दे दिये गये हैं । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार एल० टी० लाइन का विस्तार कर कनेक्शन देने का प्रयास किया जायेगा । इसके लिये समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के विद्युत कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों/ वेतन पुनरीक्षण के लिये वेतन वार्ता समिति का गठन

151–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों/वेतन पुनरीक्षण की वर्ष 1988 से अब तक कितनी समितियां बनाई गईं और उनका उद्देश्य क्या था ? कमेटी में कौन-कौन अधिकारी थे उनका कार्यकाल क्या था ? क्या यह सत्य है कि उक्त कमेटियों के समक्ष यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा अपना-अपना पक्ष रखा गया था ? यदि हां, तो किन-किन संगठनों द्वारा क्या पक्ष रखा गया तथा उनके विषय क्या थे ? क्या कमेटी ने अपनी रिपोर्ट परिषद् के समक्ष रख दी है ? यदि हां, तो विद्युत परिषद् ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

परिषदीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में 1988 से अब तक किसी समिति का गठन नहीं किया गया है, किन्तु दिनांक 1-4-84 से पुनरीक्षित वेतनमानों के अन्तर्गत परिषदीय कर्मचारियों के कथित वेतन विसंगतियों के निवारणार्थ उपाय सुझाने हेतु दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 को मुख्य अभियन्ता (नियोजन) की अध्यक्षता में एक वेतन वार्ता समिति गठित की गई थी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे :–

(1) सर्वश्री हरीश चन्द्र मित्तल, मुख्य अभियन्ता –अध्यक्ष,

(2) कालिका प्रसाद श्रीवास्तव, नियंत्रक (लेखा) –सदस्य,

(3) रामेश्वर प्रसाद भार्गव, संयुक्त सचिव –सदस्य सचिव,

(4) कैलाश नाथ सक्सेना –पूर्ण कालिक विशेष कार्य अधिकारी ।

श्री हरीश चन्द्र मित्तल के स्थानान्तरण के पश्चात् उनके प्रतिस्थानी श्री अरुण कुमार वशिष्ठ, मुख्य अभियन्ता को दिनांक 1 अगस्त, 1989 से उक्त समिति का अध्यक्ष नामित किया गया था । इस समिति का कार्यकाल दिनांक 31 मार्च, 1992 तक था ।

फरवरी, 1992 में परिषद के कतिपय कर्मचारी संघों द्वारा की गयी हड़ताल को समाप्त करने हेतु समझौते के आधार पर शासन की सहमति से कथित वेतन विसंगतियों के निवारणार्थ एक उच्च स्तरीय समिति का गठन दिनांक 1-4-92 को किया गया था, जिसके निम्नलिखित सदस्य थे :–

(1) विशेष सचिव (ऊर्जा) –अध्यक्ष,

(2) विशेष सचिव (वित्त) –सदस्य,

(3) विशेष सचिव (सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो) –सहयोगी सदस्य,

(4) निदेशक (कार्मिक) उ० प्र० रा० वि० प० –संयोजक,

उक्त उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल दिनांक 30-4-1994 तक निर्धारित है ।

जी हां ।

जिन संगठनों द्वारा पक्ष रखे गये थे, उनके नाम की सूची एवं उनके द्वारा उठाये गये विषय क्रमशः संलग्नक "क" एवं "ख" में अवलोकनीय है।

कुछ बिन्दुओं पर समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसे परिषद् के समक्ष उनके विचार एवं आदेशार्थ प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है। अंतिम रूप से समिति की रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है। समिति का कार्यकाल 30-4-1994 तक है।

आशुलिपिक संवर्ग के वेतनमान एवं समयबद्ध वेतनमान की विसंगतियों तथा एक ही पद पर 4 वर्ष अथवा 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः एक एवं दो प्रकल्पित वेतन वृद्धियां स्वीकृत करने के संबंध में शासन की सहमति से गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुतियां स्वीकार करते हुए आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे 176-178 पर)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के विद्युत उपकेन्द्र आजमगढ़/जौनपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से काटे गये एच० आर० ए० की वापसी की मांग

152-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 220 के० वी० एवं 132 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र आजमगढ़/जौनपुर की आवासीय कालोनी में किन-किन श्रेणी के कुल कितने आवासीय भवन निर्मित हैं तथा कब से कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी रह रहे हैं ? उनके नाम, पदनाम, तैनाती स्थल, खण्ड का नाम एवं मकान नं० क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि उनके वेतन से एच० आर० ए० की कटौती नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन आवासों में रहने वालों से उनके वेतन से कटौती नहीं की जा रही है ? क्या एक समान नीति के अनुसार जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन से एच० आर० ए० की कटौती की जा चुकी है उसे वापिस कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ० प्र० जल कल संस्थाओं में अभियन्ताओं की वरिष्ठता का मामला मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन

153 श्री दालेश्वर त्यागी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० जल कल संस्थाओं में अधिशासी अभियन्ताओं के कितने पद रिक्त हैं और कब से ? क्या उक्त संस्थान के सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची में कोई विवाद है ? यदि नहीं, तो उनको प्रोन्नति देकर अधिशासी अभियन्ताओं के रिक्त पदों को भरे न जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार की निकट भविष्य में उक्त पदों को पदोन्नति देकर भरने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

उ० प्र० पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा के अधिशासी अभियन्ता के कुल 7 पद क्रमशः दिनांक 3-1-91, 30-6-91, 30-11-91, 7-1-92, 10-5-92, 30-11-92 एवं 14-3-93 से रिक्त है।

सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति न होने के निम्नलिखित कारण हैं :–

1–ज्येष्ठता सूची को अंतिम रूप न दिया जाना।

2–अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी आरक्षण कोटा के विरुद्ध उपलब्ध न होना।

3–उ० प्र० पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली के अनुसार पदोन्नति पर चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने के प्राविधान का होना।

4–वरिष्ठता के संबंध में मा० उच्च न्यायालय में मामला लम्बित है।

उपरोक्त कार्यवाहियां पूर्ण होने के उपरान्त पदोन्नति देना सम्भव होगा, जिसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

उ० प्र० सरकार द्वारा अलाभकारी सिनेमा हालों के तोड़ने पर लगी पाबन्दी का औचित्य

154–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सरकार ने जीर्ण-शीर्ण या अलाभकारी सिनेमा हालों को तोड़कर उनके स्थान पर अन्य व्यवसायिक निर्माण पर कोई पाबन्दी लगाई है ? यदि हां, तो ऐसी पाबन्दी का औचित्य क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, किन्तु शासनादेश सं०–4082/37-3-1987 दि० 10-11-87 द्वारा यह निर्देश अवश्य दिये गये हैं कि इस प्रकार के सभी मामले जिनमें वर्तमान सिनेमा गृह तुड़वाकर व्यवसायिक भवन बनाना प्रस्तावित है, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से शासन को संदर्भित किये जायें।

नगर पालिका, गाजियाबाद व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जल भराव को रोके जाने की जानकारी

155–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 21 व 22 जुलाई, 1993 की मध्यरात्रि को भयंकर वर्षा के कारण प्रदेश के कितने नगरों में बाढ़/जलभराव हुआ था ? उक्त जल भराव से गाजियाबाद नगर को कितनी जन-धन की हानि हुई ? क्या इस भयंकर जल भराव का गाजियाबाद नगर में अतिवृष्टि के अलावा अन्य कोई भी कारण था ? क्या भविष्य में जल भराव से होने वाली से बचने के लिये गाजियाबाद नगर की कोई योजना नगरपालिका या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी है ? क्या प्रदेश सरकार द्वारा बरसाती पानी की निकासी हेतु नालों की सफाई के लिये कोई विशेष अनुदान गाजियाबाद को प्रदान किया गया था ? यदि हां, तो उक्त अनुदान किस मद में खर्च किया गया ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय सचिवालय कार्मिकों सहित अन्य कर्मचारियों को प्रोन्नति के समयबद्ध वेतनमान न दिये जाने के कारणों की जानकारी

156–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय सचिवालय कार्मिकों सहित अन्य कर्मचारियों को प्रोन्नति के समयबद्ध वेतनमान दिये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि इसमें विसंगतियां पायी गयी हैं ? जूनियर असिस्टेन्ट एवं अवर वर्ग सहायक के तीन समयबद्ध वेतनमान क्या दिये गये हैं ? ऐसे कितने निम्नतम् पद हैं जिन्हें प्रोन्नति का समयबद्ध वेतनमान नहीं दिया गया है ? क्या इन वित्तीय मामलों के संबंध में परिषद् स्तर पर विचार किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? उस पर परिषद् का कितना अतिरिक्त धन प्रतिमाह व्यय हो रहा है ? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । किन्तु प्रोन्नति के समयबद्ध वेतनमान उन्हीं कार्मिकों को अनुमन्य हैं, जिनकी सम्वर्ग विशेष में प्रोन्नति श्रृंखला निर्धारित/विद्यमान है । संवर्गेत्तर एवं एकल पदों पर कार्यरत कार्मिकों को समयबद्ध वेतनमान के रूप में अगला उच्च वेतनमान (किसी भी संवर्ग का) अनुमन्य है ।

जी नहीं ।

जूनियर असिस्टेंट का संवर्ग वर्ष 1988 में सृजित होने के कारण अभी कोई पदधारक समयबद्ध वेतनमान पाने हेतु अर्ह नहीं हुआ है । अवर वर्ग सहायक को निम्न तीन समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य हैं :–

1–प्रथम	1650–2600
2–द्वितीय	2225–3500
3–तृतीय	3400–4750

समस्त संवर्गेत्तर/एकल पदधारकों को उनकी प्रोन्नति श्रृंखला विद्यमान न होने के कारण अगले उच्च वेतनमान की सुविधा अनुमन्य है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता । भुगतान नीतिगत होने के कारण कोई अतिरिक्त धन व्यय नहीं हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के सहायक निबन्धक के अधीनस्थ सरकारी जीप के दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जानकारी तथा जांच की मांग

157–श्री अकबर अली–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि माह जुलाई, 1993 में जालौन जिले के सहायक निबन्धक की सरकारी जीप ग्राम भिटारा के पास दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गयी थी जोकि उनके संबंधियों द्वारा निजी इस्तेमाल में ले जायी जा रही थी ? क्या यह सच है कि उक्त तथ्यों को छिपाकर जिला सहायक निबन्धक ने अपने अधीनस्थ अपर सहकारी अधिकारी से झूठे तथ्यों से जीप का सरकारी कार्य हेतु ले जाते समय दुर्घटना ग्रस्त होना दिखाकर थाना जालौन में प्राथमिकी दर्ज करायी थी ? यदि हां, तो क्या जिला सहायक निबन्धक से गाड़ी के लिये 2 लाख रु० वसूल करने एवं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तथ्यों को छिपाने के संबंध में दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जुलाई, 1993 में जीप दुर्घटना हुई । इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में जीप का सरकारी प्रयोग में क्षतिग्रस्त होना दर्शाया गया है ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों की विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है .

विवेचना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर तद्नुसार समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद चमोली गढ़वाल के रानीगढ़ पट्टी में व्याप्त विद्युत अव्यवस्था

158–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के रानीगढ़ पट्टी में बिजली की भारी अव्यवस्था फैली है ? जिन लोगों के घरों पर बिजली की लाइन तक नहीं है उन पर भी हजारों रुपये के बिल भुगतान हेतु आ रहे हैं ? यदि हां,तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जनपद चमोली के रानीगढ़ पट्टी में ग्रामों को औसतन प्रतिदिन 20 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान भी प्राथमिकता पर किया जाता है ।

जी नहीं । जिन घरों के व्यक्तियों ने विद्युत परिषद् की तरफ से कनेक्शन नहीं लिया है उनके समक्ष भुगतान हेतु कोई भी विद्युत बीजक दिये जाने का मामला नहीं है । परन्तु अवैध कनेक्शन के मामलों में नियमित करने के लिये बीजक प्रेषित किये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चमोली गढ़वाल के जसौली नामक स्थान पर ट्रान्सफार्मर बदलने की मांग

159–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली के जसौली नामक स्थान पर विगत छः माह से ट्रान्सफार्मर जला है ? यदि हां, तो उसके बदलने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

ग्राम जसौली, जनपद चमोली का ट्रान्सफार्मर दिनांक 10-7-93 को जल गया था ।

उपरोक्त जले हुए ट्रान्सफार्मर को दिनांक 6-2-94 को बदल दिया गया है ।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० रा० स० प० नि०, फैजाबाद द्वारा चालकों के पदों के लिये चयन प्रक्रिया में कथित धांधली की जांच की मांग

160–श्री परशुराम यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा प्रकाशित कराये गये नियुक्ति विषयक विज्ञापन दिनांक 14 दिसम्बर, 89 के आधार पर प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के अनुसार क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० रा० स० प० नि०, फैजाबाद द्वारा चयन प्रक्रिया आरम्भ की गयी तथा चालक पद के लिये बनायी गयी सूची के अनुसार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दिये जाने के बाद सूची में शामिल पिछड़े वर्ग के व अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों की इस आधार पर नियुक्ति नहीं की गयी कि "नियुक्ति" पर रोक लगी है ? यदि हां, तो इस सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति किये जाने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

नियमानुसार प्रतीक्षा सूची की वैधता एक वर्ष अथवा अगला चयन, जो भी पहले हो, तक होती है। इस प्रकार जनवरी, 1990 में बनाई गई प्रतीक्षा सूची की वैधता स्वतः समाप्त हो गई है । अतः इस सूची से किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद उन्नाव के सहकारी समितियों में सेवा मण्डल द्वारा नियुक्त शेष व्यक्तियों की नियुक्तियों की मांग

161–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के सहकारी समितियों में सन् 85-86 में सेवा मण्डल द्वारा नियुक्ति की गई जिसमें तीस व्यक्तियों की वेटिंग लिस्ट बनाई गई किन्तु सन् 90 तक किसी की नियुक्ति नहीं की गई और सन् 90 से 93 तक 21 व्यक्तियों को समायोजित किया गया तथा नौ व्यक्ति शेष है ? क्या इनकी भी नियुक्ति होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के ग्राम सिकन्दरपुर कर्ण में निर्मित ओवर हेड टैंक के निर्माण की त्रुटि की जांच करके टैंक को चालू करने की मांग

162–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ग्राम सिकन्दरपुर कर्ण में बनाया गया ओवर हेड टैंक जो कई वर्षों से बना पड़ा है और जिस पर लाखों रुपये व्यय हुआ, अभी कार्यरत नहीं है ? क्या उसके निर्माण की त्रुटि की जांच करा कर कार्यवाही होगी ? टैंक कब तक चालू होगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जनपद उन्नाव की सिकन्दरपुर कर्ण ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवर जलाशय का निर्माण कार्य भारत सरकार से मांगी गयी 26.16 लाख रु० की धनराशि प्राप्त न होने के कारण माह अक्टूबर, 91 से बन्द रहा । मार्च, 94 में भारत सरकार से रु० 60.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है और अवर जलाशय का निर्माण कार्य मार्च, 1994 में पुनः चालू कर दिया गया है ।

जनपद उन्नाव के पड़री–उन्नाव मार्ग पर जनहित में चलाने तथा निजी वाहनों को परमिट दिये जाने की मांग

163–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के पड़री उन्नाव मार्ग पर कोई आवागमन का साधन न होने से गरीब जनता परेशान है ? क्या उस स्थान पर सरकारी बसें चलेंगी या निजी वाहनों को परमिट दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

उन्नाव जनपद में उन्नाव से दही चौकी मंगत खेड़ा–पड़री (कलां) मार्ग पर उ० प्र० परिवहन निगम की दो सेवायें प्रतिदिन संचालित हैं । इस प्रकार जनता की सुविधा के लिये आवागमन का साधन उपलब्ध है ।

उन्नाव से पड़री (कलां) के लिये दो वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं । राष्ट्रीयकृत मार्ग से परिवहन निगम की बसें तथा अराष्ट्रीयकृत मार्ग से होकर निजी बस सेवा संचालित हो रही हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् की कतिपय कालोनियों के जीर्ण-शीर्ण पार्कों को सुसज्जित कराये जाने की मांग

164–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् की कालोनी विकास नगर, राम सागर मिश्र तथा राजाजीपुरम्, लखनऊ के सभी निर्मित पार्क अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं ? यदि हां, तो इनको सुसज्जित न कराये जाने के क्या कारण हैं ? इन पार्कों को कब तक सुसज्जित कर दिया जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

प्रश्नगत कालोनीज में कुल 562 पार्कों में से 24 पार्क विकसित, 44 अर्द्धविकसित एवं 494 पार्क अविकसित हैं । यह पार्क आवास विकास परिषद् द्वारा इस सत्र में ही महापालिका को हस्तगत कराये गये हैं ।

यह पार्क अधिकतर खुले मैदान के रूप में हैं । कतिपय बाउन्ड्रीवाल नहीं है और उनमें रेलिंग व नालियों की कमी है । धनाभाव के कारण इनका विकास नहीं किया जा सका है ।

धन की उपलब्धता होने पर किन्तु समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

विद्युत स्पर्श से हुई मृत्यु स्व० श्री अनिल निवासी अहिबरनपुर, सीतापुर रोड, लखनऊ के आश्रितों को आर्थिक सहायता

165–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० अनिल, निवासी अहिबरनपुर, सीतापुर रोड, लखनऊ विद्युत स्पर्श से हुई मृत्यु के कारण उनके आश्रितों को जो दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता शासन द्वारा स्वीकृत की गयी थी वह उसके आश्रितों को मिल गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह आर्थिक सहायता शीघ्र मिलने की सम्भावना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विद्युत दुर्घटना में श्री अनिल निवासी अहिबरनपुर, सीतापुर रोड, लखनऊ की मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को भुगतान हेतु 10,000.00 की अनुग्रह राशि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लखनऊ के चेक सं० वी/वी–18/10049428 2, दिनांक 1-2-94 द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

जी हां ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई में हरदोई–सांडी से बिलग्राम तक परिवहन विभाग की बसें नियमित रूप से चलाने की मांग

166–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद की 90 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में सांडी से बिलग्राम परिवहन विभाग की बसें चलने हेतु परमिट है ? यदि हां, तो बसें नियमित रूप से न चलने के क्या कारण हैं ? परमिटशुदा बसें कब से नियमित रूप से चलेंगी ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

हरदोई जनपद में हरदोई–सांडी–दुर्गागंज (बिलग्राम) तक का मार्ग राष्ट्रीयकृत है । जनपद के शेष सभी मार्ग अराष्ट्रीयकृत हैं । हरदोई में निगम की कार्यशाला पूर्ण रूप से विकसित नहीं है जो अभी भी निर्माणाधीन है । इसी कारण निर्धारित ट्रिपों को संचालित करने में कभी-कभी व्यवधान आ जाता है । इस मार्ग पर सभी बसों के नियमित संचालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । नियमित संचालन करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

167–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

निबन्धक, सहकारी समिति उ० प्र० द्वारा साधन सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने के आदेश

168–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र० ने अपने परिपत्र संख्या–सी–164/अधि/9-5, दिनांक 21-1-93 द्वारा साधन सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों सेल्समैन आदि को न्यूनतम वेतन देने हेतु आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या जनपद फैजाबाद, तह०–बीकापुर, ब्लाक खण्डासा के अन्तर्गत आने वाली साधन सहकारी समिति मानूडीह में कार्यरत सभी कर्मचारियों को उक्तपरिपत्र में उल्लिखित न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार न्यूनतम वेतन का भुगतान तत्काल संबंधित कर्मचारियों को करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

साधन सहकारी समिति मानूडीह, जनपद फैजाबाद में कार्यरत कर्मचारी श्री जगन्नाथ के न्यूनतम देय वेतन का भुगतान करने की कार्यवाही

169–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहकारिता विभाग के अन्तर्गत आने वाली साधन सहकारी समिति, मानूडीह, ब्लाक खण्डासा, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद में कार्यरत कर्मचारी श्री जगन्नाथ को अप्रैल, 1992 से 20 फरवरी, 1993 एवं जुलाई, 1993 से 9 सितम्बर, 1993 तक के वेतन जो कि साधन सहकारी समिति खण्डासा में कार्य करने की अवधि का है, का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त अवधि के न्यूनतम वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

श्री जगन्नाथ को 1-4-92 से 18-2-93 तक तथा 1-7-93 से 8-9-93 तक साधन सहकारी समिति लि० खण्डासा से वेतन का भुगतान नहीं किया गया ।

साधन सहकारी समिति लि०, खण्डासा की प्रशासनिक बैठक दिनांक 23-8-93 एवं संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 2-3-94 में लिये गये निर्णय के अनुसार वेतन का भुगतान नहीं किया जाना है । श्री जगन्नाथ तिवारी द्वारा 1-4-92 से 18-2-93 तक एवं 1-7-93 से 8-9-93 तक समिति का कार्य न करने के कारण वेतन का भुगतान नहीं किया गया ।

नार्दर्न रेलवे प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक के गबन संबंधी प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन

170–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि नार्दर्न रेलवे प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक के विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 और 1988-89 में कुल मिलाकर चार लाख अस्सी हजार रुपयों के गबन एवं दुर्विनियोग का गम्भीर घोटाला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि दोषी अधिकारियों को पदोन्नति दी गयी तथा उक्त प्रकरण पर से पर्दा उठाने वाले कर्मचारी श्री सुन्दर लाल की आरक्षित कोटे में भी पदोन्नति रोकी गयी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

वर्ष 87-88 में कुल 2,33,445.68 के गबन/दुर्विनियोग का मामला प्रकाश में आया ।

वर्ष 88-89 में कोई विशिष्ट लेखा परीक्षा नहीं हुआ । गबन प्रकाश में आने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।

मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही चल रही है । अनुशासनात्मक कार्यवाही के भी निर्देश दे दिये गये हैं । एक कर्मचारी को निलम्बित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

श्री सुन्दर लाल की पदोन्नति नहीं रोकी गयी है । श्री सुन्दर लाल को आरक्षण कोटे में लिपिक ग्रेड–I पर दिनांक 17-3-94 को पदोन्नति कर दी गयी है ।

जनपद लखनऊ के त्रिवेणीनगर वार्ड के कतिपय स्थानों पर खड़ंजा बिछाये जाने की मांग

171–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि त्रिवेणीनगर वार्ड में रामलीला मैदान रुपपुर खदरा तथा इसी रोड से मिलने वाली मदेयगंज की रोड एवं रूपपुर खदरा में केदार नाथ पाण्डेय के मकान से पूर्व विधायक बाबा लाल दास के मकान तक बनने वाली रोड है तथा इसी रोड वार्ड में योगीनगर में श्री अरुन सिंह तथा सुधाशंकर बाजपेयी के मकान के सामने खड़ंजा लगने का कार्य कार्यकारिणी द्वारा 20-1-94 को स्वीकृत हो चुके हैं उस पर कार्य न कराये जाने का क्या कारण है ? यह कार्य कब तक हो जायेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां । प्रश्न में उल्लिखित स्थानों पर खड़ंजा लगाने का कार्य महापालिका कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 15-1-94 को ही स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन धनाभाव के कारण कार्य सम्पादित नहीं कराये जा सके हैं ।

धन उपलब्ध होने पर । समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

172–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या यह संख्या इस क्षेत्र के लिये पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो सरकार संख्या बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रश्नगत क्षेत्र में 1178 नियमित तथा 250 दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ।

क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है ।

सफाई कर्मचारियों की संख्या का मानक निर्धारित किये जाने पर विचार हो रहा है ।

जनपद लखनऊ के त्रिवेणीनगर वार्ड में नगर महापालिका द्वारा वर्ष 1993-94 में कराये गये कार्यों का विवरण

173–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका की कार्यकारिणी द्वारा अप्रैल, 93 में पारित प्रस्ताव जिसमें सर्वसम्मति से यह निश्चित किया गया था कि प्रत्येक वार्ड में चार-चार लाख

के कार्य जनहित में अवश्य करा दिये जायें. क्या इस प्रस्ताव का अनुपालन लखनऊ नगर महापालिक ने किया है ? यदि हां, तो त्रिवेणीनगर वार्ड में वर्ष 1993-94 में कौन से कार्य कराये गये हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां । धन की उपलब्धता के आधार पर ।

त्रिवेणीनगर वार्ड के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में रु० 1.17 लाख के कार्य निम्नवत् सम्पादित कराये गये हैं :––

1–त्रिवेणीनगर में सचिवालय कालोनी मुख्य सड़क से ब्राइट वे स्कूल तक सड़क का निर्माण ।

2–पतौरागंज में श्री डी० एस० पाण्डेय के मकान के सामने गली में खड़ंजा लगाने का कार्य ।

3–रुपपुर खदरा में श्री रज्जब के मकान से हनुमान लोध के मकान तक गली का सुधार ।

रु० 2.87 लाख के विभिन्न 5 कार्यों के व्ययानुमान स्वीकृत हैं ।

जनपद लखनऊ के सरफ़राज़गंज, थाना ठाकुरगंज में दलितों एवं पिछड़ों की कृषि भूमि को बेचने संबंधी मामला जिला जज के विचाराधीन

174–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सराफ़राज़गंज, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ में दलितों एवं पिछड़ों की कृषि भूमि और गांव खसरा नं०–1 से लेकर 106 तक श्री कृष्ण अग्रवाल को अफसरजहां आदि ने बेचने हेतु एग्रीमेंट किया था ? क्या इसके विरोध में मुकदमा जिला जज लखनऊ के यहां दायर हुआ था ? क्या इसकी संख्या–178/85 दिनांक 8-8-86 है ? यदि हां, तो आज उक्त भूमि को अफसरजहां आदि पुनः किस आधार पर बेच रहें हैं ? इसके रोकने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई कार्यवाही तुरन्त की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आगरा में यमुना ऐक्शन प्लान के अन्तर्गत यमुना नदी के प्रदूषण मुक्त किया जाना

175–श्री बदन सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा में यमुना की सफाई यमुना ऐक्शन प्लान के अन्तर्गत प्रारम्भ करने का निर्णय शासन ने ले लिया है ? यदि हां, तो यमुना नदी की सफाई करने की क्या रूपरेखा होगी ? क्या यह सही है कि आगरा के यमुना नदी में गिरने वाले सभी गन्दे नाले का पानी खारी नदी में डाला जायेगा ? यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

यमुना की सफाई का कार्य यमुना प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया जायेगा । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उ० प्र० के 8 नगर सम्मिलित किये गये हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा में 18 नालों के गंदे पानी को यमुना में गिरने से रोका जायेगा व गंदे पानी की सफाई ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाकर की जायेगी । नगर में 50 कम्यूनिटी शौचालय बनाये जायेंगे, 3 घाटों पर इम्प्रूव्ड बुड क्रिमेटोरिया बनवाये जायेंगे, 5 घाटों का पुनरुद्धार किया जायेगा व नदी तथा नालों के किनारे वृक्ष लगाये जायेंगे । निर्माण कार्य वर्ष 1994 में आरम्भ करके वर्ष 1998 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

176 श्री बदन सिंह–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में सम्पादक के पद पर हुई नियुक्ति को समाप्त करने का आदेश

177–श्री बालेश्वर यादव–

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में सम्पादक का पद प्राधिकरण की किस बैठक में, किस वेतन में स्वीकृत किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कब किस समाचार पत्र में इस पद का विज्ञापन दिया गया जिसने अभ्यर्थी चयन में आये और सेलेक्शन कमेटी में कौन-कौन से अधिकारी शामिल रहे ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि बिना पद के, बिना चयन प्रक्रिया पालन किये एक व्यक्ति विशेष को संपादक के पद पर नियुक्त कर लिया गया है, जबकि प्रदेश के किसी विकास प्राधिकरण में सम्पादक का कोई पद नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त अवैध नियुक्ति को समाप्त करके फर्जी नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सम्पादक का पद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 5-5-90 में वेतनमान (900-1420) पुनर्संशोधन वेतनमान रु० 2000-3200 में सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया । सम्पादक के पद को संविदा के आधार पर भरने हेतु, अगस्त, 1988 में तीन समाचार पत्रों (टाइम्स आफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं एकोनॉमिक्स टाइम्स) में विज्ञापन दिया गया तथा इस पद को भरने हेतु चयन समिति गठित की गयी जिसमें श्री जितेन्द्र सिंह, तत्कालीन संयुक्त सचिव, श्री आर० सी० ठकेला, जिला सूचनाधिकारी तथा श्री अनिल कुमार शर्मा, सचिव वि० प्रा० से के द्वारा चयन किया गया ।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सृजित सम्पादक के पद का सृजन को औचित्यपूर्ण न पाते हुए श्री तेजवीर सिंह, सम्पादक की नियुक्ति को समाप्त किये जाने के आदेश गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को दे दिये गये हैं । अतः अन्य कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना में तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

178 श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों द्वारा वर्ष 1989 एवं 1990 में तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों में अनियमिततायें बरती गयी थीं ? यदि हां, तो किस प्रकार की तथा इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही अब तक की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

भर्ती/चयन व नियुक्तियों विषयक परिषदादेशों/विनियमों एवं नियमों व निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन, अतिक्रमण से संदर्भित अनियमिततायें ।

इस प्रकरण का विस्तृत परीक्षण करने पर कुल निम्नलिखित 15 अधिकारी जिम्मेदार पाये गये :–

सर्वश्री–

1 ओ० पी० धमीजा, मुख्य अभियन्ता (सेवा नि०)

2 आर० डी० कटियार, मु० अ० (सेवा निवृत्त)

3 एस० पी० सिंह, मुख्य अभियन्ता

4 वी० बी० सक्सेना, मु० अ० (सेवा निवृत्त) (मृतक)

5 एस० डी० गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता (निवृत्त)

6 के० के० सिंह, अधीक्षण अभियन्ता

7 डी० सी० वर्णवाल, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता (अब मुख्य अभियन्ता स्तर–2)

8 भूदेव लाल, अधीक्षण अभियन्ता

9 एच० सी० शर्मा, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता (अब मुख्य अभियन्ता–स्तर–2)

10 आर० सी० दत्ता, अधीक्षण अभियन्ता

11 के० श्रीनिवासन, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)

12 जी० आर० रावत, अधिशासी अभियन्ता

13 रमेश पाण्डे, अधिशासी अभियन्ता

14 राम मूरत राम, अधिशासी अभियन्ता

15 आर० डी० एस० यादव, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (अब अधीक्षण अभियन्ता)

उपरोक्त में से 11 अधिकारियों को भविष्य में परिषद् आदेशों के अनुरूप ही कार्य करने हेतु सचेत किया गया है। शेष 3 अधिकारियों के सेवा निवृत्त हो जाने एवं एक अधिकारी की सेवा निवृत्त के उपरान्त मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध मामला समाप्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र के जलापूर्ति व्यवस्था में लगे श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किये जाने की मांग

179-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र के जलापूर्ति व्यवस्था में लगे ठेका श्रमिकों की पारीक्षा तापीय परियोजना एवं हरदुआगंज तापीय परियोजना की भांति वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में श्री सर्वेश चन्द्र द्विवेदी, कार्यवाहक अध्यक्ष, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 25-8-92 जो कि अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र के जलापूर्ति व्यवस्था में लगे ठेका श्रमिकों का भुगतान ठेकेदार द्वारा उ० प्र० शासन के श्रम विभाग से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर के अनुसार किया जा रहा है।

जी हां।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं का बिन्दुवार उत्तर संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 179-181 पर)

जनपद वाराणसी के गांव सभा देवराई ब्लाक पिंडरा के कतिपय व्यक्तियों को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने की मांग

180-श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा देवराई, पोस्ट कनकपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के हरिशंकर, फूलचन्द, श्याम लाल, हरी लाल, लालचन्द, शिवचरन, दयाशंकर, लालता, लालता प्रसाद, उमाशंकर, मंगनू, हरी प्रसाद पाल, रामदेव, रामबली पाल, राम खेलावन, राजनाथ, राजाराम, दयाराम, शिवबदन पाल, वगैरह 21 व्यक्तियों ने तारीख 26-4-90 को बुक संख्या 19705 के द्वारा पूरे इस्टीमेट का रुपया जमा करके रसीद संख्या क्रमशः 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, वगैरह शामिल किया है, वहां सिर्फ खम्भा गिराया गया है ? यदि हां, तो 26-4-90 से लेकर अब तक खम्भे को गाड़कर तार खींचकर बत्ती, पंखा के लिये कनेक्शन न देने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने मुख्य मंत्री को उपरोक्त व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र

को इस्टीमेट की रसीद के साथ तारीख 17-1-94 को दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? कब तक कनेक्शन दे दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, ग्राम देवराई पो० कनकपुर, विकास खण्ड पिण्डरा, जनपद वाराणसी के 26 व्यक्तियों ने दिनांक 26-4-90 को घरेलू कनेक्शन हेतु जमानत की धनराशि और मानक सर्विस कनेक्शन चार्जेज जमा किया था । तत्समय उपभोक्ता जिन स्थानों पर कनेक्शन लेने के इच्छुक थे वहां पर एल०टी० लाइन उपलब्ध न थी । उपभोक्ताओं से धनराशि इस प्रत्याशा में जमा करवाई गई थी कि इस कार्य हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे । अंततोगत्वा किसी भी स्रोत से इस कार्य हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो सके जिससे यह कार्य नहीं करवाया जा सका ।

जी हां । प्रश्नगत आवेदकों को विद्युत संयोजन देना ग्राम के नियमानुसार चयनोपरान्त विद्युतकृत होने पर निर्भर है ।

वित्तीय संसाधनों की अनिश्चित स्थिति के कारण एल० टी० लाइन के विस्तार तथा कनेक्शन दिये जाने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

181. श्री हरमदन द्विवेदी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

आवास विकास इन्दिरा नगर, लखनऊ के सेक्टर–22 में अवैध रूप से डाली गयी सीवर पाइप लाइन को हटाये जाने की मांग

182–श्री रमापति शास्त्री, श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा' तथा श्री मयंकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास इन्दिरा नगर, लखनऊ योजना के अन्तर्गत मानचित्र के अनुसार सेक्टर 22 भूखण्ड संख्या 641, 640, 619, 618 पर सड़क है ? यदि नहीं, तो क्या आवंटित 641 भूमि पर अवैध रूप से दिनांक 9-6-93 को गनेशराम कौरसिया द्वारा सीवर पाइप लाइन डाली गयी है ? उक्त सीवर पाइप लाइन को हटाये जाने के संबंध में सदस्य, विधान परिषद् श्री रामचन्द्र दक्ष सिंह का शिकायती पत्र दिनांक 16-7-93 को महाप्रबन्धक, जल संस्थान, लखनऊ एवं श्री रमाशंकर कौशिक का शिकायती पत्र दिनांक 23-6-93 सचिव, आवास विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसे अब तक न हटाये जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त पाइप हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् के निर्माण खण्ड 3 इन्द्रानगर लखनऊ स्थित सेक्टर 15 में अवैध निर्माण को समाप्त करने की मांग

183. श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् के निर्माण खण्ड-3 में लखनऊ की इन्दिरा नगर कालोनी, मुंशी पुलिया के पास सेक्टर 15 में निर्मित दुकानों में दुकान सं०–15/आई० पी०/17 के मालिक को अवैध रूप से किये गये निर्माण को गिराने के लिये नोटिस दी है ? यदि हां, तो वह नोटिस क्या है तथा नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद अवैध निर्माण को गिराने की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

परिषद् द्वारा 15/आई०पी०/17 नम्बर की दुकान का निर्माण नहीं किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्द्रानगर लखनऊ मकान सं०–डी०–2016 से डी० 2032 के सामने की सड़क का निर्माण कराने की मांग

184-श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एकता सेवा समिति (जी ब्लाक) इन्द्रा नगर लखनऊ के पत्र पर मकान सं०–डी–2016 से डी–2032 के सामने की लगभग 200 मीटर सड़क का निर्माण के लिये मुख्य नगर अधिकारी को अपने कार्यालय के पत्र संख्या–2300, दिनांक 4-2-94 पर निर्देशित किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त संदर्भित सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत सड़क का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण कराया जाना सम्भव नहीं हो सका। धन की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य कराया जायेगा। इसकी समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 40 के अन्तर्गत मा० सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित प्रश्न]

मेरठ शहर में अम्बेडकर चौराहे पर उजाड़े गये दुकानदारों आदि को पुनः स्थापित किये जाने की मांग

*3-श्री अमित अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में अम्बेडकर चौराहे पर उजाड़े गये दुकानदारों, खोंचे वालों को बसाने हेतु नगर महापालिका दुकानें बना रही थी ? क्या पुलिस प्रशासन ने चुनावों के बीच उन्हें तुड़वा दिया ? क्या उन अर्ध खण्डित दुकानों को पुनः बनवाकर या अन्य किसी स्थान पर उन्हें पुनः स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका स्वरुप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत दुकानों को पुनःबनवाने का निर्णय महापालिका द्वारा दिनांक 5-12-94 को लिया जा चुका है।

क्योस्क बनाने का प्रस्ताव है।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेयी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

डीजल के अभाव संबंधी सूचना पर चर्चा की मांग

* श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, डीजल के संबंध में मैंने एक सूचना दी थी। आज डीजल के अभाव में काश्तकारों के यहां मड़ाई नहीं हो पा रही है और जायद की फसलों के लिये भी बहुत दिक्कत हो रही है। हम चाहेंगे कि उस पर चर्चा करायी जाये।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 22 अप्रैल, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयी। पहली सूचना श्री धनराज यादव की उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि०, लखनऊ में यू० पी० हेण्डलूम में बड़े पैमाने पर किये गये कालाबाजारी के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री राजेश कुमार जी की पिकनिक स्पाट रोड, डी ब्लाक, इन्दिरा नगर, लखनऊ में अनियमित एवं लो वोल्टेज विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री छोटे लाल वर्मा जी की है। वर्मा जी अनुपस्थित हैं। चौथी सूचना श्री हरक सिंह रावत जी की सुभाषनिवेड़ा तथा राजीवनगर घोसियाना (खरिक वार्ड) लखनऊ में, सड़क, को लेपन स्तर तक बनवाने के संबंध में है। पांचवीं सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी की लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत एच-सेक्टर में सड़कें एवं सीवर लाइन बिछाने के संबंध में। अगली सूचना डा० राम बादू हरित जी की आगरा महानगर नामनेर के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में सैनिकों द्वारा सार्वजनिक शौचालयों पर कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय (गुरू जी) की प्रतापगढ़ के ग्राम सेखूपुर में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के भवन निर्माण के संबंध में है। चूंकि श्री छोटे लाल वर्मा जी अनुपस्थित हैं अतः प्रतीक्षा सूची से श्री बालेश्वर त्यागी जी की गाजियाबाद के खेड़ा व मकनपुर ग्रामों में सीवर, सड़क, नाली आदि की सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में दी गयी सूचना को लिया जाता है। शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया)

उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि०, लखनऊ द्वारा घोटाला के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धनराज यादव–

। महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड द्वारा अन्य वस्त्रों के साथ-साथ जनता धोती थोक में खरीद कर आम जनता के लिये फुटकर विक्रेताओं को वितरित करता है, किन्तु इस कार्य में निगम की लखनऊ की जिला शाखा जिसका कार्यालय जापलिंग रोड पर स्थित है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जिसके द्वारा जसपुर से लखनऊ सितम्बर, 1991 से नवम्बर, 1993 तक 30 ट्रकों से माल (जनता धोती) लगभग 2½ लाख जोड़ा धोती मंगाना और वितरित करना दिखाया गया है जबकि वह पूरा सामान न मंगाया गया न बेचा गया केवल कागज में ही दर्शा कर ट्रक भाड़ा, लोडिंग, धन लोडिंग की मजदूरी आदि हड़प लिया गया बिल्टी बिल बाउचर की जांच से सब पता चल जायेगा और लगभग ढाई लाख जोड़ा जनता धोती जो कम आय वालों के लिये प्राप्त होती है, नहीं हो सकी। यह तात्कालिक लोक-महत्व का सुनिश्चित प्रश्न है। मैं इसे सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उपरोक्त घोटालों की व्यापक रूप से जांच करने का निर्देश देने की कृपा करें।]

पिकनिक स्पाट रोड डी ब्लाक इन्दिरा नगर, लखनऊ में अनियमित एवं लो वोल्टेज विद्युत आपूर्ति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राज़ेश कुमार–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व व हित की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि पिकनिक स्पाट रोड, डी-ब्लाक, इन्दिरानगर, लखनऊ में अनियमित लो-वोल्टेज बिजली आपूर्ति तथा हैवी फ्लक्चुयेशन के कारण कभी न तो ट्यूब लाइट जलते हैं और न टी० वी०, फ्रिज आदि सही ढंग से कार्य करते हैं। हैवी फ्लक्चुयेशन के कारण घरों के बल्ब, ट्यूब लाइट फ्यूज हो जाते हैं एवं टी० वी० फ्रिज तथा पंखे आदि कीमती उपकरण खराब हो जाते हैं। क्षण-क्षण पर लाइट धीमी-तेज होने के कारण पढ़ने लिखने वाले बच्चों की आंखों पर असर पड़ रहा है आंखें खराब हो रही है। ऐसी स्थिति में उक्त क्षेत्र के हजारों नागरिक इस गर्मी के मौसम में त्राहि-त्राहि कर रहे हैं जिसके कारण क्षेत्र के निवासियों में क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्बनीय लोक महत्व की इस समस्या का तत्काल निराकरण कराया जाय।]

सुभानीखेड़ा तथा राजीवनगर घोसियाना (खरिका वार्ड) लखनऊ की सड़कों को लेपन स्तर तक बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरक सिंह रावत–

[मानयवर, मैं आपका ध्यान सुभानी खेड़ा तथा राजीव नगर घोसियाना (खरिका वार्ड) जिला लखनऊ की ओर आकृष्ट करते हुए यहां की समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, कैन्ट की सीमा से लगे इस क्षेत्र में सेना के अधिकांश भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के परिवार रहते हैं इस क्षेत्र में अभी तक सड़क ऊबड़-खाबड़ होने के कारण सुभानी खेड़ा, मोहरी बाग, राजीव नगर घोसियाना, लौंगा खेड़ा, नट खेड़ा आदि मुहल्लों में आवागमन में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात में पानी भर जाने के कारण अत्यधिक कीचड़ हो जाता है। जिससे छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल जाने में अत्यधिक कठिनाई होती है। मान्यवर, इस संबंध में कई बार शासन

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को कई स्तर से पत्र भी लिखे जा चुके हैं। इस क्षेत्र की आबादी अत्यधिक होने के कारण कच्ची सड़क होने के कारण नागरिकों को अत्यधिक कठिनाई उठानी पड़ती है।

अतः महोदय से निवेदन है कि रायबरेली मुख्य मार्ग से लिंक रोड सुभानी खेड़ा होकर राजीव नगर धोसियाना तक जिसकी कि मात्र 1½ (डेढ़ कि०मी०)किलोमीटर दूरी है को लेपन स्तर तक बनवाने के निर्देश शासन को देने की कृपा करें।

मान्यवर, इसे अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न मानते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनता के हित में उक्त मार्ग को अविलम्ब बनवाने का कष्ट करें।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजनान्तर्गत एच० सेक्टर में सड़कों की मरम्मत एवं सीवर लाइन बिछाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी –

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत एच-सेक्टर में जो प्लाट आवंटित किये गये हैं, वे पूर्णतया अविकसित हैं। इन प्लाटों के मध्य सड़कें बिल्कुल कच्ची पड़ी हैं। सीवर, पानी तथा लाइट की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गयी है, जिसके कारण आवंटी उक्त प्लाटों पर अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं। अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा उक्त प्लाटों की मिट्टी खोदकर अन्यत्र ले जायी जा रही है, जिससे प्लाट तालाब की शक्ल में परिवर्तित होते जा रहे हैं। इसकी शिकायत सरोजनी नगर थाने में लिखायी गयी है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। फलस्वरूप आवंटी लोग बहुत परेशान हैं।

अतः उक्त सेक्टर की सड़कें बनवाने, बिजली, पानी तथा सीवर की लाइन बिछवाने की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ताकि आवंटी लोग अपने-अपने मकान बनवा सकें।]

आगरा महानगर नामनेर के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में सैनिकों द्वारा सार्वजनिक शौचालयों पर कब्जा करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० राम बाबू हरित–

[महोदय, आगरा महानगर नामनेर के अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र में ही पुरुषों व महिलाओं का शौचालय बना हुआ है पुरुषों के शौचालय पर सैनिकों का अवैध कब्जा हो गया है महिलाओं के शौचालयों पर जबरन अन्य असामाजिक तत्वों ने जगहों को घेर लिया है।

सैनिकों के द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को जूतों व बेतों से मारा जाता है प्रातः 5 बजे से ही चार सैनिक खड़े होकर यह घिनौना कार्य कर रहे हैं।

महिलाओं के शौचालयों पर अवैध कब्जा करके जीर्ण-शीर्ण शौचालय की स्थिति बनी हुई है मजबूर महिलायें रात्रि का इन्तजार करके ही शौच को जाती हैं जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा का सामना करना

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पड़ता है तथा पुरुषों को मेन रोड व गलियों में शौच करने को मजबूर होना पड़ रहा है जिससे क्षेत्र में गन्दगी का साम्राज्य स्थापित हो गया और क्षेत्र में महामारी फैलने का अन्देशा है।

अतः आपसे उपरोक्त समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम शेखपुर में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के भवन निर्माण कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

[महोदय, प्रतापगढ़ जनपद के ग्राम शेखपुर विकास खण्ड गौरा, तहसील पट्टी के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु प्रबन्ध समिति शेखपुर ने प्रस्ताव पारित कर 6 बीघा दो बिस्वा सात धूर जमीन दे दिया है, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ने 3 जनवरी, 1993 को अनुमोदन करके पत्रावली तहसीलदार पट्टी, प्रतापगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज भी दिया है परन्तु तहसीलदार पट्टी प्रतापगढ़ ने आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं किया। तहसीलदार पट्टी प्रतापगढ़ की लापरवाही के कारण भूमि अभी तक राजस्व अभिलेखों मे उक्त चिकित्सालय के नाम अंकित नहीं हो पायी है, फलतः भवन निर्माण का कार्य नहीं हो पा रहा है जिससे तमाम जनता को चिकित्सकीय समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का तत्काल ध्यान आकृष्ट कराने/सदन में चर्चा कराने हेतु मैं नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

गाजियाबाद के खेड़ा व मकनपुर ग्रामों में सीवर, सड़क तथा नाली आदि की सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बालेश्वर त्यागी–

[महोदय, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। नोएडा के विस्तार क्षेत्र में ग्राम खोड़ा व मकनपुर जनपद गाजियाबाद ग्रामों की भूमि में सैकड़ों कालोनियां अनेकों वर्षों से बसी हैं। जिनमें लगभग 1.50 लाख परिवार रहते हैं लेकिन दिल्ली की नाक के नीचे वे नरकीय जीवन जीने पर विवश हैं। कालोनी के निवासियों ने स्वयं कई लाख रुपये खर्च करके बिजली कनेक्शन ले ली है लेकिन नाली खड़न्जों, पानी व सीवर आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्मत भी इन गांवों की आबादी के लिये धन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

इन कालोनियों में अधिकतर, गरीब, अल्प आर्य वर्ग के अधिकतर वेतन भोगी कर्मचारी रहते हैं। नोएडा ने अपने विस्तार क्षेत्र के ग्राम व उनके अन्तर्गत बसी आबादी को नागरिक सुविधायें उपलब्ध

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करायी जा रही हैं लेकिन खोड़ा व मकनपुर गांवों के भूमि में बसे इन परिवारों को नागरिक सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है । यदि समय रहते हुए सुविधायें उपलब्ध न कराई गयीं तो स्लम ऐरिया बन जायेगा ।

आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन डेढ़ लाख से अधिक परिवारों को भी पानी, सीवर, सड़क, नाली आदि की सुविधायें उपलब्ध कराई जायें ।]

सदन में दी गई विभिन्न सूचनाओं के संबंध में श्री अधिष्ठाता का निर्णय

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, नियम–300 की सूचनाओं के बारे में क्या हुआ ? कृपया बतायें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माध्यवर, नियम–311 की सूचनाओं के बारे में भी बतायें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने नियम–311 की सभी सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है । जब नियम–56 आयेगा तब आप अपनी बात कहियेगा ।

नियम–300 की सभी सूचनाऐं अस्वीकार की जाती हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अब अगली मद ले रहा हूं ।

उ० प्र० पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 1994 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 अप्रैल, 1994 को वापस प्राप्त हो गया ।

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बाराबंकी में ग्राम दरवेशपुर से ग्राम धौखरिया से होते हुये रामनगर सफदरगंज से मिलने वाले मार्ग को बनाये जाने विषयक श्री अम्बिका प्रसाद सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद-बाराबंकी में ग्राम दरवेशपुर से ग्राम धौखरिया से होते हुए रामनगर सफदरगंज से मिलने वाले मार्ग को बनाये जाने के संबंध में श्री अम्बिका प्रसाद सिंह तथा श्री कनक बिहारी पाठक, आदि निवासीगण-जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

(मद संख्या–7 पुकारे जाने पर)

सदन में मंत्रिपरिषद् का कोई सदस्य न होने पर आपत्ति तथा श्री अधिष्ठाता के निर्देश

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, सदन में एक भी मंत्री नहीं है और आप सदन की कार्यवाही चला रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया जाये।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, परम्परा यह रही है कि कम से कम एक कैबिनेट स्तर का मंत्री सदन में रहना चाहिए। इस बीच एक राज्य मंत्री जी आ गये हैं। लेकिन राज्य मंत्री या डिप्टी मिनिस्टर की परम्परा नहीं है। तो यह हमारा ही अपमान नहीं हो रहा है बल्कि पूरे सदन का अपमान हो रहा है और आपका भी अपमान हो रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। जरा सुन लें। मान्यवर, जब सदन की कार्यवाही चल रही थी एक प्रश्न उठाया गया था उस समय मंत्रिपरिषद् का एक भी जिम्मेदार मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं था। एक राज्य मंत्री बाद में आ गये। तो यह सदन का अपमान है और यह पीठ का भी अपमान है। आप इस संबंध में सख्त से सख्त निर्देश दें इस प्रकार की पुनरावृत्ति फिर कभी भविष्य में न हो।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने स्वयं महसूस किया होगा, इसमें किसी के साक्ष्य के आवश्यकता नहीं है। सदन में कोई भी जिम्मेदार मंत्री, मंत्रिपरिषद् का, मौजूद नहीं था। अभी एक राज्य मंत्री आये और वह भी तीसरी पंक्ति में जाकर बैठ गये। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर माननीय संसदीय कार्य

नोट :– † छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री नहीं हैं तो क्या पूरी मंत्रिपरिषद् भी नहीं रहेगी । मान्यवर, आप यह निर्देश दें कि भविष्य में इस सदन के लिए, उसके गौरव के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसकी मर्यादा के लिए और परम्पराओं के निर्वहन के लिए मंत्रिपरिषद् के आधे मंत्री यहां पर उपस्थित रहने चाहिए । मान्यवर, रोस्टर की ड्यूटी के हिसाब से तीन चार मंत्री यहां पर रहने चाहिए इससे सदन की गरिमा और मर्यादा बढ़ेगी । इसमें आप व्यवस्था दें ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं तो पहले ही से व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा था परन्तु आपकी दृष्टि मुझ तक नहीं पहुंच पायी थी । अब आपकी दृष्टि पहुंची है । मान्यवर, जैसे कि और नेताओं ने अपने मत व्यक्त किये इस सदन में बजट पर चर्चा चल रही हो या जीरो आवर, जो इतना महत्वपूर्ण समय होता है, उस समय मंत्रिपरिषद् का एक भी सदस्य मौजूद न हो तो यह क्या दर्शाता है । यह दर्शाता है कि सरकार इसको बड़े ही हल्के ढंग से ले रही है । सदन की कार्यवाही का अपना अलग महत्व है, और इसमें मंत्रिपरिषद् का एक मंत्री जरूर मौजूद होना चाहिए । अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आ गये हैं । लेकिन इससे पहले मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है आप व्यवस्था दें और शासित करें । मंत्रिपरिषद् के एक भी मंत्री का न होना सदन के गौरव को गिराना है, उसकी मर्यादा को गिराना है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि अब बात खत्म हो गयी है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में आ गये हैं । और वह कुछ खाते पीते हुए आ रहे हैं । हो सकता है कि उनको भूख लगी हो और वह खाने चले गये हों । मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब सदन की कार्यवाही चल रही हो तो उस समय कैबिनेट स्तर के एक मंत्री को यहां पर जरूर मौजूद रहना चाहिए । लगता है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको महत्व नहीं दे रहे हैं अगर माननीय अध्यक्ष यहां पर विराजे होते तो वह जरूर यहां पर उपस्थित होते । यह हमारा अपमान नहीं है बल्कि आपका अपमान है । दूसरे यह सदन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं । राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा कि कोई भी मंत्री वहां पर मौजूद नहीं है लेकिन वह यह बताये कि नेता विरोधी दल ने कितने दिनों यहां पर दर्शन दिये ? वह भी हमें कभी-कभी दर्शन दे दिया करें । क्योंकि कभी सदन में गंभीर प्रकरण आ जाते हैं और उस समय नेता विरोधी दल का मौजूद होना जरूरी रहता है लेकिन वह इस सदन को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं ।

और पता नहीं, कहां जोड़-गांठ में लगे हुये हैं । कृपया सरकार को तो निर्देशित करें ही, राजेन्द्र गुप्त जी से भी यह अनुरोध करें कि माननीय नेता विरोधी दल को उपस्थित रहने के लिये वह अनुरोध कर लिया करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नेता विरोधी दल ने कल जो अपना भाषण देकर आपको समझाया था, वह बातें अभी आपके दिमाग से निकली नहीं हैं ।

* श्री ऊदल–

जो प्रश्न आपके सामने व्यवस्था के लिये उपस्थित किया गया है, श्रीमन् यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है । श्रीमन् आप इस पीठ से दिये हुये निर्देशों को अगर उठाकर देखें तो बहुत बार इस तरह के निर्देश पीठ से दिये गये हैं कि कोई न कोई कैबिनेट रैंक का मंत्री यहां हर वक्त उपस्थित रहे । दुर्भाग्य से आज कोई कैबिनेट रैंक का मंत्री, मंत्रिपरिषद् का सदस्य यहां उपस्थित नहीं था, इससे माननीय सदन का अपमान होता है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको आप गंभीरता से लें । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री तिवारी जी ने इस प्रश्न को बहुत हल्का कर दिया और इसलिये कर दिया कि उन्होंने कहा कि जब कैबिनेट रैंक का मंत्री नहीं है तो नेता विरोधी दल भी नहीं हैं, इससे सदन की गरिमा को ठेस लगती है ।

मैं समझता हूं कि ऐसी कोई भी परम्परा आज तक इस सदन के इतिहास में नहीं है कि अगर मंत्रि परिषद् यहां हाजिर है तो नेता विरोधी दल भी मौजूद रहे । या नेता सदन मौजूद हों तो नेता विरोधी दल भी रहें, इसलिये श्रीमन् यह परम्परा के प्रतिकूल है । मैं चाहता हूं कि पीठ का सम्मान बना रहे । इस हेतु आपकी तरफ से, ऐसा निर्देश हो कि हर वक्त जब माननीय सदन चलता हो, कोई न कोई मंत्रिपरिषद् का सदस्य सदन में उपस्थित रहे ताकि इस सदन की गरिमा बढ़ सके और आपकी पीठ की भी गरिमा बनी रहे, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, यह कोई विवाद का विषय नहीं है । सदन की जो परम्परायें हैं, उनका हम सब लोगों को आदर करना चाहिये, पालन करना चाहिये । यह सदन की परम्परा रही है कि जब सदन बैठे तो कैबिनेट स्तर का कम से कम एक मंत्री जरूर उपस्थित रहे, उसमें कोई विवाद होना भी नहीं चाहिये । लेकिन विपक्ष का जहां यह दायित्व होता है कि वह सत्ता पक्ष की कमजोरियों को उजागर करे, वहीं उनका भी यह कर्तव्य है..

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपने अभी स्वयं देखा कि कोई मंत्री उपस्थित नहीं था, यह पहले अपने आचरणों की बात करें, दूसरों की बात क्यों कर रहे हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, वर्मा जी, जब बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे । अब हम बोल रहे हैं तो बीच में ही बोल रहे हैं । हम यही कहना चाहते हैं कि जहां आप स्वस्थ परम्पराओं के निर्वहन का हमें उपदेश दोगे, वहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अपने कर्तव्यों के प्रति भी आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है । यहां कोई सदस्य मौजूद नहीं था, यह ठीक है, 2-3 मिनट की देर हुयी है । हम अध्यक्ष जी के पास बैठे थे, चूक हमारी हुयी है, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति भी यह जागरूक रहें, केवल दूसरों की कमजोरियों को ही उजागर न करें । यह सदन चल रहा हो, तो मंत्रिपरिषद् का कोई मंत्री यहां अवश्य उपस्थित रहना चाहिये, इन परम्पराओं का निर्वहन हम करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगर दूसरे की गलती से अपनी गलती खत्म हो जाती है तो अलग बात थी । माननीय ऊदल जी ने जो बात कही, वह विचारणीय है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने केवल चूक कहा, खेद प्रकाश नहीं किया । मान्यवर, यह सदन की परिपाटी है, परम्परा है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री कितने गंभीर हैं, यह तो उनके आचरण से पता लग गया । रोस्टर के अनुसार कौन किस दिन रहेगा, आपकी उस बात को भी इन्होंने नहीं माना । इन्हें पहले अपना घर देखना चाहिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

घर हमारा बिल्कुल ठीक है और आप जो कर रहे हो, उसके लिये रोज अफसोस जाहिर करोगे । यहां आकर खड़े होते हो, यह सब लोकतांत्रिक परम्पराओं के विपरीत है, जिस तरह से आप करोगे, उसकी ही नकल हम भी करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रमोद तिवारी जी, माननीय राम आसरे वर्मा जी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी तथा श्री जगदम्बिका पाल जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया । मैंने इन नेताओं को सुना और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को भी सुना । यह गंभीर बात है कि जब सदन चल रहा हो, उस समय सरकार की ओर से कोई मंत्री सदन में उपस्थित न हो । यहां पर हमारे माननीय सदस्य विभिन्न क्षेत्रीय समस्याओं या प्रदेश की समस्याओं के बारे में सदन में चर्चा करते हैं, सदन का ध्यान आकृष्ट करते हैं, अतः सरकार का कोई प्रतिनिधि होना नितान्त आवश्यक है क्योंकि सरकार से ही यह सदन मुखापेक्षी होती है । इसलिये मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से कहूंगा कि जब सदन की कार्यवाही चल रही हो तो उस समय एक से अधिक मंत्री उपस्थित रहें ।

(मद संख्या 9 पुकारे जाने पर)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 300 की सूचना निरस्त कर दी गयी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० चन्देल साहब अभी कोई कार्यवाही चालू नहीं हुई, व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया ? मद संख्या–9 माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न है ।

रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट में सदस्यता हेतु विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

मैंने मद संख्या–9 के लिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में सदस्यता के लिये रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1948 की धारा 16 की उप धारा (1) की श्रेणी 3 की मद संख्या (11) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें ।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में सदस्यता के लिये रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1948 की धारा 16 की उपधारा (1) की श्रेणी 3 की मद संख्या (11) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मद संख्या–10 पुकारे जाने पर)

सदन में दी गई विभिन्न सूचनाओं के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप कृपा करके नियम 9 देखने का कष्ट करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 3(8) के अन्तर्गत जो सूचनायें दी गयी हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको एक झटके में निरस्त कर दिया गया । मान्यवर, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जिनकी इकाईयां गांवों में चलती है, उनसे संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी अभी तो मैंने मद संख्या–10 ड्रेक अप किया है, ऐसी कौन सी अव्यवस्था आ गयी है । अभी तो नाम भी नहीं पढ़े हैं ।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

अधिष्ठाता जी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की इकाईयां बन्द हो गयी हैं और तीन लाख मजदूर बेकार हो जायेंगे । यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है । इन पर बिक्रीकर सीमा निर्धारण उचित नहीं है ।

नियम 311 की नियम–56 में परिवर्तित तथा प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 22 अप्रैल, 1994 को नियम 311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है, इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम बिशुन आजाद की जनपद एटा के रसूलपुर अहेरा गांव में हुए भीषण अग्निकांड से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।...

दूसरी सूचना डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद नगर में प्रीस्ट पिन्टो द्वारा कथित रूप से एक नन का शील भंग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री रमेशकान्त लवानियां जी की हरियाणा के किसानों द्वारा प्रदेश के पश्चिमी जिलों की सीमा में घुसकर किसानों की फसलों को काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । चौथी सूचना डा० रामदादू हरित जी की जनपद आगरा के थाना मलपुरा में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की विद्युत करेंट से हुयी मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में । तथा पांचवीं सूचना सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, उदयभान सिंह, रामचन्द्र लम्बा एवं रमेश कान्त लवानियां जी की जनपद मथुरा में श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य विधान सभा को प्राणघातक हमला कर डा० भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती मनाने से रोकने तथा पुलिस द्वारा कथित रूप से हमलावरों को सहयोग प्रदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इन सूचनाओं को ऊपर सुना जायेगा ।

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है, मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मेरी सूचना पांचवे नम्बर पर है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

विक्रीकर के संबंध में मान्यवर, विरोधाभास पैदा हो गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–311 में प्राप्त सूचनायें नियम–56 में परिवर्तित कर दी गयी है । शलाका के आधार पर चयनित सूचनाओं को सुना जा रहा है ।

(घोर/व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन्, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं सुनेंगे ?

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, बिक्रीकर के संबंध में, मैं कह रहा हूं, यह बहुत अहम मामला है, इसको सुन लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–311की सूचनायें ली जा रही हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप कृपया बात सुन लें।

(शोर/घोर व्यवधान के मध्य सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल सदन के फ्लोर पर आकर अपनी बात कहने लगे, इसके बाद श्री राकेश सचान, श्री मदन गोपाल वर्मा और श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह, सदस्य भी सदन के फ्लोर पर आ गये, इसके बाद माननीय सदस्य श्री राम आसरे वर्मा जी द्वारा उन्हें वापस सीटों पर ले जाया गया।)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

पूरे उद्योग बंद हैं, आप बात नहीं सुनते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

बहुत से लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं, यह गंभीर सूचना है, इस पर आप सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

आप सदन चलने देंगे या नहीं ? आप कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन्, व्यवस्था का सवाल है, हम यहां आने की तैयारी में नहीं हैं, (व्यवधान)....मजबूरी हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने पाल जी को बुला लिया है, पाल जी की बात सुनूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक सदस्य के ऊपर इस तरह हमला हो जाय..(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने पाल जी को बुलाया है, उनको बोलने दें। माननीय गुप्त जी आपकी सूचना है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय श्री पोइया जी 14 तारीख को अम्बेडकर दिवस मना रहे थे।..

श्री अधिष्ठाता–

आप केवल व्यवस्था का प्रश्न पूछिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह सदन की परिपाटी रही है कि जब कोई माननीय सदस्य, अपनी आप बीती बताना चाहता हो तो उसे पूरा मौका दिया जाता है और दिया भी गया है । माननीय सदस्य श्री पोइया जी पर प्राणघातक हमला हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री गुप्त जी, आपकी सूचना तो स्वीकार हो गई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं श्री पोइया जी की बात कर रहा हूं । आप इस पर सुनेंगे कि नहीं ?

श्री अधिष्ठाता–

मैं सुन लूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, हमारी सूचना पर आप सुनेंगे कि नहीं । जिसके कारण हमें फ्लोर पर आना पड़ा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री वर्मा जी, आप की सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है । इसलिए आप दूसरे नियम में इसे कल दे दीजिये, सुन लिया जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज हमने इस आदरणीय सदन के समक्ष जो मामला रखा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । आज पूरे प्रदेश की 75 हजार गांव सभाओं के समक्ष एक भीषण स्थिति उत्पन्न हो गई हैं । गर्मी का मौसम शुरू होते ही आज प्रदेश के तमाम गांवों में जिस तरह से आगजनी हो रही है । चोरी हो जाय, डकैती हो जाय तो तभी भी कुछ घर में बच जाता है लेकिन झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्ति के घर में जो अपने श्रम से अन्न उत्पादित करके घर में रखता है और उसके सारे परिवार की जिन्दगी खेती पर निर्भर होती है, परन्तु आज आगजनी होने के कारण तमाम गांवों का विनाश हो गया है और उनकी झोपड़ियां मलवे में तब्दील हो गई हैं । 52-52 व 135-135 घर एक गांव में जल गये हैं । बस्ती के हसिया देवरी में 52 घर जल गये हैं ।

आज इन परिवारों के तन का कपड़ा नहीं बचा है । दो जून की रोटी उन्हें मयस्सर नहीं हो पा रही है । आज वे पड़ोसियों की दया पर जीवित हैं । वे लोग उन्हें राशन दे रहे हैं । सबसे पीड़ा की बात तो यह है कि जब कहीं गांवों में अग्निकांड होता है तो प्रशासन की तरफ से राहत की बात हो जाती है और वही एक हजार रुपया दे दिया जाता है । परन्तु आज एक हजार रुपया भी नहीं मिल पा रहा है । जब 50 घर जलते हैं तो 20 घर को दिया जाता है, वह भी 200 व 300 रुपये । यह भी तब दिया जाता

है पहले लेखपाल अपनी रिपोर्ट देगा, फिर तहसीलदार अपनी रिपोर्ट एस० डी० एम० को देगा । अब एस० डी० एम० साहब कानून व्यवस्था में कहीं व्यस्त हैं तो कहीं वी० आई० पी० ड्यूटी में व्यस्त हैं ।

इस 2(X) व 4(X) रुपये को प्राप्त करने के लिए उसे मुख्यालय व कचहरी के कई चक्कर काटने पड़ते हैं । इस 2(X) व 4(X) रुपये में झोपड़ी तो बन नहीं सकती है । आज हमारे जनपद में पैसा नहीं है । वहां से कहा जाता है कि हम सरकार को लिख देंगे कि इस मद में हमें पैसा दिया जाय । जिसके कारण जो अहेतुक सहायता मिल जाती थी, वह नहीं मिल पा रही है । एटा जनपद के सिकन्दरपुर वैद्य थाना क्षेत्र का रसूलपुर अहैरा में आगजनी हुई है । इस आगजनी के कारण 6 लोगों की मृत्यु हो गई है । इसलिए माननीय मंत्री जी इसकी ग्राह्यता पर ध्यान दें । निश्चित तौर से यदि सरकार संवेदनशील है तो वह बताये कि एक माह के अन्दर आगजनी से कितनी मौतें हुई हैं ।

(इस समय 12 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

..और जिसकी मौत हुई उनके परिवारजनों को सरकार कितनी राहत देती है, कितने जानवर मर गये, कितने बैल मर गये, कितनी बकरियां मर गयी कितनी गायें मर गयी ?

श्री अध्यक्ष–

समाप्त कीजिये, कोई नया तथ्य सामने लायें, इस विषय पर पहले भी चर्चा बहुत हो चुकी है । चूंकि स्पैसिफिक प्रश्न आपने किया है इसलिये मैंने कहा कि सुनूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह मानवीय प्रश्न है इसको गंभीरता से लें जिसके घर में आग लग जाती है उससे दुखद बात उसके लिये और कोई हो नहीं सकती है। गरीबों का खलिहान तो ऐसा होता नहीं अगर घर में आग लग गयी तो क्या उसकी दशा होगी । मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं । कुछ दिन पहले आपने निर्देश दिये थे इस पीठ से पेयजल के अभाव के संबंध में, क्योंकि ज्यादातर कुवें और हैण्ड पम्प सूख गये हैं तो आज सबसे ज्यादा परेशानी यही है कि आग बुझाने के लिये पानी नहीं है ।

दूसरा बिन्दु यह है कि जैसे ही किसी के यहां दैवी आपदा हो चाहे बाढ़ से या अग्निकांड से, दुर्घटना से उसे तत्काल राहत के रूप में सरकार के राजस्व विभाग से सहायता प्राप्त कराई जाती है । तो वह व्यवस्था आज भी कायम है कि दिक्कत यह है कि आज जनपदों में ज्यादातर जिलाधिकारी यह कह रहे हैं कि उनके पास धन उपलब्ध नहीं है । इसके कारण दिक्कत हो गयी है। जिनके घरों में आग लगी हो उसे हजार साढ़े बारह सौ रुपया सहायता के रूप में मिलता है तो वह भी उनको नहीं मिल पा रही है। सरकार का मैं दो बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । सबसे पहले यह सुनिश्चित करायें और जिलाधिकारियों को निर्देश दें कि जैसे ही अग्निकांड हो तत्काल फौरी सहायता दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है आपके विचार आ गये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

48 घंटे के अन्दर उसे सहायता मिल जाय यह सुनिश्चित करायें । जैसे ही अग्निकांड हो उसके 48 घंटे में सहायता उपलब्ध करा दी जाय । अगर किसी कारण नहीं करा पायें तो इसकी सूचना शासन को दी जाय कि सहायता क्यों नहीं करा पाये । अगर सहायता एक दो तीन सप्ताह बाद मिलेगी तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

यदि दो दिन ट्रेजरी बन्द हो तो क्या होगा ?

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

कहां से देंगे, सरकार का दिवालिया निकल गया है ?

श्री ऊदल–

अभी पहली से 4 अप्रैल तक ट्रेजरी पूरे प्रदेश में बन्द रही इसकी सूचना आपको है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शांत रहें, अनावश्यक समय बरबाद न करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा कहना यह है कि अगर ट्रेजरी बन्द हो तो इसकी सूचना शासन को दें । अगर सरकार में इच्छाशक्ति हो तो वह उपाय कर सकती है । ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ कर सामान्य परिस्थितियों में 48 घंटे के अन्दर फौरी सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाय ।

दूसरा मेरा अनुरोध है आर्थिक सहायता एक हजार रुपया दी जाती है यह नियम बहुत पहले से चला आ रहा है तब से महंगाई इतनी बढ़ गयी है कि एक हजार रुपये में कुछ नहीं होता है । मेरा अनुरोध है कि इस सहायता राशि को एक हजार से बढ़ा कर 5 हजार करने का ऐलान सरकार करे । मैं इस बात पर बल देते हुये अनुरोध करूंगा कि यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आपने श्री पाल जी, श्री प्रमोद तिवारी जी को आगजनी के प्रकरण को यहां उठाने की अनुमति दिया और मैं भी इस संबंध में कुछ जोड़ना चाहता हूं, इसलिये आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के तमाम स्थानों पर बिजली के तारों से लोगों के घर जल गये और फसलें नष्ट हो गयी हैं, इसलिये सरकार सुनिश्चित करे कि आगजनी से पीड़ित लोगों को उचित सहायता पहुंचायें जाय और आपकी तरफ से शासन को निर्देश दिये जायं कि जहां बिजली के तारों से आगजनी की घटनायें हुई हैं और भविष्य में हों तो बिजली विभाग की तरफ से नुकसान का पूरा मुआवजा वहन किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें। एक बार में एक ही व्यक्ति बोल सकता है। श्री आजाद जी आप बोलें।

श्री ऊदल–

मैं भी इस संबंध में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री ऊदल–

मान्यवर, श्री पाल और श्री तिवारी जी ने जिस प्रश्न को यहां उठाया है वह प्रश्न मानवीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यवर, आगजनी का मामला दैवी आपदा में आता है, इसलिये जिस तरह से सरकार द्वारा दैवी आपदा जैसे बाढ़, ओलावृष्टि और सूखा में पीड़ित लोगों को मदद देती है उसी तरह से इस आगजनी के मामले को भी उसी श्रेणी में रखना चाहिए और उसके लिए तुरन्त यदि कोई विशेष परिस्थिति न हो तो 48 घंटे, और यह भी ज्यादा है, मैं यदि अधिकारियों को सूचना मिल जाये तो उनको तुरन्त सहायता दी जाय, । एक हजार रुपये सहायता पहले से निश्चित है उसको अब मेरी मांग है कि 5 हजार रुपये किया जाय। आपकी पीठ से निर्देश होने चाहिए शासन को कि मानवीय दृष्टि से दैवी आपदा की तरह आगजनी के मामलों को माना जाए और सहायता दी जाय।

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, श्री पाल, श्री तिवारी, श्री राम आसरे वर्मा और ऊदल जी ने जो समस्या आपके सामने रखी है वह आगजनी की समस्या वैसे पूरे प्रदेश में अधिकतर जिलों में आगजनी से हजारों गांव पूरी तरह से जल गये हैं। एटा में आगजनी में 35 घर जल गये हैं और 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और वैसी ही हमारे जनपद गोंडा में तहसील मनकापुर के 20 गांवों में आगजनी से घर और फसल नष्ट हो गयी है तथा साथ ही साथ जानवर और आदमी भी मरे हैं। मैं शासन से मांग करता हूं कि सर्वे कराकर देखें कि जिन-जिन दलितों के आगजनी से मकान जल गये हैं उनको इंदिरा आवास योजना में आवास उपलब्ध कराये जायें और एक हजार रुपये जो सहायता पहले से दी जाती है वह बहुत कम है, इसलिये उसे 5 हजार रुपये किया जाय चूंकि आग से लाखों रुपये से संपत्ति नष्ट होती है।

मेरी यह भी मांग है कि गांवों में कुयें सूख चुके हैं इसलिये उनको और गहरा खुदवाया जाय चूंकि नलों में पानी नहीं मिलता है और अधिकतर नल खराब पड़े हैं, इसलिये उन्हें ठीक कराया जाय। जो विद्युत के तार नीचे लगे हुए हैं, लटक गए हैं, वे पुराने वक्त के हैं, उनके समय-समय पर टूटने की वजह से भी काफी आगजनी की घटनाएं होती हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, जब कभी दैवी आपदा आती है, तो वह किसी मनुष्य के वश की बात नहीं होती है। हम आपके माध्यम से बुनियादी प्रश्न सरकार के सामने रखना चाहते हैं, चाहे अतिवृष्टि हो या सूखा हो या फिर ओला वृष्टि ही हो, जब वह दैवी आपदा आती है तो किसान की असहनीय और अपूर्णीय क्षति हो जाती है, और यह तो हम भी स्वीकार करके चलते हैं कि उनका जितना नुकसान होता है, उस सबकी भरपाई कर सकना सरकार की क्षमता के बाहर की बात है। लेकिन बहुत पहले से आपदा कानून चला आ रहा है, उसमें नाम मात्र की सहायता दी जाती है। उसमें सरकार परिवर्तन करे।

जैसे कल सदन में ओलावृष्टि का प्रश्न आया था, जिनका सब कुछ नुकसान हो गया, उन्हें 300 रुपया प्रति एकड़ के बराबर आर्थिक सहायता दी जा रही है, तो कोई न कोई ऐसा प्राविधान करना चाहिए श्री जगदम्बिका पाल जी और श्री प्रमोद तिवारी जी ने कहा, कि कम से कम 5 हजार रुपये की सहायता उनको अवश्य दीजिये। जहां दैवी आपदा आती है, उनके संबंध में आप एक नार्म बना दें, पुराना कानून बदलकर और उसके अनुसार सहायता दी जाय। एक बार आग लगती है तो किसान कम से कम 10 साल के लिए परेशान रहता है और ओलावृष्टि या अतिवृष्टि से 30 साल के लिए परेशान रहता है। तो जो पुराना दैवी आपदा कानून है, बाबा आदम के जमाने का, जिसे हम भी नहीं बदल पाए, आप बदल दीजिये, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहायता मिल सके।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह सही है कि गर्मी के दिनों में हमारे प्रदेश में गांवों में आगजनी की घटनाएं प्रतिवर्ष होती रहती हैं और उसमें तमाम गरीब लोगों की आर्थिक क्षति होती है, जनक्षति भी होती है और पशुओं की भी क्षति होती है और जिसके घर में आग लगती है, वह घर एक तरह से बर्बाद भी हो जाता है। लेकिन जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा संसाधनों की सीमा में ही हम कोई कार्य कर सकते हैं। हमें याद है जब हम लोग सरकार में आये, तो थोड़ा इसमें संशोधन किया था ओलावृष्टि वाले में और इसमें भी और में आपको मौका मिला था..(व्यवधान).. अपनी गलती सुनने के लिए आप तैयार ही नहीं हैं। हमने कहा कि हमने संशोधन किया था, आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए थी। हमने अभी सिर्फ इतना कहा कि आप भी सरकार में रहे और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन आप लोगों ने चक-चक मचाना शुरू कर दिया।

श्री कल्याण सिंह–

यह कहने की आवश्यकता संसदीय कार्य मंत्री जी को इसलिए नहीं पड़नी चाहिए थी कि मैंने स्वयं कहा है –हम भी रहे, कर नहीं सके, आप कर दीजियेगा तो अच्छा होगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हम यह कहना चाहे थे कि जो संवेदनशील जनता द्वारा तिरस्कृत कर दिये जाने पर उपजती है, वह संवेदनशीलता इधर बैठने पर भी बनी रहे, तो वाद विवाद में मजा रहे। हमारी सरकार तो गरीबों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है ही..... (व्यवधान)..... आप हमारी पूरी बात सुनने का धैर्य

रखें। मा० पाल साहब ने प्रश्न उठाया....(व्यवधान)...माननीय नेता प्रतिपक्ष कम से कम इन मामलों में बहुत सही कह ही देते हैं ..

चाहे नेताओं की बैठक में हो, चाहे विधान सभा में हो, इस मामले में उनका स्पष्ट विचार है। यह अच्छी बात है कि कहीं तो वह मानते हैं। माननीय पाल साहब ने यह प्रश्न उठाया कि जिला अधिकारियों के पास पैसा नहीं है। यह अवश्य है कि बीच में एक संकट आ गया था, ओवर ड्राफ्ट का इसलिये कुछ दिनों के लिये दिक्कत हो गयी थी लेकिन अब जहां तक मेरी जानकारी है जिला अधिकारियों को पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि दैवी आपदा के समय सहायता का काम न रुकने पाये और इसकी पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है कि दैवी आपदा राहत कोष में पैसे की कमी न होने पाये। इसके लिये निर्देश भी दे दिये जायेंगे।

दूसरी जो 48 घंटे की बात कही गयी है तो उसके संबंध में मेरा कहना है कि यह सीमा निश्चित करना अभी ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो सकेगा पीड़ित लोगों को सहायता दी जायेगी और इसमें यदि किन्हीं कारणवश विलम्ब होता है तो विलम्ब करने वालों के प्रति उत्तरदायित्व निश्चित किया जायेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने दैवी आपदा राहत कोष बढ़ाने के लिये कहा है उसको भी संशोधनों की सीमा में देखा जायेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल–

मान्यवर, आग से प्रभावित लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है। जो सहायता राशि एक हजार रखी है उसको पांच हजार कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, हमने सवाल उठाया था कि दैवी आपदा से राहत की धनराशि में संशोधन किया जाय और इसे एक हजार से बढ़ाकर पांच हजार कर दिया जाय। सरकार की ओर से स्पष्ट उत्तर नहीं आया है। यह किसान विरोधी सरकार है। इसकी नीतियों के विरोध में, मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री कल्याण सिंह अपने दल भाजपा के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, खलिहान जल जाते हैं तो उसके जलने पर आमूमन मदद नहीं दी जाती है। बिजली के तारों से खलिहान जल जाते हैं तो मान्यवर, जो बिजली के तारों से नुकसान होता है उसके बारे में बिजली विभाग से मुआवजा दिलाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

क्या रह गया है, बतलाइयेगा ?

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मैं नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न सुन लें।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(कांग्रेस दल के श्री जगदम्बिका पाल, श्री महेन्द्र सिंह माहरा एवं श्री राम विशुन आजाद आदि सदस्य सदन के वेल में आ गये)

श्री जगदम्बिका पाल–

पहले स्पष्टीकरण श्री प्रमोद तिवारी जी का सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया आसन ग्रहण करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये)

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आप कैसे नहीं सुनेंगे। किसान मर रहा है पूरी फसल नष्ट हो गई। चार लोग मरे शासनादेश के बावजूद भी मुआवजा नहीं दिया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं नहीं सुनूंगा ।

श्री रंगनाथ–

क्यों नहीं सुनेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

आपके प्रश्न का ओले से कोई संबंध नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

मेरा प्रश्न उसी से संबंधित है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इस विषय पर यह वाक आउट कर चुके हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

आप मान्यवर, सदन को व्यवस्थित कीजिए । जिसका नाम आप लें वही बोले ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

इस सवाल को कांग्रेस पार्टी ने रखा है और आप स्पष्टीकरण नहीं पूछने दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

मेरा 18 तारीख का दिया हुआ है । ओलावृष्टि के बारे में ।

16 तारीख को चार लोग मर गये कोई अनुदान कोई मुआवजा नहीं दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

आप इंगित करिए सदन का समय बरबाद हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ –

मेरा व्यवस्था का प्रश्न पहले सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था नहीं सुनी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

आप इनके बाद मुझे सुनेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं कह रहा हूं सुन लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दो स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं । मैंने एक सूचना दी, गांव में अग्निकांड हो रहे हैं वहां तत्काल सहायता दी जाय । लेकिन महीनों से यह सहायता वितरित नहीं हो पा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि कितनी जगह कहां-कहां अग्निकांड हुए वहां सहायता किन-किन तिथियों को पहुंची मेरा अनुमान है महीनों सहायता नहीं पहुंची ।

(व्यवधान)

दूसरी बात इस महंगाई के कारण यह एक हजार की राशि बहुत कम है । इसको बढ़ाकर पांच हजार कर दिया जाय । इससे ज्यादा अमानवीय दृष्टिकोण और क्या हो सकता है कि जिसका आग में सब कुछ नष्ट हो जाय, शासन उसको पांच हजार रुपये भी नहीं दे सकता है ।

एक बात हमारी पार्टी के सदस्य श्री राम विशुन आजाद ने कहा कि जिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के मकान आग में जल जायें, उनके मकान इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत बनवाये जाएं । जनता दल के सदस्यों ने जो बिजली के तार से क्षति होने का मामला उठाया तथा इस संबंध में मांग की, कि बिजली के तार से क्षति होने पर तत्काल सहायता दी जाय मैं इसका समर्थन करता हूं । तथा इसमें खलिहानों को भी शामिल किया जाय । आगजनी के बाद यथाशीघ्र और यथा संभव सहायता दी जाय । मान्यवर, एक परम्परा सी बन गई है कि जैसे ही हम कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं । भाजपा के सदस्य खड़े होकर व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं यह जो धृतराष्ट्र और गांधारी की जोड़ी बैठी है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

देश के गद्दार आरोप लगाते हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

यह जो कौरवों की सेना बैठी है । तथा मान्यवर, इस शिखंडी को आप बिठाएं ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, इनको चेतावनी दी जानी चाहिए।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप इनको चेतावनी दें। यह जो धृतराष्ट्र और गांधारी की जोड़ी बैठी है। इनको कौरव सेना में बिठाएं।

श्री अध्यक्ष–

श्री तिवारी आप आसन ग्रहण करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप शिखंडी को जरूर बिठाएं।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, यह चाहते हैं कि सदन स्थगित हो जाय, यह सत्ता के दलाल हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्री तिवारी जी हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। इन्होंने जो सुझाव दिये हैं तथा नेता प्रतिपक्ष ने जो सुझाव दिये हैं, उन पर सरकार के सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए यथा शक्ति विचार कर लिया जायगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

यह सरकार इस मसले पर संवेदनशील नहीं लग रही है।

11 बजकर 20 मिनट।

मान्यवर, आप सरकार से जवाब दिलवाइये। सरकार को 5 हजार रुपये की घोषणा तत्काल करनी चाहिए।

श्री रंगनाथ–

इनको बाहर निकलवाइये।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जैसे कौरवों और पांडवों की सेना के बीच शिखंडी होता था वैसे ही यह खड़े हुये हैं। (शोर)

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, पांडव इधर हैं और कौरव उधर हैं और बीच में यह शिखंडी बैठे हुये हैं इनको बाहर किया जाना चाहिये। एक तरफ पांडव हैं और दूसरी तरफ कौरव हैं और बीच में मामा शकुनि बैठा हुआ है। इसको बाहर करवाइये। शिखंडी और शकुनि बीच में बैठे हुये हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग संसदीय मर्यादाओं, संसदीय परम्पराओं का निर्वहन करें, बैठ जायें।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, आज खेती-किसानी पर चर्चा होनी है। यह देश के दलाल आज चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, सदन स्थगित करने पर तुले हुये हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

एक सदस्य–

मान्यवर, शिखंडी शब्द पर आप व्यवस्था दें।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कुछ नाम लिये हैं, धृतराष्ट्र तथा गांधारी और शिखंडी। तो मान्यवर, यह देख लिया जाय कि क्या इस नाम के व्यक्ति यहां पर बैठे हुये हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह शिखण्डी जैसा आचरण कर रहे हैं इसलिये मैंने शिखण्डी कहा है।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, मैंने दिनांक 18 अप्रैल को ओलावृष्टि और तूफान से होने वाली क्षति के संबंध में आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया था।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। आपने एक घंटे तक अनर्गल प्रलाप मा० प्रमोद तिवारी का सुना। आपने कहा था कि इनके बाद आपको सुनूंगा। मान्यवर, बनारस जनपद में जिनकी मृत्यु हुई, अगुजनी हुई और ओलावृष्टि से फसल नष्ट हुई, आज तक उनको सदन में घोषणा के बावजूद भी अनुदान नहीं दिया गया। यह बनारस से जुड़ी हुई किसानों की समस्या है। इधर हमारी तरफ पाण्डव हैं, सत्ता पक्ष की तरफ कौरव हैं और बीच में कांग्रेस के शिखंडी और जनता दल के मामा शकुनी बैठे हुए हैं, जो व्यवधान कर रहे हैं और ये किसानों को समय पर अनुदान नहीं दिलाना चाहते हैं

---

[b] वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मेरी मांग है कि आप शासन को निर्देशित करें कि शासन एक निश्चित समय पर बनारस के किसानों को अनुदान दे ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् । बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 2 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन् जैसा मैंने पहले कहा था कि यह सरकार गरीबों और किसानों के लिये अपनी प्राथमिकता रखे हुये है और दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में, अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी, तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो मानक हैं उनके अनुसार जिलों में पैसे की कमी नहीं होने दी जायेगी, इस तरह के निर्देश दे दिये जायेंगे कि शीघ्रातिशीघ्र राहत पहुंचायी जाये और अगर किसी प्रकार का विलम्ब किया जायेगा, तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा । मान्यवर, माननीय सदस्यों ने राहत में दी जाने वाली राशि में बढ़ोत्तरी की बात कही, तो मैंने कहा था कि जब हम पिछली बार सरकार में थे तो इसमें संशोधन किया था और आज सम्वेदनशीलता दिखा रहे हैं । इनको भी सरकार में बैठने का मौका मिला है, तब क्यों नहीं विचार किया था । मान्यवर, सीमित संसाधनों में यथा सम्भव और यथा समय विचार कर लेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप देखें कि इतने पैसों में क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने आश्वासन दे दिया है ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आश्वासन से काम नहीं चलेगा । 5 हजार की जो मांग की गयी है, उसकी स्पष्ट घोषणा करें । आप सुन तो लें, खलिहानों में आग लग जाती है, जिससे किसानों को क्षति होती है, बिजली के तारों से खेत के खेत जल जाते हैं और लोग मर जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

चौथे नम्बर पर इसी विषय की सूचना आ रही है, उसके साथ इसको भी सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आप तो जमीन से जुड़े

श्री अध्यक्ष–

जमीन से तो सभी लोग जुड़े हैं ।

(व्यवधान)

मैं इस विषय पर सरकार को निर्देशित कर दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने सभी पहलुओं पर बात कही है, लेकिन इस बात की स्पष्ट घोषणा नहीं की है कि 5 हजार रुपये कर दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह विषय से सम्बन्धित नहीं है । यह संगत नहीं है । अब हम वहीं आ रहे हैं, उसी के साथ यह भी हो जायेगा । अब तो कुछ शेष नहीं रहा, पूरा का पूरा उत्तर दे दिया और आप संतुष्ट भी हो गये होंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हम संतुष्ट नहीं हैं ।

(व्यवधान)

मैं इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर जब से कांग्रेस और जनता दल के समर्थन से सपा बसपा गठबन्धन की सरकार बनी है तब से न महिलाओं की रक्षा हो रही है और न ही उनकी शील की रक्षा की जा रही है।

श्री राम आसरे वर्मा–

अगर जनता दल का नाम न लिया होता तो क्या रोटी न हजम होती ?

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, कांग्रेस और जनता दल सरकार की | × × × | है इसलिये यह बताना जरूरी है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, जब श्री प्रमोद तिवारी चले गये तब इनके हौसले बढ़ रहे हैं ।

नोट : | × × × | यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, सरकार से इन्होंने मुताह विवाह कर लिया है यह उसके बदले में कुछ लेते हैं इनके उनसे अवैध संबंध हैं। (व्यवधान)

यह गंधर्व विवाह है।

एक सदस्य–

यह शिखन्डी हैं।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, कौरवों के बीच में जो होता है वह शिखण्डी है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अब तो यह एक बहुत गम्भीर मामला हो गया है। अब आपको तो यहां पर एक डाक्टर को मनोनीत करना पड़ेगा जो जांच करे कि इसमें शिखन्डीपन है कि नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब बहुत हो गया।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी एवं जनता दल के सपोर्ट से जब से सपा, बसपा गठबंधन की सरकार आई है। प्रदेश में न तो महिलायें सुरक्षित हैं और न ही उनका शील। दौना जैसे काण्ड हो रहे हैं। मान्यवर, इलाहाबाद शहर में 17/18 अप्रैल की रात्रि में प्रीस्ट पिन्टो द्वारा 17 वर्षीय नाबालिग नन सरिता एलियास सिस्टर लिजिड का पेरिस हाउस में शील भंग किया गया। यह नन सरिता एलियास सिस्टर लिजिड पटना में शिक्षा प्राप्त कर रही थी और इलाहाबाद में जगत तारन गर्ल्स इन्टर कालेज में अपने कार्य से आई थी। मान्यवर, 17 अप्रैल, को सायंकाल 5.30 बजे वह कैथेड्रल कालेज में ईवनिंग मास के लिये आई हुई थी वहीं पर प्रीस्ट पिन्टो उससे मिले तथा रात्रि में सेंट जोसेफ कालेज से पेरिस हाउस ले गये और वहां पर उनका शील भंग किया और रात्रि में जब मोहल्ले के लोगों को इसका पता चला और उस घर में पहुंचे और उन्होंने इस तरह की घटना को आंखों से देखा है।

यह घटना इलाहाबाद के समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हुई है। वहां पर अन्य लोग तथा जिला प्रशासन के लोग इस घटना को दबाने का प्रयास कर रहे हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती है। इस सरकार के समय में जैसे प्रदेश के अन्दर प्रतिदिन 2-4 घटनायें हर जगह हो रही हैं उसी की पुनरावृत्ति इलाहाबाद में भी हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसके लिये एक कमेटी बनाई जाय और इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, गौर साहब जैसे वरिष्ठ सदस्यों को कोई बात बहुत जिम्मेदारी से कहनी चाहिये । ऐसे मामलों में सरकार के पहले से ही निर्देश हैं । इस सरकार का ऐसे मामलों में सख्त रवैया भी पूरे प्रदेश ने देखा है । आपने समाचार-पत्रों का उल्लेख किया और कोई इस संबंध में तथ्य नहीं बताये हैं । सदन की परम्परा रही है कि समाचार-पत्रों की बात को ज्यादा संज्ञान में नहीं लिया जाता है और बगैर जानकारी किये ऐसे संवेदनशील मामलों में यहां पर उस बात को नहीं उठाना चाहिये ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मैं वहां स्वयं गया था, वहां पर लोगों ने भी मुझे बताया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह सही है कि रात्रि साढ़े ।। बजे 8 व्यक्ति नाम पता अज्ञात उस कम्पाउण्ड स्थित मकान में घुस गये, जहां उनके मेहमान भी बैठे थे, वहां पर मारपीट हुयी और जान से मारने की धमकी देकर कुछ लोग चले गये । इस संबंध में उसी दिन एक मुकदमा पंजीकृत हुआ, जो धारा 147, 323, 324, 552 में है । एस० एस० आई०, सिविल लाइन्स द्वारा इस मामले की विवेचना की जा रही है और इस संबंध में नन के साथ बलात्कार की बात न शिकायत में आई है, न प्रकाश में आई है । मैं गौर साहब से अनुरोध करूंगा कि छानबीन करने के बाद ही कोई मामला यहां लाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

स्थिति स्पष्ट हो गयी है, अब मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं । अगली सूचना श्री रमेश कान्त लवानियां जी की है ।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, नियम 311 में दो सूचनायें दी हुई हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना आई है और है इसमें । लेकिन क्रम जो है, उसी के अनुसार चलेगा ।

श्री रमेश कान्त लवानियां–

मान्यवर, बुलन्दशहर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर यह जिले, हरियाणा प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं और इन जिलों के उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, उनकी फसल हरियाणा के सीमावर्ती गांवों के किसानों द्वारा जबरन काट ली जाती है, यह सिलसिला बरसों से चल रहा है । इतना ही नहीं, वह लोग रखी हुयी फसल को भी उठाकर ले जाते हैं । इस वर्ष भी मान्यवर, मेरठ जिले के बागपत थाना क्षेत्र में हरियाणा के किसानों और उत्तर प्रदेश के किसानों में भयंकर तनाव व्याप्त है और बागपत थाना क्षेत्र में फैजपुर, मीनाखेड़ा, इस्लामनगर, सुल्तानपुर, इटौनी आदि गांवों के किसानों ने जिला प्रशासन से शिकायत भी की है हरियाणा के किसान इस बार सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल काट कर ले गये जिससे लाखों रुपये का नुकसान हो गया है । इन किसानों की यह भी शिकायत है कि हरियाणा के किसानों को वहां की पुलिस का संरक्षण प्राप्त है ।

अभी गत वर्ष भी बागपत बड़ौत थाना क्षेत्र में हरियाणा के लोगों ने वहां हमला किया और खेड़ा हटाना ग्राम में लाखों रुपये की खड़ी तरबूज की फसल को नष्ट कर डाला साथ ही पहरा देने वाले लोगों की झोपड़ियों को जला डाला, जिससे उत्तर प्रदेश के कई किसान घायल हुए हैं। यहां की पुलिस इस मामले में निष्क्रिय है और किसान जिला प्रशासन से संरक्षण चाहता है। इससे पूर्व जब हरियाणा हाईकोर्ट में भूमि का विवाद गया तो हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के किसानों के हक में फैसला दिया लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन सोया हुआ है। इस समय किसानों में भयंकर तनाव व भय व्याप्त है और स्थिति कभी भी गम्भीर रूप धारण कर सकती है। क्या शासन इस बात का इन्तजार कर रहा है कि दोनों तरफ के किसानों में गम्भीर घटना घटे, दुर्घटना हो और जब घटना घटे, किसान आन्दोलन करें तो यह सरकार उन पर लाठियां चलवाये, गोलियां चलवाये और फिर न्यायिक जांच की मांग हो फिर जटिल समस्या खड़ी हो जाय, इसलिये समय रहते ही जिला प्रशासन को हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को संरक्षण देना चाहिये तथा पुलिस की स्थाई व्यवस्था की जानी चाहिये और निगरानी रखनी चाहिये।

हरियाणा के जो किसान इस तरह का अपराध करते हैं, उन पर मुकदमा कायम करके उनको पकड़ने का प्रयास करना चाहिये। शासन को चाहिये कि सचिव स्तर पर वार्ता की जाये। हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में वार्ता हो, आवश्यक हो तो मंत्री स्तर पर वार्ता की जाये। उत्तर प्रदेश के किसानों की लाखों रुपये की जोनी-बोई फसल हर साल हरियाणा के किसानों द्वारा बरबाद कर दी जाती है। यह मामला बहुत गम्भीर है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि इस समस्या के समाधान के लिये प्रदेश सरकार शासन स्तर पर, सचिव स्तर पर और मंत्री स्तर पर वार्ता करें, जिससे किसानों की समस्या हल हो तथा इन जिलों की सीमा पर समुचित पुलिस प्रबन्ध हो।

* श्री किरन पाल सिंह–

यह बहुत ही महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय लोक महत्व का है। जैसा कि लवानियां जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई जिले हरियाणा की सीमा पर हैं और वहां के किसानों द्वारा हमारे प्रदेश के किसानों की फसल बरबाद की जा रही है। मान्यवर, मेरठ के बागपत और बड़ौत, बुलन्दशहर जिले का खुर्जा क्षेत्र और अलीगढ़ जिले का सिकन्दराराऊ की सीमा हरियाणा से लगती है। इस विषय में बड़ा लम्बा विवाद है और यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट तक चला गया है और उसका जजमेंट हमारे यहां के किसानों के फेवर में आ गया है। श्रीमन, स्थिति यह है कि हमारे यहां के किसान फसल बोते हैं और हरियाणा के किसान वहां की पुलिस के सहयोग से फसल काट ले जाते हैं। बुलन्दशहर जिले के 4-5 लोग हरियाणा की पुलिस की गोली से मारे जा चुके हैं। हरियाणा में जो एक्स आर्मी के लोग हैं उनको सीमावर्ती इलाकों में बसाया गया है, उनके पास शस्त्र भी हैं।

इन लोगों के सहयोग से हमारे यहां के किसानों की खड़ी फसल काट ले जाते हैं और खलिहान तक से अनाज उठा ले जाते हैं और हमारे यहां का प्रशासन हमारे यहां की कोई मदद नहीं कर पाता है। जमीन हमारे प्रदेश की है, हमारे जनपद के हैं और हमारे लोग जोतने-बोते हैं लेकिन फसल वहां के प्रशासन की उदासीनता के कारण हरियाणा के लोग काट ले जाते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बुलन्दशहर के खुर्जा तहसील के एक गांव में इस मामले को लेकर संघर्ष हुआ हरियाणा की पुलिस वहां आ गयी और उसने अपने किसानों की मदद की लेकिन हमारे यहां की पुलिस मौके पर भी नहीं पहुंची। सीमा से लगे जिलों के किसान भगवान के भरोसे रह रहे हैं। अतः इस लोकमहत्व के विषय पर सरकार ध्यान दे और सीमा से लगे किसानों की फसल की सुरक्षा की व्यवस्था करें ?

श्री सुधीर कुमार वालियान–

मान्यवर, मेरा जनपद मुजफ्फरनगर भी हरियाणा की सीमा से लगा हुआ है। जो समस्या मा० रमेश कान्त लवानियां जी ने उठाया है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण व गम्भीर है। उत्तर प्रदेश के किसानों की फसल जो सीमा से लगे गांव हैं, हरियाणा के लोगों द्वारा काट ली जाती है और खलिहान से अनाज उठा ले जाते हैं। सीमा से लगे हुए किसानों का उत्पीड़न होता है। यह उत्पीड़न हरियाणा की पुलिस की शह पर किया जाता है। हरियाणा की पुलिस की शह पर वहां के लोग हमारे यहां के लोगों की फसल काट ले जाते हैं। वर्षों से यह सब हो रहा है। झिंझाना थाने के अन्तर्गत गांव खानपुर से कई लोगों का अपहरण किया गया। मंगलौरा घाट के किसानों को अम्बाला में ले जाकर पुलिस संरक्षण में पीड़ित किया गया। उत्तर प्रदेश के जो जिले हरियाणा की सीमा से जुड़े हुए हैं और सीमावर्ती गांव हैं उनके साथ आये दिन अन्याय हो रहा है। इस मामले को सरकार देखे और शासन के द्वारा किसानों को संरक्षण दिया जाये इसके साथ ही सीमा विवाद के जितने प्रकरण हैं उनको हल किया जाये।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, यह मामला एक जिले से संबंधित नहीं है। अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आगरा, मथुरा जितने भी सीमा से लगे हुए जिले हैं, चाहे वह हरियाणा की सीमा से लगे हों या राजस्थान की सीमा से लगे हों, जो सीमावर्ती किसान हैं, अपने फसल को बोते हैं पर कहीं राजस्थान के लोग और कहीं हरियाणा के लोग काट ले जाते हैं, अधिकांश हरियाणा के लोग काट ले जाते हैं। यह जो फसल काट कर ले जाते हैं वह हरियाणा के किसान नहीं हैं बल्कि एक ऐसा जबरदस्त गैंग है जो इस अर्थ में रहता है कि कब उत्तर प्रदेश के किसानों की फसल तैयार हो और उनके पके-पकाये फसलों को काट लिया जाये। यही नहीं खलिहान में रखे अनाज को भी उठा ले जाते हैं। क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी जिससे इन किसानों की फसल की सुरक्षा हो सके ?

| 2 बजकर 20 मिनट |

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह मसला हरियाणा और उत्तर प्रदेश सीमा पर जमुना नदी से उत्पन्न वहां पर भूमि विवाद होता है, इसका संबंध है जमुना नदी के कटान से। कभी हरियाणा की भूमि हमारे जिले में आ जाती है और कभी उत्तर प्रदेश की भूमि हरियाणा की तरफ चली जाती है, इससे तमाम विवाद उत्पन्न हो जाते हैं और यह विवाद पिछले कई वर्षों से पैदा हो रहा है। इस वर्ष एक मामला सुल्तानपुर हटाना का प्रकाश में आया है, जैसी कि सूचना मेरे पास है, इसमें मुकदमा भी दर्ज है, हमारी कोशिश है कि वहां पर सीमा चिन्ह लगा दिये जायं, यह मामला ट्रिब्यूनल एवार्ड में रखा गया है, अभी तक जो भूमि का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है वह पूरा नहीं हो पाया है, इस कारण से अभी तक सीमा चिन्ह नहीं लग पाये हैं।

यह हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द दीक्षित एवार्ड के अनुरूप सीमा चिन्ह अंकित कर दिये जाये, सिर्फ यही एक मामला प्रकाश में आया है । हम जिलाधिकारियों को निर्देश दे देंगे कि किसानों की फसलों का नुकसान न हो कभी यह लोग काट लेते हैं और कभी वह लोग काट लेते हैं, ऐसा न हो, एक साल में यह जिले में घटना हुयी है, आम तौर पर संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को यह निर्देश दे देंगे कि किसी प्रकार की घटना अनावश्यक न होने पाये और फसल दूसरे लोग न काट पायें ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना का सरकार की तरफ से उत्तर आ गया है, अतः यह सूचना निरस्त की जाती है । अगली सूचना डा० रामबाबू हरित जी की है ।

डा० रामबाबू हरित–

मान्यवर, 12 अप्रैल, 1994 को सुरेश चन्द्र पुत्र श्री हरे लाल, निवासी गांव बाईखेड़ा, थाना मलपुरा, जिला आगरा जो अनुसूचित जाति (जाटव) समुदाय का व्यक्ति था, उसकी मौत श्री वासुदेव शर्मा पुत्र स्व० ननिगा राम, गांव सिरौली, थाना मलपुरा के यहां कार्य करते समय विद्युत करेण्ट लगने से हो गयी। श्री वासुदेव ने इस व्यक्ति को झूठा आश्वासन देकर अपने यहां बेलदारी के कार्य के लिये ले गया और उससे कहा कि मैंने विद्युत अभियन्ता से बात करके मकान के ऊपर जा रही ।। हजार का हाई टेन्सन बिजली की लाइन की विद्युत को बन्द करा दिया है, सुरेश ने उससे कहा कि कार्य नहीं कर पाउंगा, बिजली से अकारण मौत हो सकती है उसको गुमराह किया और कहा कि चिन्ता मत करो मैंने संबंधित अभियन्ता से बात कर ली है, बिजली के तारों में करेण्ट नहीं आ रहा है । उसके कार्य करने के लिये श्री वासुदेव ऊपर ले गया और वह ऊपर कार्य करने लगा । कुछ समय बाद कार्य करते समय वासुदेव के दो लड़के निर्मित भवन के छत पर चढ़ गये और उन्होंने डण्डा बिजली के तारों में मार दिया, तार टूट कर नीचे गिरे जिससे सुरेश चन्द्र विद्युत करेण्ट लगने से बहुत बुरी तरह घायल हो गया, उसी गांव के एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण जाट, निवासी–सिरौली ने अपने ट्रैक्टर से जिले के एस० एन० चिकित्सालय के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया, वहां चार दिन तक उपचार चलता रहा ।

इसी बीच 15 अप्रैल, 1994 को वासुदेव ने सुरेश चन्द्र को डाक्टरों की बिना अनुमति के एवं धोखा देकर अस्पताल से बाहर ले आया और कहा कि मैं इसका उपचार प्राइवेट नर्सिंग होम में कराऊंगा एवं भरपूर मदद करूंगा । मगर इसके तुरन्त बाद ही उसे अस्पताल से बाहर लाने के बाद वासुदेव ने सुरेश चन्द्र को रास्ते में छोड़कर गायब हो गया, इसके बाद उसकी मृत्यु हो गयी । वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के कहने पर कुछ लोग 17 अप्रैल, 1994 को एफ० आई आर० दर्ज कराने थाने गये और कहा कि एफ० आई आर० दर्ज कर ली जाय, किन्तु उन लोगों की एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की गयी, पुनः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से 17-4-94 को काफी लोग न्याय हेतु मिलने गये, उनके आदेश के बावजूद थाना पुलिस ने एफ० आई आर० दर्ज नहीं की, इसके बाद वह लोग मेरे पास आये, पुनः 20-4-94 को मेरे कहने पर पीड़ित लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले और उनसे बताया कि एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की गयी, उन्होंने बुरा व्यवहार करते हुए पीड़ितों को भगा दिया । मैं स्वयं जाकर मिला, तो एस० एस० पी० ने कहा कि बहुत पैसा दिलवा दूंगा, लेकिन रिपोर्ट नहीं की गयी, वासुदेव के

द्वारा पुलिसवालों को भी ओबलाइज कर दिया गया है, जिसके लिये उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है।

मैं इस लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाय और इस प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करायें, दूसरी बात उसके परिवार को मुआवजा दिया जाय क्योंकि वह अपने पीछे एक पांच वर्ष का लड़का और तीन वर्ष की लड़की को छोड़ गया है। पुलिस ने इस पर सही कार्य नहीं किया और न ही आवश्यक कदम उठाये हैं, अतः पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारियों को दण्डित किया जाय तथा इससे संबंधित दोषी व्यक्तियों को सजा दिलायी जाय। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारी ने वासुदेव को तीन बार लिखित सूचना देकर मकान बनाने के लिये मना किया था। इस काण्ड से क्षेत्र में अनुसूचित समाज में असंतोष व्याप्त है, अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

तारों के टूटने से लोगों की मृत्यु हो जाती है और नुकसान होता है। इस प्रकार के विचार माननीय श्री वर्मा जी ने पहले प्रकट किये थे। उस समय मैंने कहा था कि अगली सूचना इसी विषय पर है, उसके साथ ही आपके विचारों को जोड़कर मंत्री जी से एक साथ उत्तर दिलवा दूंगा। इसलिये संसदीय कार्य मंत्री जी आप उत्तर दे दें।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी, मैंने यह कहा था कि खलिहानों में आग लग जाती है परन्तु लोगों को अनुदान नहीं दिया जाता है। बिजली के तारों से खेत के खेत जल जाते हैं। बिजली विभाग द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिये, परन्तु दिया नहीं जाता है। इसलिये यह सुनिश्चित कर दिया जाना चाहिये कि अगर बिजली के तारों से आग लगती है तो बिजली विभाग द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिये। खलिहान पर जब आग लगती है तो उस पर भी मदद दी जानी चाहिये।

श्री देवी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, डा० हरित बाबू जी ने जो सूचना दी है, उसकी तो हम जांच करवा लेंगे। दूसरा, श्री वर्मा जी ने जो कहा है, उसमें मानकों के अनुसार राहत दी जाय, इस प्रकार के निर्देश दे देंगे।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इनका तो जी० ओ० है, उसमें यह है कि जिसके पास कोई साधन नहीं होगा व जमीन नहीं होगी, उसे मुआवजा दिया जायेगा। अब जिसके पास जमीन ही नहीं होगी तो उसकी फसल को कहां से आग लगेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता, प्रतिपक्ष, यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो कहें।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, श्री वर्मा जी ने व श्री किरन पाल सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह लगभग पूरे प्रदेश से संबंधित है और नीतिगत है। इसका तो अलग से उत्तर आना चाहिये। परन्तु श्री हरित जी ने एक विशेष घटना का उल्लेख किया है। उसके संबंध में मैं सरकार से कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा। इसमें तीन बिन्दु उठते हैं :–

(1) तारों के टूटने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई,

(2) उसको मारने की कोई साजिश रची गयी थी,

(3) जब वह एफ० आई० आर० दर्ज कराने के लिये गये थे तो वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों के बावजूद भी एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की गयी।

अब इस एफ० आई० आर० दर्ज न करने के लिये कौन दोषी अधिकारी हैं और एफ० आई आर० दर्ज क्यों नहीं की गयी ? वैसे तो इस समय प्रदेश के अन्दर अपराधों को छिपाने के लिये ढेर सारे एफ० आई० आर० दर्ज नहीं हो रहे हैं। परन्तु जहां मौत हो रही हो तो एफ० आई० आर० दर्ज अवश्य होनी चाहिये। चौथा, यह है कि जो मर गया है, उस मृतक के परिवार जनों को सरकार कितनी आर्थिक सहायता देगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

लगता है नेता प्रतिपक्ष ने मेरी बात को गम्भीरता से नहीं लिया। हमने पहले ही कहा जो भी माननीय सदस्य के बिन्दु हैं उनकी जांच करवा लेंगे अगर बिजली के तारों से मृत्यु हुई है तो उसका मुआवजा देंगे अगर वह कोई और सुझाव देंगे कि किस से जांच करायें तो उस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री लल्लू सिंह–

मान्यवर, एक मिनट में प्रकाश डाल दूं ऐसे कई गांव हैं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं अब यह प्रकरण बंद हो गया। अगली सूचना माननीय सचान जी की और माननीय किरन पाल जी की है।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हरित जी की जो सूचना है इस पर भी निर्देश देंगे कि एफ० आई० आर० क्यों नहीं लिखी गयी ? इस पर मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारी भेज कर जांच करा लेंगे।

श्री लल्लू सिंह–

अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो कई लोग इस प्रकार मर जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कल लाइयेगा आज नहीं सुनूंगा । (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 12 नवम्बर, 1981 से कानपुर में ।

श्री अध्यक्ष–

81 का मामला आप बता रहे हैं यह कोई अवलम्बनीय लोक महत्व का तो नहीं हो सकता है ।

श्री राकेश सचान–

कानपुर में डी० ए० वी० कालेज छात्रावास के नाम से जो जाना जाता था वह बन्द पड़ा है । इस छात्रावास में दो हजार विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था थी । 12 नवम्बर, 81 को इस छात्रावास को पुलिस बल के द्वारा छात्रों से जबरन खाली कराकर कब्जा ले लिया । इसके विरोध में छात्रों ने आन्दोलन और धरना दिया, संघर्ष जारी रखा और 83 में छात्रों ने जेल भरो आन्दोलन चलाया जिसमें 3 हजार विद्यार्थी कानपुर जिला जेल में बन्द हुए उस दौरान माननीय श्रीपति मिश्रा जी की सरकार थी (व्यवधान) छात्रों के दबाव मे एकवागला कमीशन सरकार ने गठित किया और उस कमीशन की जांच रिपोर्ट भी आ गयी और उसमें छात्रावास खोले जाने की बात कही गयी । लेकिन उसके बाद से आज तक कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई और न छात्रों को छात्रावास सौंपा गया ।

मान्यवर, आज जो नेता सदन हैं उन्होंने उस समय छात्रों से कहा था उनके कई बार वहां कार्यक्रम लगे और घोषणा की थी कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मेरा पहला काम यह होगा कि छात्रावास को खुलवा कर छात्रों को दूंगा । लेकिन आज तक वह छात्रावास नहीं खुला और उसमें दूसरे लोग अनधिकृत कब्जा किये हैं । प्रबन्धतंत्र के द्वारा पुलिस और अन्य कर्मचारियों को किराये में दे दिया गया है । मैंने इस मामले में एक सवाल लगाया था आपके द्वारा जो प्रथम सत्र 94 के द्वितीय सोमवार के लिये निर्धारित था प्रश्न संख्या 6 अतारांकित । उसमें मैंने पूछा था क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि डी० ए० वी० कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लगभग दो हजार छात्रों को आवासीय सुविधा प्राप्त छात्रावास को नवम्बर, 1981 में बन्द कर दिया गया था जिसका उत्तर आया "जी हां" इस पर हमने आगे पूछा था यदि हां, तो उसका क्या कारण था ? तो उसका उत्तर आया "छात्र उपद्रव" के कारण । इसके बाद मैंने पूछा था क्या यह सही है कि छात्रावास की इमारत में कर्मचारी एवं पुलिस कर्मी अनधिकृत रूप से किराये के आधार पर रखे गये हैं ? उत्तर दिया था–जी हां । उसके बाद प्रश्न था–यदि हां, तो क्या उनसे इसे खाली कराकर पुनः छात्रों के रहने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ? उसमें उत्तर आया है कि छात्रावास/भूमि (नजूल) के पुनः ग्रहण की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, कानपुर को आदेश दिये जा चुके हैं । छात्रवास/भूमि (नजूल) के अधिग्रहण होने के उपरान्त अन्य आवश्यक कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा ।

मेरा कहना है कि भूमि नजूल का उसमें कोई मसला नहीं है । नगर महापालिका द्वारा दयानन्द कालेज के नाम पर 1923 में एक रुपये के पट्टे पर 99 वर्ष तक के लिये भूमि दी गई थी और उसमें

यह था कि छात्रावास बनवाया जायेगा और वह बना है। अब उसे केवल खोलना है। मुख्य मंत्री जी ने उसके खोलने के संबंध में घोषणा भी किया है। इसलिये यह लोक महत्व का प्रश्न है और सदन की सारी कार्यवाही रोक कर आप इस पर चर्चा करायें।

श्री अशोक कुमार चन्देल–

मान्यवर, कानपुर का डी० ए० वी० कालेज का छात्रावास 1981 में बना था लेकिन अब इसमें दूर दराज से आने वाले छात्रों के सामने रहने की विषम स्थिति पैदा हो गयी है। पहले छात्र यह सोच कर कानपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिये आते थे कि कानपुर में कहीं प्रवेश लेंगे तो छात्रावास में रहने की सुविधा उपलब्ध होगी लेकिन छात्रावास उपद्रव के नाम पर छात्रों से खाली करवा लिया गया, उस समय हम भी छात्र थे और यहां तमाम बैठे वरिष्ठ सदस्य भी उस समय इस आन्दोलन की अगुवाई और लड़ाई लड़े थे लेकिन इसके बावजूद भी तत्कालीन सरकार ने इस छात्रावास में पी० ए० सी० के लोगों को और अन्य लोगों को नाजायज तरीके से रख दिया और वे अभी भी रह रहे हैं। इसलिये आप से प्रार्थना है कि छात्रों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार को निर्देश दें कि इसको खाली करवा कर छात्रों के रहने की व्यवस्था करायें और मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा किया है उसको लागू करवायें।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, कानपुर डी० ए० बी० कालेज का छात्रावास 1981 में छात्रों से खाली करवाया गया था और उसके बाद छात्रों ने आन्दोलन किया तो वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने, जो उस समय मुख्य मंत्री नहीं थे, लेकिन सदन से बाहर उन्होंने घोषणा किया था कि जिस समय उनकी सरकार बनेगी तो वह छात्रावास खाली करा कर छात्रों को रहने के लिये दिया जायेगा। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई उस घोषणा को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी यह सरकार अपने ऊपर ले रही है कि नहीं ? यदि नहीं, तो यह कहने के लिये हमें विवश होना पड़ेगा कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। और इसलिये यह सरकार कितने दिन चलेगी यह आने वाला समय ही बतायेगा ?

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ कहने लगे मुझे सुन लें)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं नहीं सुनूंगा, इस तरह जबरदस्ती नहीं .... (व्यवधान) मैं नहीं सुनूंगा, यह गलत तरीका है। उसके लिये इजाजत नहीं है।

श्री किरन पाल सिंह–

मेरे नोटिस में दस्तखत हैं और आप मुझे नहीं सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सारे सदन को मैं नहीं बुलवा सकता । आप बैठिये, आपके पक्ष के कितने ही सदस्य बोल चुके हैं (व्यवधान) अच्छा आप बोलें, जो मन में आवे बोलें । लेकिन मैं नहीं सुनूंगा । मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री किरन पाल सिंह–

मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरे उसमें दस्तखत हैं और वैसी कोई बात नहीं है (व्यवधान) मैं एक बात यह कहना चाहता हूं । इसको लेकर वहां छात्रों में बड़ा भारी आज तक असन्तोष है । गांवों के जो पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के छात्र कानपुर में पढ़ने आते हैं, उनको बहुत महंगे किराये पर मकान लेकर गुजर करना पड़ता है । इस तरह कैसे गरीबों के बच्चे पढ़ सकेंगे । (व्यवधान) वहां पर 213 छात्र रहते थे, अब उस भवन को पी० ए० सी० वालों को किराये पर दे रखा है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं कह रहा हूं, आप बैठिये ।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष–

अब किसी को नहीं, शिवकुमार बेरिया जी ।

* श्री शिवकुमार बेरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो सवाल माननीय सदस्य राकेश सचान जी ने उठाया है, अति महत्व का सवाल है, इसलिये कि वह सिर्फ छात्रावास ही नहीं है, बल्कि उस छात्रावास को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सिर्फ प्रदेश में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में जाना जाता है । क्योंकि जंगे आजादी के जमाने में जब देशभक्त क्रान्तिकारी आजादी के लिये संघर्ष कर रहे थे, तो उन सारे लोगों के पनाह के रूप में वह स्थान जाना जाता था । बड़े-बड़े क्रान्तिकारी और सरदार भगत सिंह सरीखे लोग वहां ठहर चुके हैं । मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरी जिन्दगी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा वहीं गुजरा है ।

मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत भी इस छात्रावास में रहकर की है । साथ ही इसको खुलवाने के लिये हुए छात्र आन्दोलनों में भी मैंने संघर्ष किया है और जेल भी गया हूं । जो माफिया लोग हैं (व्यवधान) उन माफिया लोगों ने सिर्फ इस छात्रावास पर कब्जा करने की दृष्टि से इसे बन्द किया है, बल्कि इसे किराये पर उठाने का जघन्य अपराध भी किया है । वह छात्रावास कानपुर नगर के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

धनाढ्य लोगों द्वारा दान से बनवाया गया है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन माफियाओं के खिलाफ सरकार कड़े से कड़े कदम उठावे और अविलम्ब कदम उठाकर इसको खाली कराके छात्रों के रहने के लिये उपलब्ध कराये।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, जब कोई छात्रावास बनाया जाता है तो इसलिये बनाया जाता है कि इसमें छात्र रहें और छात्रों के रहने का उद्देश्य होता है कि वह वहां रहकर परिश्रम से पढ़ाई लिखाई कर सके। मान्यवर, कई वर्ष हुए इसे दानदाताओं ने दान देकर बनवाया था आज भी उनके नाम वहां पर अंकित हैं। मान्यवर, इस छात्रावास को छात्रों से खाली करवा दिया गया और जिसने इस पर कब्जा कर रखा है जैसा कि श्री शिव कुमार बेरिया ने कहा मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूं कि एक बहुत ही नामी गिरामी माफिया सरगना ने उस पर कब्जा कर रखा है और उस छात्रावास का इधर-उधर का कुछ हिस्सा किराये पर उठा रखा है।

मान्यवर, शिक्षा, छात्रों से संबंधित ऐतिहासिक छात्रावास है जिसमें छात्रों ने रहकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आन्दोलन चलाये थे। मान्यवर, यह छात्रावास डी० ए० वी० कालेज, कानपुर का मामला काफी वर्षों से लटका हुआ है इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार तुरन्त इस बात की घोषणा करे कि इसको खाली कराकर छात्रों के रहने की व्यवस्था की जायेगी। अगर कोई सुरक्षा की आवश्यकता पड़े तो वहां पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये व्यवस्था करे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, माननीय राकेश सचान और अंशोक कुमार सिंह चन्देल, वर्मा जी, किरन पाल सिंह ने जो यह डी० ए० वी० कालेज के छात्रावास के संबंध में यहां पर प्रश्न उठाया है, यह कदाचित् नियम–56 की परिधि में नहीं आता है। गुप्ता जी यहां से बैठे-बैठे कह भी रहे थे कि यह तात्कालिकता से संबंधित नहीं है। मान्यवर, यह वर्ष 81 की घटना है। (व्यवधान) बीच में बोलना क्या आवश्यक है। श्रीमन्, जो लोग वहां के छात्र रहे हैं श्री बेरिया, राकेश सचान और अशोक कुमार सिंह चन्देल जी, इन लोगों का भावनात्मक लगाव है। हमको भी इस समस्या के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है, विरोध में थे, तब भी, सरकार में हैं, अब भी। श्रीमन्, यह नियम–56 की परिधि में तो आता ही नहीं है। एक समस्या है। लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष बहती नदी में हाथ धोना जानते हैं। आपको भी समय मिला था, आप करवा लेते। अलीगढ़ जाने के लिये वहां से रास्ता है।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मुझे खेद है कि इसे इतने हल्के ढंग से ले रहे हैं। मैंने कहा है कि इसको खाली करवायें इसका मतलब यह तो नहीं कि अभी 2.49 बज रहे हैं आप इसे अभी करवा दें। जैसी सरकार की क्षमता हो उसके हिसाब से समय बता दें। 15 दिन, एक महीने, दो महीने कितने समय में करवा देंगे? इस सरकार की क्षमता नहीं है कि इसको खाली करवा सके। आप तीन महीने की घोषणा कर दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह लफ्फाजी और अफवाहों पर विश्वास करने वाली सरकार नहीं है। सच्चाई पर अमल करने वाली है। जो समस्या है, उससे हम सहमत हैं, आगे रास्ता निकाला जायेगा। इसको हम दिखवा लेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री राकेश सचान, श्री तेजपाल सिंह, श्री मदन गोपाल वर्मा आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और इस सम्बन्ध में घोषणा करवाये जाने के लिये बराबर कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना आसन ग्रहण करें। इस सूचना को मैं निरस्त करता हूं। इसके बाद अगली और अन्तिम सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है।

(सदस्यों के लगातार बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री तेजपाल सिंह–

इस पर निर्देशित करें।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

गांव के छात्रों कें रहने के लिये यह बनाया गया है।

(घोर व्यवधान)

(श्री तेजभान सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री तेजपाल सिंह, श्री राकेश सचान आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष–

आप अपने स्थान पर जाएं।

नियम–311 को 56 में परिवर्तित किया गया है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप नहीं मानेंगे मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(घोर व्यवधान)

जिन पांच माननीय सदस्यों की सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है वह निम्नवत् हैं–पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री उदयभान सिह, श्री मामचन्द्र, श्री रमेश कान्त लवानिया की है इन्होंने जनपद मथुरा में श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा को प्राणघातक हमला कर डा० भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती मनाने से रोकने तथा पुलिस द्वारा कथित रूप से हमलावरों की

सहयोग प्रदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। छठी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा' की है इन्होंने वाराणसी नगर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 29 प्लाट कालोनी (संकट मोचन कालोनी) के बी–31/27-ग से बी–31/34-35 तक मुख्य सीवर लाइन न होने से गन्दा जल निकासी की भीषण समस्या के निदान हेतु महापालिका को अविलम्ब निर्देशित करने के संबंध में सूचना दी है। सातवीं सूचना श्री बदन सिंह की है इन्होंने (घोर व्यवधान)प्रदेश के जल निगम विभाग द्वारा ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के लिये घटिया किस्म के पाइप क्रय किये जाने तथा इन्हें अवैध रूप से बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। आठवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल तथा श्री रंगनाथ की है इन्होंने जनपद फिरोजाबाद में छात्रों व पुलिस के बीच फायरिंग व पथराव की घटना में तीन छात्रों के गोली लगने से घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। नवीं सूचना श्री जगवीर सिंह की है इन्होंने जनपद अलीगढ़ में जीर्ण-शीर्ण विद्युत लाइन गिरने से दो व्यक्तियों की हुई मृत्यु तथा खलिहान जल जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है।

(घोर व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 1– आबकारी विभाग

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,86,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

इसमें कटौती का प्रस्ताव आयेगा। बिना बहस के बजट पास कराना अलोकतांत्रिक है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

गलती करें दूसरे और दण्डित पूरा सदन हो, यह सब साजिश है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब कोई कटौती का प्रस्ताव रख रहा है ?

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हम भी बहस कराना चाहते हैं।

(किसी के कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न रखता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,86,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कल्याण सिंह–

कटौती रखी जा रही है और आप बजट पास करवा रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मैं इस पर मत विभाजन की मांग करता हूं। यह हमारा अधिकार है। [× × ×]

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसमें चार-पांच सदस्यों को मिलाकर व्यवधान उत्पन्न करके बजट पास कराने की साजिश की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

(व्यवधान)

(किसी के कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न रखता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,38,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,38,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,00,69,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,00,69,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,63,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,63,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 73,84,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 73,84,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,71,76,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,71,76,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,49,20,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,49,20,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(शोरगुल के मध्य)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,15,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,15,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री राम आसरे वर्मा के प्रयास से सदन के फ़्लोर पर बैठे सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, अब सदन व्यवस्थित हो गया है, [× × ×] अब सदन व्यवस्थित हो गया है कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत होने दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह विवाद वाली मदें नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,79,76,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,79,76,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,35,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,35,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि.....

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, आप हमारे कटौती के प्रस्ताव को आने दें । [× × ×]

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,01,93,,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत होने बाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,01,93,,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सूचना देता हूं । [× × ×]

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

आप गलत तरीके से सदन का संचालन कर रहे हैं । मैं अपने दल की तरफ से आपके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दे रहा हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, सब लोग अपने-अपने स्थान पर आ गये हैं और सदन व्यवस्थित हो गया है । आप नियमानुसार सदन की कार्यवाही संचालित नहीं कर रहे हैं । इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री किरन पाल सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन कर तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,16,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन कर तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,16,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(अनेक विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार एक साथ बोलते रहने से सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, [× × ×] हमारी पार्टी आप में अविश्वास व्यक्त करती है । आपको इस आसंन से हट जाना चाहिए । मैं अपने और अपने दल की ओर से अविश्वास व्यक्त करता हूं । आपके इस आसन पर बैठने के खिलाफ, आपके इस संविधान विरोधी रवैये के खिलाफ, आपके इस लोकतंत्र विरोधी रवैये के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है ।

(श्री कल्याण सिंह अपने दल भाजपा के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग स्टाम्प एवं पंजीकरण)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,53,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,53,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,50,07,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैंने प्रस्ताव रख दिया है कोई कटौती रखना चाहे तो रख ले ताकि विचार आ जाय ।

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हों, रखें ।

कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहा है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इस पर मैं चाहता हूं कि बहस हो, माननीय सदस्य चले गये हैं, तो वापस आ जायें, मान्यवर, यह बहस नहीं करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कोई कटौती का प्रस्ताव रखना चाहे तो रख दे अभी यह शुरू नहीं हुआ है ।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,21,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,98,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,21,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,25,71,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,72,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन्, हम यह भी चाहते हैं कि इस पर कटौती का प्रस्ताव कोई माननीय सदस्य रखते हैं तो रखें और इस पर बहस हो ।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(कोई भी सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखने के लिये नहीं खड़े हुए)

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव के बाद चर्चा होती है ।

श्री अध्यक्ष–

कटौती का प्रस्ताव कोई भी रखने वाला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,50,07,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,21,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,98,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,21,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति

के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,25,71,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,72,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,54,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,54,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 69–विधायी एवं संसदीय कार्य (विधान मण्डल)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह नितान्त खेद की बात है कि विपक्ष पूरी तरह से कार्यवाही देखता रहा, लेकिन चर्चा में भाग नहीं लिया। हम पूरी तरह से चाहते थे कि चर्चा हो। कुछ लोगों ने व्यवधान डाला। फिर भी मैंने आपसे कहा कि बुला लिया जाये, इस पर विवाद हो। एक तरह से अपने विभाग के बारे में बातों को न रखने में बाधा डाली है। हम इसको लोकतंत्र के लिये अच्छा नहीं मानते हैं। उनको कटौती का प्रस्ताव रखकर सुझाव देना चाहिये था और जो हमारी कमियां हैं, उनको बताते और हम भी उनकी जो कमियां थीं उनको बताते और जो नये काम करने जा रहे हैं, उनको बताते और प्रदेश की जनता को मालूम होते, लेकिन विपक्ष के इस आचरण के कारण बहस नहीं हो सकी।

मद संख्या–12 पुकारा गया।

श्री अध्यक्ष–

श्री बालेश्वर त्यागी–

(श्री बालेश्वर त्यागी के अनुपस्थित होने पर अगली मद ली गयी।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22-4-94 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनायें प्राप्त हुई :–

पहली सूचना श्री राजाराम त्यागी की जनपद रायबरेली में सीवर लाइन साफ करते हुए दो सफाई कर्मियों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसको वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया है।

दूसरी सूचना श्री राम कुमार शुक्ल की लखनऊ नगर की महानगर सचिवालय कालोनी में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा निहित स्वार्थवश अध्यासियों के हितों की अनदेखी करते हुए पार्क की भूमि पर आवासीय भवन बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया है।

तीसरी सूचना श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय उर्फ गुरू जी की विद्युत अनुरक्षण खण्ड 39वें वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के तहत 6 से 10 वर्षों तक कार्य कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने के संबंध में है। इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

चौथी सूचना श्री छोटे लाल वर्मा की आगरा जनपद के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नगर पालिका समयाबाद में पेयजल ट्यूबवेल द्वारा टंकी तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

पांचवी सूचना श्री लाजकृष्ण गांधी की जनपद सहारनपुर के थाना सदर अन्तर्गत श्री ईश्वर चन्द्र गुप्ता को राजनैतिक विद्वेषवश मुकदमें में फंसाये जाने के संबंध में है। इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

छठी सूचना श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की चकबन्दी लेखपालों के चयन हेतु होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

सातवीं सूचना श्री रंगनाथ की लोक निर्माण विभाग द्वारा नदियों पर निर्मित पुल का कर लागत वसूलने के बाद भी दसों साल से लिये जाने के संबंध में है। इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

शेष सूचनाएं अस्वीकार की गई है।

यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने विषयक सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, श्री हरेन्द्र सिंह मलिक व श्री मदन गोपाल वर्मा।

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना गया।)

[विधायकगण द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि जनपद आगरा में शहर से संलग्न गांव–लखनपुर, मोहम्मदापुर और बाईपुर किसानों को यू०पी०एस०आई०डी०सी० विभाग ने अधिग्रहण किया है। भूमि अध्याप्ति हेतु भूमि अर्जन अधिनियम को धारा–4(1) को अधिसूचना संख्या–9029–भा०अ०/एक्स०भू० 111-11-47–भा०–90, दिनांक 5 फरवरी को जारी कर दी गई थी। इस सूचना के माध्यम से ग्राम–मुहम्मदपुर खेत नम्बर–123 से लेकर 182 तक अधिग्रहण किये थे और तभी से किसानों से इन खेतों का जबरन कब्जा ले लिया गया और किसान इस प्रकार अपनी जमीन पर फसल भी पैदा नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें अभी तक इस भूमि का प्रतिकर भी प्राप्त नहीं हुआ। किसानों के शोषण की पराकष्ठा है और वहां के किसानों में भारी रोष और क्षोभ व्याप्त है कभी भी असंतोष ज्वालामुखी बन सकता है। अतः भूमि का एवार्ड कर उसके प्रतिकर का तुरन्त भुगतान कराया जाय।

इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि जनपद आगरा के ग्राम–लखनपुर मोहम्मदपुर व बाईपुर में यू०पी०एस०आई०डी०सी० के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है जिसको भूमि अर्जन अधिनियम को धारा–4 को विज्ञप्ति दिनांक 5-2-91 को जारी की गई थी। तत्पश्चात भूमि अर्जन अधिनियम को धारा 6 को अधिसूचना दिनांक 12-5-92 तथा गजट शुद्धि पत्र दिनांक 8-5-93 को

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रकाशित हुआ । ग्राम–लखनपुर को अर्जित भूमि का धारा–6 का गजट शुद्धि पत्र का प्रकाशित होना प्रेस स्तर पर लम्बित है ।

ग्राम–मोहम्मदपुर के गाटा संख्या–123 से 182 तक के प्रस्तावित नम्बरानों पर अभी तक अर्जन निकाय यू०पी०एस०आई०डी०सी० को विधिवत/नियमानुसार कब्जा हस्तगत नहीं कराया गया है । प्रश्नगत मामले में अर्जन निकाय द्वारा प्रतिकर को पूर्ण धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है जिसके लिये निकाय (यू०पी०एस०आई०डी०सी) को जनपद स्तर से निरन्तर लिखा जा रहा है परन्तु अभी तक अर्जन निकाय द्वारा प्रतिकर वितरण हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है । इस कारण उपरोक्त ग्रामों में प्रस्तावित भूमि का प्रतिकर वितरण हेतु एवार्ड घोषित नहीं किया जा सका है । चूंकि उपरोक्त ग्रामों में प्रस्तावित भूमि का अर्जन निकाय को कब्जा हस्तगत नहीं कराया गया है और न ही एवार्ड घोषित किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रतिकर देने का प्रश्न नहीं है ।]

[3 बजकर 20 मिनट]

प्रदेश के आयुर्वेद निदेशालय में आयुर्वेदिक दवाओं के क्रय में की गयी धांधली के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर नियम 56 के अन्तर्गत वक्तव्य

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री बलराम यादव)–

वित्तीय वर्ष 1993-94 में आयुर्वेदिक ....

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बलराम यादव–

[एवं यूनानी विभाग को दवाओं की खरीद के मद में रु० 2 करोड़ 21 हजार का बजट प्राविधान स्वीकृत किया गया था । निदेशक, आयुर्वेद द्वारा उक्त स्वीकृत बजट के सापेक्ष्य वर्ष 1993-94 में योजनागत पक्ष में 18.68 लाख तथा आयोजनोत्तर पक्ष में रु० 169.28 लाख अर्थात् कुल रु० 187.96 लाख की धनराशि अधीनस्थ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एंवं यूनानी अधिकारियों तथा आयुर्वेदिक कालेजों के प्रधानाचार्यों/अधीक्षकों को औषधि क्रय हेतु निर्गत की गयी थी । इस प्रकार 70 करोड़ रु० की स्वीकृत जारी किये जाने की बात सही नहीं है । निदेशक द्वारा सीधे किसी फर्म को ग्रान्ट जारी नहीं की गयी है क्योंकि किसी भी फर्म को सीधे ग्रान्ट जारी करने का कोई प्राविधान ही नहीं है । जहां तक ऐसी फर्मों के लिए ग्रान्ट देने का प्रश्न है जो जल्दी पंजीकृत हुई है तथा जिनका निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हुआ है, इस विषय पर एवं तथाकथित साजिश के संबंध में जांच कराने हेतु उप निदेशक, जो पी० सी० एस०

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सेवा के अधिकारी हैं और आयुर्वेद निदेशालय में तैनात हैं, के पंक्ष में एक जांच समिति का गठन किया गया है । इस प्रसंग में यह भी सूच्य है कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों द्वारा औषधियां क्रय की जाती हैं, ऐसी स्थिति में जांच समिति द्वारा जांच समिति रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो दोषी होगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

विगत वर्ष में 23 करोड़ रु० की स्वीकृति जारी नहीं की गयी थी, क्योंकि इस मद में बर्ष 1992-93 में रु० 189.05 लाख का प्राविधान था, जिसकी स्वीकृति निर्गत की गयी थी । इस संबंध में कथित फर्जी खरीद के विषय में भी उप निदेशक (प्रशासन) के पर्यवेक्षण में गठित समिति द्वारा जांच के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं । यह कहना कि सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसियों से दवायें न खरीदकर बाजार की नई व फर्जी किस्म की फर्मों के द्वारा खरीद किये जाने के लिए ग्रान्ट जारी की गयी है, सही नहीं है बल्कि वास्तविकता यह है कि सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसियों से दवायें क्रय की जाती हैं, अपितु फार्मेसियां स्वयं प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों को बिना बिक्री दवा आपूर्ति करती हैं । सरकारी फार्मेसियों द्वारा जिन औषधियों की आपूर्ति नहीं की जाती है, उनकी खरीद आवश्यकतानुसार सी० एम० एस० डी०, उद्योग निदेशालय द्वारा अनुमोदित तथा पब्लिक सेक्टर की आई० एम० पी० सी० एल० एवं सी० डी० एफ० रानीखेत से की जाती है ।

आयुर्वेदिक निदेशालय में मार्च, 1994 के प्रथम सप्ताह में जब यह तथ्य प्रकाश में आये कि कतिपय जनपदों में स्वीकृत बजट से अधिक आहरण किया जा रहा है, तो निदेशालय से संबंधित जिलों (बांदा, कानपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, टिहरी-गढ़वाल) के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों एवं संबंधित कोषाधिकारियों को समय-समय पर पत्र एवं तार इस आशय से भेजे गये कि वह मानक मद संख्या–25 एवं 77 (औषधि एवं आहार आदि) से संबंधित बिलों का आहरण निदेशालय से पुष्टि कराये बगैर न करें । निदेशालय से एक आडिट दल भी भेजा गया था, इस दल ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि कानपुर, बांदा सिद्धार्थनगर तथा बस्ती में अनाधिकृत रूप से फर्जी स्वीकृतियों के आदेश तैयार करके प्राविधान से अधिक धनराशि आहरित की गयी है । जिन जनपदों से फर्जी आहरण की बात प्रकाश में आयी है, उनका विवरण निम्नवत् हैं :–

जनपद	स्वीकृति	आहरित
1–कानपुर	रु० 59,90,000	रु० 259,34,381
2–बांदा	रु० 23,22,000	रु० 316,40,805
3–सिद्धार्थनगर	रु० 11,35,000	रु० 47,49,964.45
4–बस्ती	रु० 27,44,000	रु० 86,41,982.05

मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर एवं कतिपय अन्य कोषागारों की सूचना के आधार पर निदेशक, कोषागार द्वारा दिनांक 24-3-1994 को शासन को सूचित किया गया कि कार्यालय व्यय, सामग्री एवं सम्पूर्ति तथा अन्य व्यय की मदों में बजट आवंटन से अधिक आहरण हो चुका है । निदेशक, आयुर्वेद ने भी दिनांक 24 मार्च, 1994 को शासन के वित्त विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को सूचना भेजी थी, जिसके फलस्वरूप प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने टेलेक्स दिनांक 26 मार्च,

1994 के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों/कोषाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को यह निर्देश भेजे थे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के सभी आहरण एवं भुगतान तात्कालिक प्रभाव से रोक दिये जायें। इसके बाद भी बस्ती जिले में आहरण का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी जांच मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती से करने को कहा गया है।

यह बात सही नहीं है कि निदेशक के अधिकारों पर अंकुश लगाने वाले सचिव का विभाग छीन लिया गया। जहां तक विगत वर्षों में निदेशक द्वारा अनियमित नियुक्तियां किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में यह सूचित करना है कि शासन द्वारा विभागायी जांच करायी जा रही है। जांच में दोषी पाये जाने की स्थिति में निदेशक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

राजकीय औषधि निर्माणशाला, मोहान रोड, लखनऊ का लाइसेंस ड्रग एवं कास्मेटिक्स ऐक्ट, 1940 के नियम 156 का पालन न करने के कारण लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस निरस्त किया गया था, जिसे शासन ने स्थगित कर दिया था। मामले से संबंधित अपील शासन स्तर पर विचाराधीन है। फार्मेसी में दवा निर्माण जारी रखने वाले कर्मी को हटाने वाली बात सही नहीं है। फार्मेसी के अधीक्षक का स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनहित में किया गया है ।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन अपराह्न 3 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
22 अप्रैल, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट :– ।। यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परिशिष्ट 'क'

(देखिये ता० प्र० सं०–16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के चौथे शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री तेजभान सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–16 का संलग्नक

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए लागू फ्लैट रेट टैरिफ की विद्युत दरें निम्नवत् हैं :–

क्र०सं०	श्रेणी	दर (प्रतिमाह)
1–चतुर्थ श्रेणी एवं आपरेटिंग कर्मचारी		रु० 16.00
2–तृतीय श्रेणी कर्मचारी		रु० 24.00
3–अवर अभियन्ता एवं समतुल्य पद		रु० 48.00
4–सहायक अभियन्ता एवं समतुल्य पद		रु० 72.00
5–अधिशासी अभियन्ता एवं समतुल्य पद		रु० 72.00
6–अधीक्षण अभियन्ता एवं समतुल्य पद		रु० 96.00
7–मुख्य अभियन्ता स्तर–I/II एवं समतुल्य पद तथा इससे ऊपर के पद		रु० 120.00
8–एयर कण्डीशनर के लिए अतिरिक्त		रु० 65.00 प्रति कण्डी०

उपरोक्त दरों पर 10 प्रतिशत का विद्युत कर भी देय है।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

जनवरी, 1993 में दिसम्बर, 1993 तक मिर्जापुर जनपद के विद्युतीकृत गांवों की सूची

क्र०सं०	गांव का नाम	विकास खण्ड का नाम	ऊर्जीकरण की तिथि
1	खम्मनपुर	छानवे	31-1-93
2	डुगरहा	छानवे	तदैव
3	गम्भीरपुरा	हालिया	तदैव
4	खागजीपुर	जमालपुर	तदैव
5	केलावेला	सीखड़	23-1-93
6	सीरसी बघेल	नगर	3/93
7	रामपुर खेमर	लालगंज	3/93
8	मगरहाकला	लालगंज	3/93
9	रसूलागंज	नरायनपुर	20-3-93
10	नौगदा	हलिया	तदैव
11	सीरसीगहरवार	नगर	10-3-93
12	इन्दरपुर	नगर	18-3-93
13	खिरौन्डी	नरायनपुर	20-3-93
14	आरजीचेहरा	छानवे	2-3-93
15	बजटा (भरवटा)	छानवे	20-3-93
16	जिगनौड़ी	नगर	12/93
17	असवां	छानवे	12/93
18	खैरा	छानवे	12/93 (गहन)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 88 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

अनुसंलग्नक "क"

हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कासिमपुर (अलीगढ़)

(विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 अता० प्र० सं०–88)

मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन व मृत्यु ग्रेच्युटी की स्वीकृति हेतु दिनांक 31-1-94 तक लम्बित प्रकरणों की सूची

क्र०सं०	मृतक का नाम पदनाम सहित	तैनाती का स्थान	अन्य विवरण
1	2	3	4
स्व० सर्वश्री :–			
1	सुरेश चन्द्र, बेल्डर ग्रेड–I	वि० उ० मं० प्रथम, कासिमपुर (अलीगढ़)	
2	श्रीमती शिकेधी, चपरासी	–तदैव–	
3	करन सिंह, क्लीनर	–तदैव–	
4	प्रताप सिंह, खलासी	–तदैव–	
5	राम चन्द्र, स्टोर मजदूर	–तदैव–	
6	वासुदेव सहाय, फिटर ग्रेड–I	–तदैव–	
7	सतीश कुमार सिंह, लैब मैनेजर	–तदैव–	
8	लाल सिंह, सहायक भण्डारपाल	–तदैव–	
9	महेन्द्र गिरि, केबिल ज्वाइन्टर	–तदैव–	
10	महेन्द्र पाल सिंह चौहान, आप० ग्रेड–I	–तदैव–यह प्रकरण लापता व्यक्ति का है।	
11	गनपत, क्लीनर	–तदैव–	
12	नेत्रपाल सिंह, हेल्पर	–तदैव–	
13	ओम प्रकाश सिंह चौहान, टैक्नोज	–तदैव–	
14	सतीश चन्द्र अग्रवाल, अवर अभियन्ता	–तदैव–	
15	अब्दुल कयूम, टैक- ग्रेड–I	विद्युत उत्पादन मण्डल–II कासिमपुर (अलीगढ़)	

1	2	3	4
16	शिव चरन लाल गुप्ता, कुली	–तदैव–	
17	राम औंकार सिंह, आप० ग्रेड–II	–तदैव–	
18	बन्नी सिंह, कुली	–तदैव–	
19	नौरंगी लाल, सारंग	–तदैव–	
20	जगदीश, चालक	–तदैव–	
21	राम औतार शर्मा, कुली	–तदैव–	
22	दुःख हरन, आप० ग्रेड–II	–तदैव–	
23	नरेन्द्र सिंह, रीगर	–तदैव–	
24	लखन सिंह, आप० ग्रेड–II	–तदैव–	
25	खजान सिंह, आप० ग्रेड–II	–तदैव–	
26	रतन प्रकाश, कुली	–तदैव–	
27	राज बहादुर, कुली	–तदैव–	
28	ओम प्रकाश, आप० ग्रेड–II	–तदैव–	
29	नन्द राम, स्वीपर	–तदैव–	
30	उदय वीर सिंह, कुली	–तदैव–	
31	जगन्नाथ, रीगर	विद्युत उत्पादन मण्डल चतुर्थ कासिमपुर (अलीगढ़)	
32	राम स्वरूप, चालक	–तदैव–	
33	नन्हे खां, चपरासी	–तदैव–	
34	कुशल पाल सिंह, सहायक भण्डारपाल	–तदैव–	
35	मुरारी लाल, चालक	–तदैव–	
36	राकेश कुमार सक्सेना, अटैन्डेन्ट	–तदैव–	
37	मशकूर अली, चालक	–तदैव–	
38	हुकम सिंह, चौकीदार	–तदैव–	
39	केहरी सिंह, खलासी	–तदैव–	
40	निरंजन सिंह, हैल्पर	–तदैव–	
41	राम बाबू शर्मा, आटो० मैकेनिक	–तदैव–	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
42	कान्ती प्रसाद, श्रमिक	विद्युत उत्पादन मण्डल पंचम कासिमपुर (अलीगढ़)	
43	जगराज सिंह, मेट	–तदैव–	
44	महेन्द्र कुमार वशिष्ठ, अवर अभियन्ता	–तदैव–	
45	शंकर लाल, चालक	–तदैव–	
46	जियाउल हसन, फिटर–I	–तदैव–	
47	बिन्ध्याचल प्रसाद वर्मा, श्रमिक	–तदैव–	
48	जयनारायण शर्मा, जू० इले०	–तदैव–	
49	महताब सिंह, चौकीदार	–तदैव–	
50	विनोद बाबू, इन्स्ट्रूमेंट मैकेनिक	–तदैव–	
51	रघुनाथ सिंह, लौरी क्लीनर	–तदैव–	
52	आर० पी० शर्मा, भण्डार पाल	हरदुआगंज तापीय शक्ति मण्डल कासिमपुर (अलीगढ़)	
53	एस० सी० कुलश्रेष्ठ, भण्डार पाल	–तदैव–	
54	राजपाल सिंह, कुली	–तदैव–	
55	मो० शरीफ, जूनि० इले०	–तदैव–	
56	रोहताश गिरि, बुल्डोजर ड्राइवर	–तदैव–	
57	धर्मवीर गुप्ता, टेलीफोन अटेन्डेन्ट	–तदैव–	
58	कुंवर पाल, चपरासी	–तदैव–	
59	बाबू सिंह, दै० श्रे० लिं०	–तदैव–	
60	एम० सी० गुप्ता, फिटर ग्रेड–II	–तदैव–	
61	नरायन, चौकीदार	विद्युत जनपद मण्डल, कासिमपुर (अलीगढ़)	
62	चन्दन सिंह, मेट	–तदैव–	
63	शेर मोहम्मद, चौकीदार	–तदैव–	
64	सुखराम, स्वीपर	–तदैव–	
65	बहोरन सिंह, पाण्डलिपिक	–तदैव–	
66	नरपत सिंह, मैसन	–तदैव–	

1	2	3	4
67	अमर सिंह, मेट	–तदैव–	
68	श्रीमती योगेश कुमारी, सहा० अध्या०	–तदैव–	
69	राम सिंह, मैसन	–तदैव–	
70	श्रीराम, मैसन	–तदैव–	
71	इन्द्रपाल सिंह, मैसन	–तदैव–	
72	बाबू लाल, खलासी	–तदैव–	
73	प्रहलाद सिंह, मेट	–तदैव–	
74	एस० एल० सहगल, वरि० सहा० अभि०	–तदैव–	
75	श्रीमती राजकुमारी, क्लीनर	परियोजना चिकित्सालय, कासिमपुर (अलीगढ़)	
76	राम सिंह, हैल्पर	विद्युत उत्पादन मण्डल–III, कासिमपुर (अलीगढ़)	
77	राजपाल सिंह, आप० ग्रेड–II	–तदैव–	
78	बाबू सिंह, श्रमिक	–तदैव–	
79	सभय सिंह, अवर अभियन्ता	–तदैव–	
80	देवेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता	–तदैव–	
81	मोहन सिंह, अवर अभियन्ता	–तदैव–	
82	बाबू सिंह, आप० ग्रेड–II	–तदैव–	
83	राम चरन, ट्रालीमैन	–तदैव–	
84	दिनेश चन्द्र शर्मा, आप० ग्रेड–II	–तदैव–	
85	प्यारे लाल, स्टोर जमादार	–तदैव–	
86	चन्दा राम, स्वीपर	–तदैव–	
87	अमीचन्द्र, खलासी	विद्युत भुगतान लेखा खण्ड, कासिमपुर स्तर पर लम्बित	
88	नेत्रपाल, हैल्पर	–तदैव–	
89	नवीन चन्द्र गुप्ता, आप०–II	–तदैव–	
90	जगदीश, कुली	–तदैव–	

1	2	3	4
91	राम सिंह, ड्राइवर	वि०मु०ले०खं० स्तर पर लम्बित दि० 31-1-94 के उपरान्त अब निस्तारण हो चुका है ।	
92	चन्द्र दत्त, मजदूर	–तदैव–	
93	जे० पी० त्यागी, आपरेटर	–तदैव–	
94	राम प्रसाद, चपरासी	–तदैव–	
95	बुहसैन, कुली	–तदैव–	
96	बी० बी० शर्मा, पाण्डुलिपिक	–तदैव–	
97	राजवीर सिंह, कुली	–तदैव–	
98	ज्वाला प्रसाद, कुली	–तदैव–	
99	रनवीर, कुली	–तदैव–	
100	लतीफ खां, खलासी	–तदैव–	
101	राजू शर्मा, फिटर	–तदैव–	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 151 का उत्तर पीछे पृष्ठ 98 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के चौथे शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं०–151 का संलग्नक (क)

उच्च स्तरीय समिति के समक्ष पक्ष रखने वाले संघों/संगठनों की सूची

महामंत्री, विद्युत मजदूर संगठन, उ० प्र० स्नेह नगर (स्वतन्त्र स्कूल के पहले), सिंगार नगर, लखनऊ ।

महामंत्री, उ० प्र० बिजली कर्मचरी संघ ए–949/5. इन्दिरा नगर, लखनऊ ।

महामंत्री, उ० प्र० राष्ट्रीय विद्युत श्रमिक संघ (इंटक), पारवती बंगला रोड, ग्वाल टोली, गेट नं० 4. रिवर साइड पावर हाऊस, कानपुर ।

महामंत्री, राज्य विद्युत परिषद्, अभियन्ता संघ ए–482. गोपाला अपार्टमेंट (रामतीर्थ मार्ग) नरही, लखनऊ ।

महामंत्री, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् लेखा कर्मचारी संघ, डी–1/7. पी० डब्लू० डी० कालोनी, राजेन्द्र नगर, लखनऊ ।

महामंत्री, कानपुर बिजली मजदूर सभा 96/10. बिजलीघर (लाइब्रेरी हाल) महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर ।

महामंत्री, विद्युत कर्मचारी लेखा संघ, 80. साकेत पल्ली, नरही, लखनऊ ।

महामंत्री, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् कर्मचारी संघ, 86/91. रिसालदार पार्क, लखनऊ ।

महामंत्री, विद्युत मजदूर संगठन (आर० एस० राय), अमरावती होटल, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ ।

महामंत्री, विद्युत परिषद् आशुलेखक संघ, 6 नवीन मार्केट कैसरबाग, लखनऊ ।

महामंत्री, राज्य विद्युत परिषद् प्राविधिक (आई० टी० आई०) संघ, । नबीउल्लारोड सिटी स्टेशन, लखनऊ ।

महामंत्री, उत्तर प्रदेश विद्युत स्टोर कर्मचारी संघ, सी–147. पुरानी कालोनी, कासिमपुर, अलीगढ़ ।

महामंत्री, बिजली मजदूर यूनियन, 264 रतनलाल नगर (सामने एस० आई० जी०–87), कानपुर ।

महामंत्री, राज्य विद्युत रसायन कर्मचारी संघ उ० प्र० कैम्प 278/63. नई कालोनी, कासिमपुर, अलीगढ़ ।

महामंत्री, राज्य विद्युत परिषद् परसनेल सर्विसेज एसोसियेशन द्वारा श्री एल० आर० जाटव, अध्यक्ष, शक्ति भवन विस्तार पांचवा तल, लखनऊ ।

महामंत्री, राज्य विद्युत परिषद् मुख्यालय कर्मचारी संघ, शक्ति भवन, लखनऊ ।

महामंत्री, उ० प्र० एस० ई० बी० पर्सनल असिस्टेंट/प्राइवेट सेक्रेटरी एसोसियेशन, कमरा नं० 608, शक्ति भवन, लखनऊ ।

महामंत्री, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन, (हिन्द मजदूर किसान पंचायत) 41/557, डी० तुफैल अहमद रोड, नरही, लखनऊ ।

महामंत्री, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन (इंटक) 20 शिवाजी मार्ग, रीजेन्सी टावर, लखनऊ ।

महामंत्री, यू० पी० इरीगेशन एण्ड इलेक्ट्रीसिटी, डिपार्टमेंट स्टेनोग्राफर्स एसोसियेशन, (हाइडिल विंग) 2/25 हाईडिल कालोनी, प्राग नारायन रोड, लखनऊ ।

महामंत्री, राज्य विद्युत परिषद् जूनियर इंजीनियर संगठन, सहयोग सदन, 6-गोखले मार्ग, लखनऊ ।

महामंत्री, यू० पी० राज्य विद्युत डिप्लोमा कला कर्मचरी संघ, 5/51 हाइडिल कालोनी प्राग नारायन रोड, लखनऊ ।

महामंत्री, उ० प्र० विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ एफ-8, पाण्डे का तालाब कालोनी, लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक–ख

विभिन्न कर्मचारी संगठनों/सेवा संघों द्वारा 1-4-84 से कथित वेतन विसंगतियों के संबंध में उठाये गये प्रमुख मुद्दे

1–दैनिक श्रेणी लिपिक, ड्राइवर ए० एस० के० लैब असिस्टेंट व लैब टेक्नीशियन आदि को जिन्हें 31-3-84 को रुपये 490–750 का वेतनमान मिल रहा था, को भी दिनांक 1-4-84 से 1100–1575 के स्थान पर रुपये 1200–1800 का वेतनमान दिया जाय जैसा पहले भी यांत्रिक सम्वर्ग को दिया गया।

2–31-3-84 को जिन कर्मचारियों को रुपये 530–810 का वेतनमान मिल रहा था, उन्हें रुपये 1200–1800 के स्थान पर रुपये 1350–2160 का वेतनमान दिया जाय।

3–पैरा मेडिकल स्टाफ के अन्तर्गत फार्मेसिस्टों को रुपये 1100–1575 के स्थान पर शासन की अनुरूपता में रुपये 1400–2300 का वेतनमान दिया जाय।

4–सी० टी० ग्रेड अध्यापकों को शासन की अनुरूपता में रुपये 1200–1800 के स्थान पर 1350–2160 का वेतनमान दिया जाए।

5–रुपये 700–1430 का पुनरीक्षण वेतनमान रुपये 1800–3100 किया है, रुपये 720 का पुनरीक्षण रुपये 1650–2800 किया है, अतः रुपये 775–1360 का पुनरीक्षण रुपये 1650–2690 के स्थान पर रुपये 2225–3500 दिया जाए।

6–रुपये 900–1190 के वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन रुपये 975 दिया जाए।

7–ड्राफ्ट्समैन का वेतनमान रुपये 1200–1800 के स्थान पर रुपये 1350–2160 का वेतनमान दिया जाए।

8–4 वर्ष व 8 वर्ष पर एक या दो वेतन वृद्धियों का लाभ दिनांक 1-4-84 को वेतन निर्धारण में अन्य सभी कर्मचारियों व अभियन्ताओं की भांति शेष बचे गैर अभियन्ता /अधिकारियों को भी दिये जायें।

समयबद्ध वेतनमान संबंधी मुद्दे

1–सभी संवर्गों को समयबद्ध वेतनमान समान अवधि 9-5-5 (19 वर्ष) पर दिये जायें।

2–सभी संवर्गों को प्रोन्नति के पद का टाइम स्केल समान नीति से दिया जाए।

3–आशुलिपिकों, ड्राइंग संवर्ग के कर्मियों को देय समयबद्ध वेतनमान घोषित किये जायें।

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त यूनियन/श्रमिक संघ कुछ अन्य बिन्दु भी उठायेंगे जो विशेष रूप से उनके संवर्ग से संबंध रखते हैं।

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 179 का उत्तर पीछे पृष्ठ 111 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के चतुर्थ शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल के अता० प्र० सं०–179 का संलग्नक

बिन्दु	उत्तर
1–यह कि जलापूर्ति का कार्य स्थाई प्रकृति का है, जिस पर कि स्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति करना नितान्त संवैधानिक, न्याय, नियम अनुरूप है लेकिन परियोजना प्रशासन एवं उ० प्र० रा० वि० परिषद् ऐसा न करके परिषद् अधिकारी कमीशनखोरी के कारण कर्मचारियों को सीधे नियोजित न कर ठेके के माध्यम से कार्य का सम्पादन करा रहे हैं।	परियोजना में जलापूर्ति कार्य प्रशासनिक सुविधा एवं आवश्यकता के अनुसार कराया जा रहा है जिसमें कुछ कार्य ठेकेदार के माध्यम से कराये जा रहे हैं।
2–यह कि समान कार्य, समान वेतन के सिद्धान्त को ताख पर रखकर ठेका श्रमिकों को न्यूनतम वेतन से वंचित किया गया जबकि सम्पूर्ण कार्य के लिए नियोजित श्रमिकों के वास्तविक वेतन तथा 20 प्रतिशत पर्यवेक्षणों खर्च व अधिकारियों के कमीशन को मिलाकर वर्ष 1980 से बराबर ठेका उठाया जाता रहा है लेकिन मजदूरों को उनके वास्तविक वेतन का भुगतान नहीं कराया गया।	यह सही नहीं है कि परियोजना में न्यूनतम वेतन सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में परियोजना प्रिन्सपल इम्पलायर होने के नाते अपने उत्तरदायित्वों से सजग हैं और समय-समय पर नियमों के अनुपालन का अनुश्रवण करते रहते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

3–यह कि उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ की परियोजना इकाई व प्रदेश में इस विषय को परियोजना महाप्रबन्धक व विद्युत परिषद् के समक्ष रखा कि ठेका श्रमिकों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाय तथा कार्यरत सभी श्रमिकों को नियमित कराया जाय । इस पर महाप्रबन्धक अनपरा व परिषद् में कोई कार्यवाही नहीं की अन्त में मजबूर होकर संघ ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न्याय पाने के लिए एक याचिका संख्या–5296 सन् 1986, दूसरी संख्या–23452 सन् 1987, प्रेषित की जिसमें निवेदन किया गया कि ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है । उनका रजिस्ट्रेशन श्रम कानूनों के तहत नहीं है अतः सभी श्रमिक मुख्य नियोजक महाप्रबन्धक, अनपरा थर्मल पावर स्टेशन के हैं । अतः सभी कर्मचारियों को उ०प्र०रा०वि० परिषद् का कर्मचारी माना जाय तथा जिन ठेकेदारों को यह कार्य दिया गया वह श्रमिकों को कार्य से न हटायें इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 16-10-1986 को यह आदेश दिया कि श्रमिकों को कार्य से न हटाया जाय । इसी के अनुरूप 1987 की याचिका में ठेकेदार को पक्षकार बनाने के आदेश दिये गये ।

जैसा कि प्रश्न से स्पष्ट है सभी बिन्दु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है अतः इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी करना सम्भव नहीं हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

4–वर्ष 1988 में ठेकेदारों से कार्य न करा कर स्थायी फिल्ट्रेशन प्लान्ट पर परिषद् के अन्य कर्मचारियों से कार्य लिया गया तथा ठेके को बदल कर कार्यदेश (वर्क आर्डर) के द्वारा इसी कार्य को कराया जाने लगा जिसमें परिषद् का कार्य कर रहे श्रमिकों को कार्य से हटा दिया गया, इसके विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में वर्ष 1988 में याचिका संख्या–2241/1988 दाखिल किया गया ।

5–यह कि इस समय ईस्टर्न इंजीनियरिंग कारपोरेशन के 15 कर्मचारी तथा परफेक्ट इंजीनियरिंग वर्क्स के 30 कर्मचारी जो पूर्व में ठेका नियोजित थे, कार्य कर रहे हैं जब कि इस कार्य में 80 कर्मचारी उपरोक्त दोनों फर्मों के माध्यम से नियोजित थे, जिनमें से 30 कर्मचारियों (मैसर्स–परफेक्ट इंजीनियरिंग वर्क्स वर्तमान में मैसर्स एकरोट इंजीनियरिंग वर्क्स) का वेतन पिछले तीन माह से भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा उन्हें यह धमकी दी जा रही है कि वेतन की मांग करोगे तो कार्य से हटा दिया जाएगा तथा किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है, जो कि एक अश्रम व्यवहार है ।

चूंकि विषय माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है अतः इस संबंध में कोई मत दे पाना सम्भव नहीं है । परन्तु यह सही है कि वर्ष 1988 से स्थायी जलशोधक संयंत्र परिषद् के कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा है । इसके पूर्व 'अ' अनपरा परियोजना में निर्माण कार्य प्रगति पर था तथा स्थायी कर्मचारी की पर्याप्त संख्या नहीं थी, जब 'अ' अनपरा परियोजना का निर्माण कार्य हो जाने के पश्चात अनुरक्षण कार्य रख-रखाव प्रारम्भ हुआ तब स्थायी जल शोधक संयंत्र पर ठेकेदार के अनुबन्ध समाप्त होने के उपरान्त परिषद् के नियमित परिचालक एवं कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा है ।

प्रमुख सेवायोजक होने के नाते परियोजना में न्यूनतम वेतन संबंधित नियमों का परिपालन सुनिश्चित किया जा रहा है परन्तु धनाभाव के कारण कभी-कभी वेतन भुगतान अस्थाई रूप से लंबित हो जाता है । इस संबंध में यह भी इंगित करना है कि वर्तमान में जलापूर्ति व्यवस्था में पल रहे अनुबन्ध के अन्तर्गत ईस्टर्न इंजीनियरिंग एवं परफेक्ट वर्क्स द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है ।

पी० एस० यू० पी–एल० 138 विधान सभा(205)–1994–813 (डी०टी०पी०) ।